लोक-सभा

बुधवार, २१ नवंबर १९५६

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ... ... ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४९ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५९, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ १४३—६७
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १९१ ... १६७—७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३९ १७७—८७
दैनिक संक्षेपिका ... १८८—९१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६
प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९४, १९६, १९७, १९९ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ १९१—२१२
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १९५, १९८, २०३, २०५ से २०७, २०९, २१० २११, २१४, २१५, २१९ और २२२ से २४२ २१२—२२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ ... २२२—३८
दैनिक संक्षेपिका २३९—४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६
प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७९ २४३—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४९, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६९, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ ... २६६—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ ... २७२—८४
दैनिक संक्षेपिका ... ... २८५—८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६
प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९५, २९७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१९, ३२६ से ३२८ २९३ और ३२९ ... ... २८९—३१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८९, २९१, २९६, २९८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ ३१०—१८
अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ ... ... ३१९—२८
दैनिक संक्षेपिका ... ... ३२९—३१

	पृष्ठ
अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८	३३३–५३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ...	३५३–६४
अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५	३६५–८४
दैनिक संक्षेपिका	३८५–८८
अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६	३८९–४१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७	४१०–२०
अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५	४२०–३८
दैनिक संक्षेपिका ...	४३९–४२
अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६	३४३–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९	४६५–८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ...	४८३–९६
दैनिक संक्षपिका	४९७–५००
अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६	५०१–२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७	५२३–४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६	५४१–६४
तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि	५६४
दैनिक संक्षेपिका	५६५–६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ... ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ... ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५९, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५९ से ५८८ और ५९० से ५९६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२९, ८३४, ८३९, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१९, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४९ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३९

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८९०, ८९२, ८९६, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७ और ९१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७९, ८८३, ८८४, ८८९, ८९१, ८९३, ८९४, ८९७ से ९०२, ९०५, ९०८ से ९१४ और ९१६ से ९२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७१५ ... ८७८–९४

दैनिक संक्षेपिका ८९५–९८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ से ९३०, ९३३ से ९३८, ९४२, ९४५, ९४६, ९५७, ९४७, ९४९, ९५०, ९५२ और ९६३ ... ८९९–९२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ... ९२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९३१, ९३२, ९३९ से ९४१, ९४३, ९४४, ९४८, ९५१, ९५३ से ९५६, ९५८ से ९६२ और ९६४ से ९६६ ... ९२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ९३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ९४९–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ... ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा

बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंजाब में सीमांकन

†*२४४. { **श्री बंसल** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान के संशोधन के फलस्वरूप जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में दो प्रदेशों के बनने की व्यवस्था की गई है, पंजाब के दो प्रदेशों की सीमाओं के अंकन के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : गृह-कार्य मंत्री ने इस मामले पर चर्चा करने के लिये अभी हाल में भूतपूर्व पंजाब तथा पेप्सू राज्यों के मुख्य मन्त्रियों तथा तत्सम्बन्धी अन्य हितों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन किया था। सम्मेलन ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये छः व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। मामला विचाराधीन है।

†**श्री बंसल** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य हो रहा है। सरकार इन दोनों प्रदेशों के बीच की सीमाओं को अंकित करने के प्रश्न का निर्णय करने में कितना समय लेगी ?

†**श्री दातार** : सरकार अधिक समय नहीं लेगी। वह यथासम्भव शीघ्र निर्णय करेगी।

†**श्री बंसल** : अन्तिम इकाई, जिसे सीमांकन कार्य करते समय अपनाया जायेगा, यथा गांव, थाना, तहसील अथवा जिला इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन में समिति का क्या सुझाव है ?

†**श्री दातार** : प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में विचार किया गया है, किन्तु उसे इस स्थिति में बताना अथवा उस पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि इस काम में विलम्ब होने के कारण केवल पंजाब का ही परिसीमन नहीं, अपितु आंध्र राज्य के भी परिसीमन में विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री दातार** : यह मामला पंजाब से सम्बन्धित है । यथासम्भव इस सम्बन्ध में जल्दी निर्णय करने का प्रयत्न किया जा रहा है । अन्य राज्यों के सम्बन्ध में मुझे माननीय सदस्य द्वारा कही हुई बात ज्ञात नहीं है ।

†**श्री बंसल** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि परिसीमन आयोग अन्तिम परिसीमन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि समस्त राज्यों का परिसीमन न हो जाये ? श्री हेडा के कहने का यही तात्पर्य था कि इस सीमांकन के कारण पंजाब के परिसीमन में जो विलम्ब होगा, इसके कारण उक्त आयोग अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन आदेश प्रकाशित नहीं कर सकेगा ।

†**श्री दातार** : पंजाब के प्रश्न पर विचार करते समय सरकार इस बात को भी ध्यान में रखेगी ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि विभिन्न राज्यों में समझौता इस कारण नहीं हो सका कि वे यह बात तय नहीं कर सके कि इकाई के रूप में गांव को इकाई माना जाय अथवा तहसील को । इसलिये क्या यह अच्छा नहीं होगा कि केन्द्र द्वारा गांव अथवा तहसील को इकाई निश्चित कर दिया जाय ? इससे समझौता होना अधिक सरल होगा ।

†**श्री दातार** : मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात केवल पंजाब से सम्बन्धित है जहां कि दो क्षेत्रों की स्थापना करनी है । यह अन्य राज्यों से सम्बन्धित नहीं है । माननीय सदस्य ने जो कुछ भी सुझाया है उस पर सरकार यथासम्भव शीघ्र निर्णय कर रही है ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : यह सुझाव दिया गया है कि परिसीमन आयोग, समस्त राज्यों के सम्बन्ध में एक ही सम समय और एक साथ अपना निर्णय घोषित करेगी इसलिये एक प्रदेश का सीमांकन अन्य राज्यों के परिसीमन को भी प्रभावित करेगा । इसलिये पंजाब का परिसीमन अधिक शीघ्रता से करने की आवश्यकता है क्योंकि अन्य राज्यों का भी परिसीमन किया जाना है । क्या ऐसी स्थिति में सरकार शीघ्र निर्णय करने की आवश्यकता अनुभव करेगी क्योंकि परिसीमन आयोग ने कहा है कि वह निर्णय होने की घोषणा तक आगे प्रतीक्षा नहीं कर सकता है । यदि प्रदेशों का सीमांकन होने की घोषणा के पूर्व उनका निर्णय घोषित हो जाय तो इससे इन दोनों प्रदेशों के निवासियों की आशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है ?

†**श्री दातार** : सरकार इस प्रश्न के शीघ्र निर्णय करने की आवश्यकता पूर्णतः समझती है ।

लक्कादीव द्वीप समूह को जहाजी सेवा

†*२४६. { **श्री नेत्तर प० दामोदरन** : +
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३१ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से लक्कादीव द्वीप समूह और भारत के बीच सीधी जहाजी सेवा प्रारम्भ करने के लिये व्यवस्था कर ली गई है;

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

(ग) यह सेवा कब तक प्रारम्भ की जायेगी; और

(घ) यह जहाज कितनी बार चला करेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक जहाजी समवाय द्वारा प्रस्थापित शर्तों पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) वार्ता समाप्त होते ही सेवा प्रारम्भ की जायेगी ।

(घ) वर्ष के आठ महीनों के अच्छे मौसम में (अर्थात् अक्तूबर से मई तक) द्वीप समूह की परिक्रमा करने के लिये, प्रत्येक मास में ग्यारह दिन जहाज चलाने का विचार है ।

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन** : क्या इन द्वीप समूहों की जो कि अब केन्द्रीय नियन्त्रण के अधीन आ गये हैं, पिछड़ी अवस्था को ध्यान में रखते हुए तथा लक्कादीव द्वीप समूह तथा अमीनदिवी को भारत से मिलाने वाली जहाजी सेवा की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार कम से कम विलम्ब से जहाजी सेवा जारी करने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री दातार** : जी हां, सरकार को यह ज्ञात है और वह इसे यथासम्भव शीघ्र प्रारम्भ करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन** : प्रस्तावित जहाजी सेवा से कितने द्वीपों को लाभ पहुंचेगा ?

†**श्री दातार** : दस द्वीपों को वहां कुल उन्नीस द्वीप समूह हैं जिन में से दस में आबादी है—को लाभ पहुंचेगा—तथा प्रत्येक महीने में एक द्वीप पर ले जाने का विचार है ।

पिछड़े वर्गों की दशा निर्धारण सम्बन्धी संगठन

†*२४७. { **श्री गिडवानी** :
श्री म० रं० कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार पिछड़े वर्गों की प्रगति के कार्य के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने के लिये केन्द्रीय निर्धारण संगठन स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) संस्था किस प्रकार की होगी; और

(ग) उसके क्या कार्य होंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

†**श्री गिडवानी** : विवरण में यह कहा गया है कि संगठन में प्रधान कार्यालय में एक विशेष कार्याधिकारी और औसत से प्रत्येक राज्य के लिये एक पदाधिकारी के हिसाब से क्षेत्र पदाधिकारियों के रूप में सोलह सहायक आयुक्त होंगे जिन में सात प्रादेशिक सहायक आयुक्त भी हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि इस संगठन पर वार्षिक व्यय कितना होगा ?

†**श्री दातार** : इसका हिसाब अभी किया जा रहा है ।

†**श्री गिडवानी** : विवरण में यह भी कहा गया है कि संगठन का मुख्य कृत्य गृह-कार्य मंत्रालय को संसाधनों तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर प्रविस्तारित कर्मचारी वर्ग की पर्याप्तता

†मूल अंग्रेजी में ।

के सम्बन्ध में प्रतिवेदित करना होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सभी राज्यों ने योजना को कार्यान्वित करना और पूर्णतः सहयोग देना स्वीकार किया है ?

†**श्री दातार** : इस योजना का परिपालन राज्य सरकारों के सहयोजन से करना होगा और हम राज्य सरकारों को अनुदान दे रहे हैं क्योंकि यह योजना उनके लिये भी लाभकारी होगी इसलिये इसे क्रियान्वित करने में उनकी रुचि है।

†**श्री गिडवानी** : विवरण में अग्रेतर यह कहा गया है कि उन योजनाओं के सम्बन्ध में जिन में जन-सहयोग अन्तर्ग्रस्त है, संगठन का यह सुनिश्चित करना एक कृत्य होगा कि इस प्रकार का सहयोग पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रकार के सहयोग के लिये कोई आधार, कोई योजना या कोई उपाय निर्धारित किया है ?

†**श्री दातार** : सरकार यही तो राज्य सरकारों के परामर्श से कर रही है। स्वयं अपनी अगुआई में या केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित योजनाओं के रूप में राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। इसलिये कुछ सिद्धान्त उद्धिकसित किये जा रहे हैं जिन के आधार पर यह नई योजना क्रियान्वित होगी।

†**श्री गिडवानी** : जन-सहयोग के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

†**श्री दातार** : जन-सहयोग का प्रश्न भी उत्पन्न होगा और वहां यह पदाधिकारी और क्षेत्र पदाधिकारी भी इसकी क्रियान्विति में राज्य सरकार के लिये उपयोगी होंगे।

†**श्री न० श० मुनिस्वामी** : इन क्षेत्र पदाधिकारियों के लिये क्या वेतन-क्रम नियत किये गये हैं ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न विचाराधीन है; परन्तु मैं यह बता दूं कि सम्भवतः उनका वेतन एक सहायक आयुक्त जितना ही होगा, क्योंकि वे वैसे ही पद पर काम करेंगे।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या मैं जान सकता हूं कि जन-सहयोग प्राप्त करने के लिये इन क्षेत्र पदाधिकारियों की सहायता के सम्बन्ध में प्रादेशिक समितियां या राज्य समितियां नियुक्त की जायेंगी ?

†**श्री दातार** : क्षेत्र पदाधिकारी, राज्य सरकारों और उनके पदाधिकारियों से अधिक प्रत्यक्ष रीति से व्यवहार करेगा। जहां कहीं ये समितियां पहले से नहीं हैं वहां इन्हें बनाना राज्य सरकारों का काम है।

फ्रांसीसी मुद्रा

†*२५०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व फ्रांसीसी भारत की बस्तियों में जो फ्रांसीसी मुद्रा चालू थी, क्या उसे पूर्णतः वापिस ले लिया गया है; और

(ख) ३१ अक्तूबर, १९५६ तक फ्रांसीसी मुद्रा के विनिमय में कुल कितनी कीमत की भारतीय मुद्रा निर्गमित की गई थी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) ३७, १४, ८०९ रुपये।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल कितनी कीमत की फ्रांसीसी मुद्रा वापिस ली गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब० रा० भगत** : कुल ३७,५८, १०८ रुपये की कीमत की फ्रांसीसी मुद्रा वापिस ली गई थी।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या छोटे सिक्के भी वापिस ले लिये गये हैं या वे अभी तक परिचालित हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुद्रा में सिक्के भी सम्मिलित होते हैं।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना निर्धनता के आधार पर, चाहे गुणावगुण कुछ ही हों, निर्धन विद्यार्थियों की कहां तक सहायता करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से यह बात कैसे उत्पन्न होती है ?

मैट्रिक परीक्षा उपरान्त योग्यता छात्र-वृत्तियां

†*२५१.
श्री कृष्णाचार्या जोशी :
श्री झूलन सिंह :
श्री डाभी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री वीर स्वामी :
श्री गिडवानी :
श्री वोडयार :
श्री नेत्तूर प० दामोदरन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मैट्रिक परीक्षा उपरान्त अध्ययन के लिये योग्यता छात्र-वृत्तियां प्रदान करने से सम्बन्धित योजना की क्रियान्विति में क्या प्रगति की गई है; और

(ख) १९५६-५७ वर्ष के लिये दी गई छात्र-वृत्तियों की संख्या (राज्यवार) कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

(ख) अभी तक कोई नहीं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इन छात्र-वृत्तियों के लिये कुल कितनी राशि उपबन्धित की गई है ?

†**डा० म० मो० दास** : चालू वर्ष १९५६-५७ की अवधि में ४०० छात्र-वृत्तियों के लिये आय-व्ययक उपबन्ध २,७५,००० रुपये हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या किसी विशिष्ट वर्ग को कोई विशेष रियायत दी गई है ?

†**डा० म० मो० दास** : उम्मीदवारों का चुनाव करते समय केवल प्रविधिक पाठ्य-क्रमों के लिये श्रमिकों के बच्चों के विशिष्ट दावों पर ही विशेष ध्यान दिया जायगा।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या मैं जान सकता हूं कि योग्यता के सम्बन्ध किसी प्रकार का कोई विचार किये बिना यह योजना निर्धनता के आधार पर निर्धन विद्यार्थियों की किस प्रकार सहायता करेगी ?

†**डा० म० मो० दास** : छात्र-वृत्तियां देते समय दो बातों पर विचार किया जाता है—निर्धनता और योग्यता; केवल निर्धनता ही पर्याप्त नहीं होगी।

†**श्री म० कु० मैत्र** : सामान्यतया मैट्रिक के परिणाम मई या जून तक प्रकाशित हो जाते हैं। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि छात्र-वृत्तियों के लिये उन्होंने आवेदन-पत्र कब आमंत्रित किये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० म० मो० दास** : छात्र-वृत्तियां देने की यह योजना केवल चालू वर्ष में ही प्रारम्भ की गई है। छात्र-वृत्तियों की मंजूरी देर से दी गई थी और राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि १७ दिसम्बर, १९५६ है।

†**श्री म० कु० मैत्र** : मैंने पूछा था कि आवेदन-पत्र कब आमंत्रित किये गये थे।

†**डा० म० मो० दास** : ११ सितम्बर, १९५६ को आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या मैं जान सकता हूं कि योग्यता के प्रश्न का निर्णय किस प्रकार और कौन करेगा ? क्या कोई नई परीक्षा होगी ?

†**डा० म० मो० दास** : योग्यता का निर्णय विश्वविद्यालय परीक्षा परिणामों से किया जायेगा।

†**श्री नेत्तूर प० दामोदरन** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन छात्र-वृत्तियों के मामले में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिये क्या कोई अभ्यंश सुरक्षित किया गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : अनुसूचित तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिये एक पृथक् छात्र-वृत्ति है।

†**श्री गिडवानी** : चुनाव का ढंग क्या होगा ?

†**डा० म० मो० दास** : प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं। वह विशिष्ट राज्य सरकार सभी आवेदन-पत्रों को एकत्रित करेगी और सहयोजित करेगी और उस विशिष्ट राज्य को बंटित छात्र-वृत्तियों की संख्या के तीन गुना को केन्द्रीय सरकार के पास भेजेगी। केन्द्रीय सरकार एक समिति नियुक्त करेगी जो अन्तिम चुनाव करेगी।

†**श्री हेडा** : प्रश्न यह है कि क्या अन्ततः विद्यार्थी की योग्यता को देखा जायगा या समिति के पदाधिकारियों के विवेक को ?

†**डा० म० मो० दास** : विवेक का प्रश्न नहीं है। यदि विद्यार्थी के पिता या संरक्षक के पास काफी धन है तो विद्यार्थी इस छात्र-वृत्ति का पात्र नहीं हो सकता है; उस मामले में वह सरकार से इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि उत्तर प्रदेश के चार पहाड़ी जिलों के स्टुडेंट्स को कोई स्कालरशिप्स दिये गये हैं और खास तौर से टिहरी-गढ़वाल के स्टुडेंट्स को, क्योंकि मैं समझती हूं कि उनको कोई स्कालरशिप्स नहीं मिल रहे हैं।

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार छात्र-वृत्तियां बांटी जायेंगी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से आवेदन-पत्र प्राप्त करेंगे।

नेपा का समाचारपत्र के कागज का कारखाना

†*२५४. { + **श्री रा० प्र० गर्ग** :
श्री विश्व नाथ राय :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५५–५६ की अवधि में मध्य प्रदेश की नेपानगर समाचारपत्र के कागज के कारखाने का कुल उत्पादन क्या था;

(ख) यदि कारखाने में पूर्ण रूप से अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है तो कब तक होगा;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) देश में साक्षरता के फैलाव के कारण मांग में वृद्धि को देखते हुए भारत समाचारपत्र के कागज के उत्पादन में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा; और

(घ) १९५५–५६ की अवधि में विदेशों से (देशवार) किस प्रकार का कुल कितना अखबारी कागज मंगवाया गया था ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) ३,६५५ टन ।

(ख) वर्तमान परिस्थितियों के अधीन तथा मशीनरी और उपकरण की क्षमता के अनुसार उत्पादन पहिले ही ६० टन प्रति दिन के अधिकतम स्तर तक पहुंच चुका है । आशा है कि अगले वर्ष में गूदे के सन्यन्त्र में कुछ पुनःव्यवस्थापन के पूरा होने पर उत्पादन प्रति दिन १०० टन के स्तर तक, अर्थात् ३०,००० टन प्रति वर्ष तक जा पहुंचेगा ।

(ग) तथा (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में १९५५–५६ वर्ष में विदेशों से (देशवार) मंगवाये गये अखबारी कागज की मात्रा दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७**] । जहां तक कागज की किस्म का सम्बन्ध है सामान्यतया ऐसे अखबारी कागज का आयात किया जाता है जो यांत्रिक लकड़ी के गूदे से तैयार किया गया हो, जिसमें १० प्रतिशत से कम रेशा न हो । इस समय अखबारी कागज की हमारी वार्षिक आवश्यकता लगभग ८० से ९० हजार टन है और आशा है कि १९६०-६१ तक यह बढ़ कर १,२०,००० से १,४०,००० टन हो जायेगी । इसलिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम शकरनगर (हैदराबाद) में अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित कर रहा है जिस की वार्षिक क्षमता ३०,००० टन होगी । देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त क्षमता के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या नेपानगर कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति मास उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ?

†**श्री म० म० शाह** : जी, हां । पिछले वर्ष उत्पादन क्षमता ३,६५५ टन अर्थात् १२ टन प्रति दिन थी; अब यह ६० टन प्रति दिन है ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : सरकार ने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अखबारी कागज के आयात के सम्बन्ध में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की है ?

†**श्री म० म० शाह** : १९५६ में ६,६५,००,००० रुपये ।

श्री भक्त दर्शन : कई वर्षों से यह चर्चा चल रही है कि अखबारी कागज की कमी को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने तथा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कुछ प्रोपोजल्स भेजे थे जिन में अखबारी कागज बनाने के लिये कारखाने स्थापित करने के लिये सुझाव दिये गये थे । क्या मैं जान सकता हूं कि उनके बारे में क्या प्रगति हुई है ?

श्री म० म० शाह : ऐसी कोई इत्तिला हमारे पास नहीं है । हम जो कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में मैंने अपने उत्तर में बता दिया है । हम एक कारखाना पब्लिक सैक्टर में खोलने जा रहे हैं और एडिशनल केपेसेटी क्रियेट करने की कोशिश भी कर रहे ह ।

†**श्री बोस** : क्या यह मालूम करने के लिये कोई अनुसन्धान कार्य किया गया है कि कागज तैयार करने के लिये अपेक्षित बांस और विभिन्न प्रकार की घास आदि जैसा कच्चा माल देश में कहां प्राप्य है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री म० म० शाह** : वन महा निरीक्षक के सभापतित्व के अधीन पहिले से ही एक समिति नियत की जा चुकी है और उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। जहां तक अखबारी कागज का सम्बन्ध है, जर्मनी में इसे गन्ने की खोई से तैयार करने की नई विधि मालूम की गई है।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : अखबारी कागज के सम्बन्ध में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये अन्य स्थानों पर भी कुछ कारखाने स्थापित करने होंगे। क्या मद्रास राज्य में बवानीसागर स्थान पर कोई कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना है ?

†**श्री म० म० शाह** : मैं बता चुका हूं कि इस समय शकरनगर में एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। अन्य कारखानों के लिये स्थानों को नहीं चुना गया है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या अखबारी कागज के लिये कच्ची सामग्री की प्राप्यता के सम्बन्ध में त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कोई अनुसन्धान या गवेषणा की गई है ?

†**श्री म० म० शाह** : मैं बता चुका हूं कि वन महा निरीक्षक के सभापतित्व में समिति समस्त बात का पुर्नविलोकन कर रही है जिस में त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कच्ची सामग्री की बात भी है। अगले तीन महीनों के भीतर ही उनके प्रतिवेदन को सभा के समक्ष रख दिया जायेगा।

†**श्री हेडा** : क्या मैं जान सकता हूं कि शकरनगर का कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा या सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री म० म० शाह** : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम भारत सरकार का एक निजी सीमित समवाय है। इसलिये यह सरकारी क्षेत्र में होगा।

नेत्रहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में गोष्ठी

†*२५५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सितम्बर, १९५६ में नेत्रहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में मसूरी में जो गोष्ठी हुई थी, क्या सरकार को उसकी सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार किया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशें विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक

+

†*२५७. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जेलों में स्वतन्त्रता संग्राम के नेताओं के स्मारक बनाने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : स्वतन्त्रता संग्राम के राष्ट्रीय नेताओं के बलिदानों की स्मृति में, पत्थर या धातु पर उनके नाम लिख कर जेल में लगाने के केन्द्रीय सरकार के सुझाव को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की हैं। फिर भी, मांगी हुई सूचना उनसे एकत्रित की जा रही है और कुछ ही समय में वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : मैं प्रार्थना करता हूं कि अंग्रेजी में भी उत्तर पढ़ा जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय अंग्रेजी में भी उत्तर पढ़ दें ।

[मंत्री महोदय ने अंग्रेजी में उत्तर पढ़ कर सुनाया]

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि नेशनल लीडर यानी राष्ट्रीय नेताओं की परिभाषा क्या है ? क्या इसके अन्तर्गत देशी राज्यों में जिन्होंने आन्दोलन किया और जनता के अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश की, उनको भी सम्मिलित किया जायगा जैसे कि टिहरी-गढ़वाल की जेल में श्री देव सुमन का ८४ दिन की भूख हड़ताल के बाद देहांत हुआ था ?

श्री दातार : उसको भी सम्मिलित किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस तरह की हिदायतें जारी की गई हैं कि देर से देर मई, १९५७ तक यह स्मारक-पटल लगाने का काम पूरा हो जाये, जबकि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की पहली शताब्दी मनानें जा रहें हैं ?

श्री दातार : स्टेट गवर्नमेंट वह सब कार्य जल्दी से जल्दी करेगी ।

पश्चिम जर्मन टेक्निकल सहायता

†*२५८. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब प्रधान मन्त्री जुलाई, १९५६ में पश्चिम जर्मनी गये थे तो वहां की सरकार ने किस प्रकार की टेक्निकल सहायता प्रस्तुत की थी;

(ख) पश्चिम जर्मनी द्वारा भारतीय विद्यार्थियों के टेक्निकल प्रशिक्षण के लिये प्रस्तुत की गयी छात्र-वृत्तियों की शर्तों को क्या अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो कितने विद्यार्थी चुने जा चुके हैं; और

(घ) इन छात्र-वृत्तियों के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) पश्चिम जर्मन सरकार ने भारत में एक टेकनोलॉजीकल संस्थान की स्थापना के लिये सहायता प्रस्तुत की है । वहां की सरकार तथा अन्य संगठनों से भारतीयों के प्रशिक्षण के लिये अनेक छात्र-वृत्तियों के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं जिनकी कुल संख्या ८१२ है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) और (घ). इस प्रक्रम पर ये प्रश्न नहीं उठते ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन छात्र-वृत्तियों के लिये विद्यार्थियों का चुनाव कौन करता है ?

†**डा० म० मो० दास** : इन छात्र-वृत्तियों का ब्यौरा अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय मिलकर एक संयुक्त चुनाव निकाय उनके चुनने के लिये बनायेंगे ।

†**डा० म० मो० दास** : यह बाद में निश्चित किया जायेगा । वर्तमान स्थिति यह है । पश्चिमी जर्मनी की सरकार द्वारा तथा जर्मनी के अन्य संगठनों द्वारा जो प्रस्ताव किये गये हैं; प्रधान

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मंत्री ने उन्हें स्वीकार कर लिया और सुझाव दिया कि स्थापित किये जाने वाले संस्थान तथा छात्र-वृत्तियों के ब्योरे पर विचार करने के लिये एक जर्मन टेक्निकल मिशन भारत आये। वह टेक्निकल मिशन आ गया है तथा जर्मन टेक्निकल मिशन और भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति में विचार-बिमर्श हो रहा है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या उम्मेदवारों को बुलाने से पूर्व, आवेदन करने के लिये विज्ञापन किया जाता है ?

†**डा० म० मो० दास** : सामान्यतः यह किया जाता है। किन्तु जहां तक इन छात्र-वृत्तियों का प्रश्न है, अभी से विज्ञापन देने का प्रश्न नहीं उठता।

†**श्री ति० सु० आ० चेट्टियार** : क्या इस टेक्निकल सहायता से भारत में एक उच्चतर संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

†**डा० म० मो० दास** : जी, हां।

†**श्री ति० सु० आ० चेट्टियार** : किस क्षेत्र में इसे स्थापित किया जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : यह अभी निश्चित किया जाना है।

†**श्री केशव अय्यंगार** : किन-किन पाठ्य-क्रमों के लिये यह चुनाव होगा ?

डा० म० मो० दास : मैं बतला चुका हूं कि जर्मन टक्निकल मिशन यहां आ चुका है तथा उसमें और भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति में बातचीत चल रही है।

प्राइमरी अध्यापक

+

†*२५९. **श्री गिडवानी** :
श्री नि० बि० चौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अ० म० थामस :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा सरकार की इस प्रार्थना का कहां तक पालन किया गया है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया जाये; और

(ख) इस सम्बन्ध में १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में सरकार का राज्यों को कितनी राशि अनुदान के रूप में देने का विचार है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १५ राज्यों (आन्ध्र, आसाम, बिहार, हैदराबाद, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, त्रावनकोर-कोचीन, पश्चिमी बंगाल, सौराष्ट्र, बम्बई, भोपाल, मध्य भारत, मध्य प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश) की सरकारें वेतन-क्रम में वृद्धि करने के लिये सहमत हो गयी हैं।

(ख) १९५६–५७ में भारत सरकार कुल व्यय का ५० प्रतिशत वहन करेगी।

†**श्री गिडवानी** : उनके वेतन-क्रम क्या होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वेतन-क्रम राज्य प्रति राज्य भिन्न-भिन्न होंगे। हमने सुझाव रखा था कि अप्रशिक्षित अध्यापक का न्यूनतम वेतन ४० रु० और शिक्षित अध्यापक का ५० रु० हो। किन्तु वेतन-क्रम राज्य प्रति राज्य भिन्न-भिन्न हैं। उन्हें स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखना पड़ता है।

†**श्री गिडवानी** : क्या कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित हुआ है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं ने बतलाया कि हमारी सिफारिश क्या थी। हम राज्य सरकारों के लिये वेतन-क्रम निर्धारित नहीं कर सकते। हमने सिफारिशें की थीं। केवल दो-तीन को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों ने इन्हें स्वीकार कर लिया है: आन्ध्र में यह अब भी २५ रु० से कम है; बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में यह अब भी ४० रु० से कम है।

†**श्री अ० म० थामस** : जिन राज्यों ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं उनमें मंत्री जी ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य का भी नाम लिया। किन्तु मेरी सूचना यह है कि वहां की सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा सिफारिश की गयी न्यूननतम राशि स्वीकार नहीं की है और अध्यापकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की सिफारिश को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है, विशेषकर जब कि त्रावनकोर-कोचीन इस समय केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : स्थिति यह है। हमने कहा है कि बढ़े हुए खर्चे का हम केवल ५० प्रतिशत वहन करेंगे। शेष ५० प्रतिशत खर्चा राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। यदि राज्य सरकारें बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये अतिरिक्त साधन नहीं जुटा सकी हैं अथवा आवश्यक आन्तरिक समायोजन नहीं कर सकी हैं, तो स्वभावतः ही वे केन्द्रीय सरकार की सिफारिशें स्वीकार नहीं कर सकतीं।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या सरकार की सिफारिश यह है कि न्यूनतम ४० रु० हो जब कि पांच वर्ष या उससे भी पूर्व वेतन आयोग ने ५५ रु० न्यूनतम वेतन की सिफारिश की थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमें वास्तविक विद्यमान परिस्थितियों पर विचार करना पड़ता है। अब भी, हमारे प्रयत्न के बावजूद भी, राज्य सरकारें उनके वेतन को बढ़ा कर ४० रु० नहीं कर सकी हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : ४० अथवा ५० रु० की यह राशि क्या भत्ते सहित है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं, यह आधारभूत वेतन है।

†**श्री साधन गुप्त** : भत्ते क्या अपेक्षित किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : भत्ते उसके अतिरिक्त हैं।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : वेतन-क्रम बढ़ाने में अतिरिक्त व्यय कितना होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्राक्कलन किया गया है कि केन्द्रीय सरकार को कुल ३ करोड़ रुपया का व्यय करना होगा।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या ४० रु० की इस राशि में टिहरी-गढ़वाल जैसे राज्य का पहाड़ का भत्ता तो सम्मिलित नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ४० रु० आधारभूत वेतन है। इसमें भत्ते सम्मिलित नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सीमेंट का वितरण

†*२६०. { श्री राम कृष्ण :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से सरकार ने सीमेंट व्यवसाय अपने हाथ में लिया है तब से क्या सीमेंट के उचित वितरण में कोई सुधार हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि सीमेंट उत्पादकों को (द्वार पर) कुछ सीमेंट बेचने की जो छूट मिली हुई थी वह बन्द कर दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो, (१) इसका कारण और (२) इस प्रकार सार्वजनिक विक्रय के लिये सीमेंट की कितनी मात्रा उपलब्ध हुई है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)**: (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) (१) वितरण पर उचित नियन्त्रण के हित में, सीमेंट फैक्टरियों के दरवाजे पर बिना परमिट की जाने वाली बिक्री बन्द कर दी गयी है; (२) इसे बन्द करने से पूर्व भी, दरवाजे पर बिक्री बहुत थोड़ी फैक्टरियों तक ही सीमित थी और इस प्रकार बची मात्रा, यद्यपि यह थोड़ी ही है, सामान्य आवंटन में सम्मिलित कर ली गयी है।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या सरकार का विचार उत्पादकों की विद्यमान एजेंसी प्रथा को समाप्त करने का है ?

†**श्री म० म० शाह** : राज्य व्यापार निगम ने यह अपने हाथ में ले लिया है। वे अब राज्य व्यापार निगम के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या आसाम सरकार को 'पूल सिस्टम' में सम्मिलित कर लिया गया है अथवा अब भी यह उससे अलग है ?

†**श्री म० म० शाह** : दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक यह इसमें आ जायेगी। आगामी कुछ मासों के लिये वह नदी परिवहन शुल्क के रूप में लगभग १५ रु० अतिरिक्त देगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर माननीय मन्त्री ने स्वीकारात्मक दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि यह उत्तर किस आधार पर दिया गया है ?

†**श्री म० म० शाह** : प्रथम तो जो दुतरफा परिवहन हो रहा था उसे हम सुचारित कर सके हैं। दूसरे, वे सब आवंटन जो प्राथमिकता के आधार पर होते हैं, सरकार उनका समुचित नियन्त्रण करने में समर्थ हुई है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या मंत्री जी को पता है कि भारत में कहीं भी सीमेंट वास्तविक उपभोक्ता के लिये उपलब्ध नहीं है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

†**श्री म० म० शाह** : हमें यह चीज विदित नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि सीमेंट का मिलना आजकल किंचित् कठिन है। जन-साधारण की मांग को यथासम्भव पूरा करने के लिये हम लगभग सात लाख टन सीमेंट आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इसीलिये मैंने पूछा था कि उक्त उत्तर का आधार क्या है। इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा यह काम अपने हाथ में लिये जाने के बाद से सीमेंट के वितरण में सुधार हुआ है। वास्तव में, सुधार हुआ नहीं है। बाद को माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सात लाख टन सीमेंट आयात करने जा रहे हैं। सदन में इस प्रकार के उत्तर क्यों दिये जाते हैं ? हर रोज यही होता है।

†**श्री म० म० शाह** : तथ्य रूप से उत्तर सही है और मूलतः सही है। विगत वितरण की अपेक्षा सुधार हुआ है। देशी उत्पादन में वृद्धि होने से तथा आयात से उपलब्धता बढ़ गयी है और वितरण प्रथा में भी सुधार हुआ है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने विगत वितरण के सम्बन्ध में कहा। जहां कहीं भी सीमेंट फैक्टरी है, उस क्षेत्र के उपभोक्ता फैक्टरी के दरवाजे पर होने वाली बिक्री में सीमेंट खरीदा करते थे। अब उनको बहुत कठिनाई हो रही है। फिर भी यह कहा जाता है कि वितरण प्रथा में सुधार हुआ है।

†**श्री म० म० शाह** : मेरा निवेदन यह है कि शब्द 'दरवाजे पर बिक्री' का अर्थ उचित रूप से नहीं समझा जाता। इसका यह अर्थ कभी नहीं था कि स्थानीय उपभोक्ता फैक्टरी के दरवाजे पर खरीदते हैं। दरवाजे की बिक्री छोटे कामों के लिये एक या दो बोरे की जो कुल उत्पादन के १/८ प्रतिशत से अधिक न हो, की जाती थी। जब सरकार की निगाह में यह बात आयी कि इस बहुत मामूली-सी बिक्री का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, तो हमने इसे बन्द कर दिया।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री जी को तथा सदस्यों को मेरा सुझाव है कि जब कभी कोई ऐसा प्रश्न उठे जिस में किसी बात के कार्यकरण अथवा किसी चीज के वितरण के विषय में मतभेद हो, तो प्रश्नावली के ठीक पश्चात् माननीय मन्त्री कोई समय निर्धारित कर लिया करें जब कि सदस्यगण उनसे अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर सकें। इससे सदन में पूछे जाने वाले अनेक प्रश्नों पर खर्च हुआ समय बच जायेगा।

†**श्री म० म० शाह** : मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं और सदस्यों से मिलकर मुझे प्रसन्नता होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कह सकते हैं कि "हम आधे घण्टे की चर्चा चाहते हैं"। शाम को भी मैं संसद् सदस्यों से मिलूंगा।

कुतुब मीनार

†***२६१. श्री ब० द० पांडे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुतुब मीनार की चोटी तक पहुंचने का रास्ता बहुत अन्धेरा और तंग है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें बिजली लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री ब० द० पांडे** : क्या सरकार को मालूम है कि इस स्थान पर जेब-कतरे अपना काम करते हैं और स्त्रियों को छेड़ा जाता है ? यह शिकायत की गई है और इसे रोका जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० म० मो० दास** : हमें अभी तक स्त्रियों के छेड़े जाने या जेब-कतरों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त, वहां एक पुलिस का सिपाही भी नियुक्त है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या इसमें बिजली लगाने का कोई प्रस्ताव है ? इसके लिये शिकायत किये जाने की जरूरत नहीं है ।

†**डा० म० मो० दास** : नहीं ।

†**श्री वेलायुधन** : इसमें बिजली न लगाने का क्या कारण है ?

†**डा० म० मो० दास** : धन की कमी । आवश्यकता भी नहीं है । ७५० वर्षों से यह ऐसा ही है ।

†**श्री ब० द० पांडे** : ७५० वर्ष पूर्व बिजली नहीं थी । अब आधुनिक युग में अवश्य होनी चाहिये ।

†**श्री अ० म० थामस** : बिजली लगाने के प्रश्न के अतिरिक्त हमारा अनुभव है कि जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं, एक सांस रोकने वाली दुर्गंध आती है । क्या सीढ़ियों को साफ करने की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती है ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं इस मामले की जांच करूंगा ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : रास्ते में धूल होने या इस के अन्धेरे होने से भी इन्कार किया गया है धूल कम या अधिक हो सकती है किन्तु इस बात से किसी को इन्कार नहीं करना चाहिये कि रास्ता अंधेरा और तंग और गन्दा है । यद्यपि हम सब यही अनुभव करते हैं, फिर भी सरकार ने इस बात का प्रतिवाद किया है ।

†**डा० म० मो० दास** : हमारी कुछ कठिनाइयां हैं । यदि हम अधिक हवा चाहते हैं; तो खिड़कियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या रास्ता अंधेरा और तंग है और उत्तर 'नहीं' है । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह वास्तव में इसका प्रतिवाद करते हैं कि रास्ता अंधेरा और तंग है ?

†**श्री अ० म० थामस** : और गंदा भी ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : और गंदा भी, किन्तु प्रश्न यह था कि क्या वह अंधेरा और तंग है ?

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या मंत्री महोदय वहां गये हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : पहली मंजिल की १० या १२ सीढ़ियों में अंधेरा होता है और इसका कारण यह है कि इस रोशनी से अंधेरे में जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री फिर वहां जा कर देखें तो कोई हानि नहीं ।

दिल्ली में खुली नाट्यशाला

†*२६५. **श्री काजरोलकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में एक खुली नाट्यशाला बनाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो इस के लिये कौन-सा स्थान चुना गया है और इसकी अनुमानित लागत क्या है,

(ग) नाट्यशाला में कितने व्यक्तियों के लिये स्थान होंगे, और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) क्या इसका प्रयोग केवल सरकारी समारोहों तक सीमित होगा या इसे गैर-सरकारी समारोहों के लिये, भी प्रयोग करने दिया जायेगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). तालकटोरा बाग में बनायी गयी खुली नाट्यशाला में सुधार करने का विचार है। प्राक्कलन अभी तैयार नहीं किये गये।

(ग) वर्तमान नाट्यशाला में २,००० व्यक्ति आ सकते हैं।

(घ) नाट्यशाला के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्णय तब किया जायेगा जब इस मंत्रालय को स्थायी रूप से भूमि आवंटित कर दी जायेगी।

†**श्री काजरोलकर** : इस नाट्यशाला का प्रबन्ध कौन करेगा और क्या उसमें उस क्षेत्र के गरीब निवासियों के लिये प्रलेखीय और शिक्षात्मक फिल्में निःशुल्क दिखाने का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इन सब प्रश्नों पर नाट्यशाला को स्थापित करने के अन्तिम निर्णय के बाद विचार किया जायेगा।

†**श्री वेलायुधन** : क्या इस खुली नाट्यशाला की इमारत के निर्माण के सम्बन्ध में पश्चिमी नमूनों के अध्ययन के लिये किसी व्यक्ति को विदेशों में भेजा गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उसे खुली नाट्यशाला के सम्बन्ध में नहीं बल्कि राष्ट्रीय नाट्यशाला सम्बन्धी योजनाओं के अध्ययन के लिये भेजा गया था।

†**श्री वेलायुधन** : विदेशों में नाट्यशालायें देखने के लिये उस व्यक्ति को भेजने पर कितना रुपया खर्च किया गया था ?

†**डा० का ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य खुली नाट्यशाला के प्रश्न से हट कर राष्ट्रीय नाट्यशाला के मामले में जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस प्रश्न के विषय से बहुत दूर जा रहे हैं।

टेक्निकल कर्मचारी

†*२६६. { **सरदार अकरपुरी** : +
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या योग्यता प्राप्त टेक्निकल कर्मचारियों के सम्बन्ध में उद्योग वार आंकड़े तैयार करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या पग उठाये गये हैं।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)**: (क) और (ख). जी हां, किन्तु इस प्रस्ताव का ब्योरा अभी तैयार किया जा रहा है।

जीवन बीमा कारबार

†*२६८. { **डा० राम सुभग सिंह** : +
श्री तुलसी दास : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद जीवन बीमा कारबार में प्रति मास क्या प्रगति हुई है; और

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) भारत के जीवन बीमा निगम के अन्तर्गत जीवन बीमा कारबार के विस्तार के लिये सरकार ने क्या विशेष पग उठाये हैं या उठाने का विचार कर रही है ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). १९ जनवरी, १९५६ के बाद किये गये नये जीवन बीमे के मासवार आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं । सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि ३१ अगस्त, १९५६ तक किया गया कारबार पहले वर्ष के तत्स्थानी अवधि के बराबर था तथापि १९ जनवरी से ३० जून तक किये गये कारबार के कुल आंकड़े उपलब्ध हैं अर्थात् ९५ करोड़ रुपये । १९५५ की तत्स्थानी अवधि में लगभग ७८ करोड़ रुपये का कारबार हुआ था । एकीकरण और पुर्नगठन की प्रक्रिया के कारण जिस से विभिन्न एकक समाप्त हो जायेंगे और उनके स्थान पर क्षेत्रीय और विभागीय कार्यालय स्थापित होंगे १ सितम्बर, १९५६ से कारबार के कम हो जाने की सम्भावना है । संक्रमण काल लगभग समाप्त हो चुका है । हम ऐसे कारबार के लिये कोशिश कर रहे हैं जिस से भारी हानि न हो और जो अस्ली कारबार हो । यह मामला तथा अन्य मामले जिस से जीवन बीमा कारबार अच्छे तरीके से आगे बढ़ें सक्रिया रूप से निगम के विचाराधीन हैं ।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या यह सच है कि बीमा निगम के अधीन क्षेत्रीय और विभागीय स्तर पर लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पर एक विशिष्ट बीमा कम्पनी के कर्मचारियों का जो राष्ट्रीय-करण से पहले थी, एकाधिपत्य है और इसके फलस्वरूप बीमा कारबार को हानि पहुंची है और यदि हां, तो सरकार का पग उठाने का क्या विचार है ?

†**श्री म० च० शाह** : मैं सुन नहीं सका ।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या क्षेत्रीय विभागीय और जिला स्तर पर बीमा निगम के प्रबन्धकीय स्थापन पर एक विशिष्ट बीमा कम्पनी के कर्मचारियों का एकाधिपत्य है और यदि हां, तो क्या कारबार की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मेरे विचार में माननीय सदस्य द्वारा कही गई दो बातों को कार्य कारण नहीं कहा जा सकता । यदि माननीय सदस्य मुझे यह जानकारी देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री ने जो आंकड़े दिये हैं; क्या वे पुराने कारबार के बारे में हैं या नये कारबार के बारे में ?

†**श्री म० च० शाह** : ये आंकड़े नये कारबार के हैं ।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : क्या नये वेतन-क्रम निश्चित करने, बोनस बन्द कर देने और बोनस के बदले प्रतिकर न देने से भावी कारबार पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है क्योंकि कर्मचारियों में कुछ असंतोष पैदा होता है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : वे लोग जिन के वेतन क्रम का प्रश्न उठाया गया है, बीमा कारबार बढ़ाने का काम नहीं करते । किन्तु सम्भव है कि इस आन्दोलन से उत्पन्न अनुशासन-हीनता से निगम का काम कम हो जायेगा ।

†**श्री देवेश्वर सर्मा** : क्या यह सच है कि कुछ स्थानों पर कारबार की उचित व्यवस्था नहीं की जाती और संसद् के सदस्य इस स्थिति की ओर ध्यान दिलान के लिये निगम के अध्यक्ष को जो पत्र लिखत हैं, उनका उत्तर नहीं दिया जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य अध्यक्ष की बजाय मुझे पत्र या पत्रों की प्रतिलिपियां भेजे, तो मैं अवश्य उनकी ओर और ध्यान दूंगा और यह भी देखूंगा कि कोई पत्र बिना उत्तर के तो नहीं रह जाते । किन्तु जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि इसका कारण यह है कि बोमा निगम में कर्मचारियों सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक नहीं है । अनुशासन की कमी प्रत्यक्ष है और इससे निगम की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है ।

†श्री साधन गुप्त : मंत्री महोदय ने अनुशासनहीनता के बारे में कहा है । आन्दोलन वेतन-क्रमों में कटौती और विशेषकर बोनस के अधिकार को बन्द कर देने के बारे में है, जो कि भूतपूर्व कम्पनियों में स्वीकार किया जा चुका था । क्या मंत्री महोदय का यह विचार है कि यदि कर्मचारी वेतन-क्रमों में कटौती के विरुद्ध और अपने अधिकारों को बनाये रखने के लिये आन्दोलन करें, तो यह अनुशासन-हीनता है ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या हम इस प्रश्न पर तर्क-वितर्क कर रहे हैं ? माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अनुशासन की कमी और वेतन स्थिति के सुधार के लिये अभ्यावेदन करना तो बिल्कुल भिन्न मामले हैं । कुछ हद तक आन्दोलन हो सकता है । किन्तु अनुशासन-हीनता एक और बात है । मैं माननीय सदस्यों को एक ऐसी घटना बताता हूं जो मैंने देखी है, मैं मद्रास में मुख्यालय देखने गया था । लगभग ११–४५ पर जब मैं वहां पहुंचा तो सीढ़ियों का रास्ता २०० कर्मचारियों ने रोक रखा था । जब मैं लिफ्ट से ऊपर गया, तो ये सब कर्मचारी बाहर आ गये और ११–४६ से १–१५ तक नारे लगाते रहे । यह नहीं कहा जा सकता कि उनके काम का क्या हुआ । यदि यह अनुशासनहीनता नहीं है, तो और क्या चीज है ?

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वही दल जिस से माननीय सदस्य का सम्बन्ध है, इस अनुशासन हीनता को हवा दे रहे हैं ।

†श्री साधन गुप्त : इसे सिद्ध कीजिये, यह झूठ है ।

†अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : तथ्य विरोधी पक्ष के लिये झूठ सिद्ध हो सकते हैं ।

†श्री साधन गुप्त : वह सिद्ध करें और अनुत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य न दें ।

विशेष रियायती टिकिट की रियायत

†*२७०. { +श्री भक्त दर्शन :
श्री त० ब० विट्ठलराव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री काजरोलकर :
श्री वोडयार :
श्री नेत्तुर प० दामोदरन : }

क्या गृह-कार्य मंत्री ३१ अगस्त, १६५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष रियायती टिकिट की सुविधायें देने क मामले के वित्तीय पहलू पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सब संगत बातों पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को एक भिन्न तरीके से यात्रा सम्बन्धी रियायतें देने का निर्णय किया गया है। जारी किये गये आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]**

श्री भक्त दर्शन : यह जो आर्डर प्रकाशित किया गया है इसके पैराग्राफ २ में यह शर्त लगाई गई है कि जिन सरकारी कर्मचारियों का घर २५० मील से कम दूरी पर होगा उन्हें यह पी० टी० ओ० कंसैशन की सुविधा नहीं मिलेगी, मैं जानना चाहता हूं कि यह शर्त क्यों रखी गई है और क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि केन्द्रीय सरकार के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लोग अधिकांशतः हिमाचलप्रदेश, टिहरी-गढ़वाल और देहरादून आदि प्रदेशों से आते हैं और चूंकि उनके घर २५० मील से कम दूरी पर हैं इसलिये वे हजारों कर्मचारी इस सुविधा से वंचित रह जायेंगे ?

†**श्री दातार** : प्रश्न इतना लम्बा है कि मैं समझ नहीं सका । क्या माननीय सदस्य इसे भागों में बांट कर पूछेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : यह तो सीधा सवाल है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें एक शर्त्त यह रखी गई है कि कम से कम २५० मील की दूरी पर जिसका घर होगा उसको ही यह सुविधा दी जायगी, मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि २५० मील की यह शर्त लगाई गई है ?

श्री दातार : २५० मील के अन्दर रहने वालों को अपने घर जाने में मुश्किल नहीं होती है, अलबत्ता २५० मील से ऊपर जिन लोगों के घर हैं उनको बहुत मुश्किल होती है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि केन्द्रीय सरकार का जो सेक्रेटेरियट है उसमें तीसरे और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और चूंकि वे २५० मील से कम दूरी के रहने वाले हैं इसलिये वे इस पी० टी० ओ० कंसैशन की सुविधा से वंचित हो जायेंगे और क्या इस पर भी गवर्नमेंट द्वारा विचार किया गया है ?

श्री दातार : इस चीज के बारे में गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशंस आये हैं और गवर्नमेंट विचार कर रही है ।

†**श्री वेलायुधन** : पुराने नियमों की तुलना में नये जारी किये गये नियमों में परिवर्तन क्यों किया गया है ?

†**श्री दातार** : पुराना नियम केवल एक वर्ष तक लागू रहा । यह निर्णय किया गया था कि यात्रा सम्बन्धी सुविधा केवल उन व्यक्तियों को दी जाये, जो अपने घर जाना चाहते हैं । उद्देश्य यह नहीं था कि उन व्यक्तियों को भी रियायतें दी जायें, जो सारे भारत की सैर करना चाहते हैं ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†*२७१. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७४ के उत्तर के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन की पूर्त्ति हेतु रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन के कार्य संचालन की जांच के लिये बनाई गई समिति के सदस्यों के क्या क्या नाम हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या समिति ने कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) वित्त मन्त्रालय और नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई थी। तदुपरान्त नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के लिये यह सम्भव नहीं हो सका कि उनका नाम निर्देशित व्यक्ति समिति में काम करे। अतः अब वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एम० आर० मिडे, आई० सी० एस० समिति में हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) रिपोर्ट यथा सम्भव शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

†**श्री गिडवानी** : समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

†**श्री अ० चं० गुह** : प्रशासन के सामान्य संचालन का अध्ययन करना ताकि व अपना कर्त्तव्य करते हुए अधिक चातुर्य एवं गति के साथ काम कर सकें।

†**श्री गिडवानी** : समिति अपना काम कब प्रारम्भ करेगी तथा रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरा विचार है कि हमने हाल ही में कार्य आरम्भ किया है और जैसा मैंने बताया है कि वह यथासम्भव शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

कमीशन प्राप्त पदाधिकारी

†*२७२. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३१ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थायी कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिये सिफारिश करने के लिये चुनाव बोर्ड स्थापित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक बनाया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) तथा (ख). अस्थायी पदाधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के विषय पर सेना के मुख्यालय और सरकार निरन्तर विचार कर रहे हैं। उन सब अस्थायी पदाधिकारियों को जो स्थायी कमीशन वाले पद के लिये निर्धारित शर्तों की पूर्त्ति करते हैं; कमीशन प्रदान कर दिये जाते हैं। यह सैन्य प्रशासन का नियमित लक्षण है। इस कार्य के लिये एक विशेष चुनाव बोर्ड की स्थापना करना सरकार आवश्यक नहीं समझती है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या मैं उन अस्थायी कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों की संख्या जान सकता हूं जिन्हें स्थायी कमीशन दिया गया है ?

†**सरदार मजीठिया** : इस प्रश्न का उत्तर देना लोक हित के विरुद्ध होगा।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव बोर्ड की अनुपस्थिति में अस्थायी कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का क्या माप दण्ड है ?

†**सरदार मजीठिया** : सेवा का रेकार्ड, उनकी दक्षता, उपयोगिता एवं रिक्त स्थानों की संख्या ही इसका माप-दण्ड है।

†**श्री बलायुधन** : क्या बहावलपुर के उन कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों को जिन्होंने भारतीय संवर्ग के साथ विलीन होने की इच्छा प्रकट की थी, भारतीय सैन्य नियमों के अनुसार पैन्शन दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न चुनाव बोर्ड से सम्बन्धित है पैन्शनों से नहीं ।

†**श्री वेलायुधन** : बहावलपुर के उन भूतपूर्व पदाधिकारियों ने भारतीय संवर्ग में शामिल होने के लिये इच्छा प्रकट की थी और उनका यहां चुनाव कर लिया गया था तथा पेंशन दी जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या किन्हीं कमीशन प्राप्त स्थायी पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासन सेवा की आपातकालीन परीक्षा में बैठने से रोका गया है ।

†**सरदार मजीठिया** : पिछले सत्र में इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है और मैंने बता दिया है कि स्थायी पदाधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देने की अनुमति नहीं दी गई ।

कागज़ उद्योग के लिये विशेषज्ञ समिति

*२७५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री १ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज़ उद्योग के कच्चे माल के साधनों का सर्वेक्षण करने के लिये विशेषज्ञों का जो दल नियुक्त किया गया था, क्या उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उस दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) : (क) से (ग). दो अन्तरिम नोट प्राप्त हुए हैं । आशा है कि अन्तिम रिपोर्ट ३ महीने के अन्दर मिल जायेगी, तभी उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह पैनल नियुक्त किया गया था, उसने अभी तक अपने काम में क्या प्रगति की है और क्या अड़चनें पड़ रही हैं जिसके कारण देरी हो रही है ?

श्री म० म० शाह : कोई खास अड़चन नहीं है । दो दफे इस पैनल की रिपोर्ट आई है, और हिन्दुस्तान में जितने राज्य हैं, उनके फारेस्ट्स (वन) के जितने इंस्पेक्टर-जेनरल हैं, उनको चिट्ठी भेजी गई है । उनके पास से काफी डेटा आ भी गया है, और जो दो नोट प्राप्त हुए हैं उनके बेसिस (आधार) पर रिपोर्ट शीघ्र ही बनने वाली है ।

श्री भक्त दर्शन : देर से देर कब तक वह अपनी रिपोर्ट दे सकेंगे, क्या उन्होंने अपनी कोई तिथि बतलाई है ?

श्री म० म० शाह : मैंने बताया कि आशा की जाती है कि तीन महीने के अन्दर उन की अन्तिम रिपोर्ट आ जायेगी ।

खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में अधिमान

†*२७७. { **श्री स० चं० सामन्त** :+
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत खेलकूद परिषद् ने मंत्रालय से सिफारिश की है कि उच्च कोटि के क्रिकेट खेलने वाले तथा दूसरे प्रतिभाशील खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में अधिमान दिया जाये;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या निर्णय है; और

(ग) विदेशी सरकारों द्वारा कितने भारतीय खिलाड़ियों को खिलाड़ी के रूप में उनकी विशेषता के कारण नौकरी में लिया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) सरकार के पास जानकारी नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या भारत में क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड ने सरकार के समक्ष कोई प्रतिनिधान प्रस्तुत किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : भारत में क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या सरकार के पास उन पदों के बारे में कोई ब्योरा है जिनके लिये खिलाड़ियों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार के पास कोई जानकारी नहीं हैं; इन स्थानों पर नियुक्ति भी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : एक महीना पहले मैंने प्रश्न रखा था कि क्या क्रिकेट नियन्त्रण बोड तथा इस प्रकार की दूसरी संस्थाओं से यह पूछा गया था कि विदेशी सरकारों द्वारा किन-किन व्यक्तियों को नौकरी दी गई है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : स्थिति यह है कि सरकार के पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि विदेशी सरकारों द्वारा क्रिकेट के खिलाड़ियों को किस प्रकार नौकरी दी गई है । इस जानकारी के संग्रह में विपुल धन एवं समय चाहिये । यदि आपकी सम्मति में यह जानकारी महत्वपूर्ण है तो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी किन्तु नम्रतापूर्वक मेरा निवेदन है कि इसके लिये अत्यधिक धन और समय चाहिये जो वस्तुतः आवश्यक नहीं है ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं । मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि कोई विदेशी सरकार इन खिलाड़ियों को नौकरी नहीं देती है । यह सच है कि कुछ क्लब इनके साथ करार करते हैं ताकि यह खिलाड़ी उक्त क्लबों की ओर से खेल सकें ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह विदेशी क्लब हमारे खिलाड़ियों को रुपया देते हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : जी हां, मैंने यही कहा है । उनका परस्पर करार होता है और करार की शर्तों के अनुसार क्लब क्रिकेट के खिलाड़ियों को रुपये देता है तथा यह लोग वहां जाकर अपना करार पूरा करते हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार भारतीय क्लबों को इस प्रकार का अवसर देगी कि वे भी क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार के करार कर सकें ?

†**सरदार मजीठिया** : व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि यदि कुछ भारतीय क्लब इन खिलाड़ियों के सामने करार के प्रस्ताव रखें तो वह स्वीकार कर लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बुद्ध का स्मारक

+

†*२७८. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५००वीं बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती के सम्बन्ध में नई दिल्ली में प्रस्तावित स्मारक का डिजाइन निश्चित करने के प्रश्न पर अब निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो डिजाइन और तत्सम्बन्धी वित्तीय पहलुओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है सम्भवत् अगले पखवाड़े में कर लिया जायेगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि बुद्ध धर्म सम्बन्धी वस्तुओं का एक संग्रहालय दिल्ली में स्थापित किया जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक २५००वीं बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती की स्मृति स्वरूप कोई स्मारक बनाने के विशिष्ट प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : कुछ महीने पूर्व स्मारक स्थान पर एक वृहद् सभा हुई थी । क्या यह स्मारक पूरा किया जा रहा है अथवा नहीं ?

†**डा० म० मो० दास** : स्मारक के लिये उपयुक्त योजना अथवा डिजाइन का चुनाव करने में कुछ कठिनाई है । समुचित डिजाइन के लिये हमने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा कर दी थी किन्तु पुरस्कृत रचनायें कार्यकारिणी समिति की दृष्टि में उपयुक्त नहीं जंची । अतः हम पुनः उपयुक्त डिजाइन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनमें से चुनाव कर लिया जायेगा ।

†**श्री कासलीवाल** : यदि मैंने माननीय मंत्री की बात ठीक प्रकार समझी है तो उन्होंने कहा था कि डिजाइन का लगभग एक पखवाड़े में निर्णय कर लिया जायेगा । क्या वह भारत में बुद्ध जयन्ती समारोह में आये हुए विदेशी प्रतिनिधियों से परामर्श करेंगे ?

†**डा० म० मो० दास** : जी, नहीं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : स्थान की सिफारिश कार्यकारिणी समिति द्वारा की गई थी अथवा मंत्रालय द्वारा और यदि स्मारक नहीं बनाया जा रहा है अथवा डिजाइन के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है तो उक्त सभा का आधार क्या था ?

†**डा० म० मो० दास** : यह एक विशेष स्थान है । २५००वीं बुद्ध जयन्ती की स्मृति स्वरूप दिल्ली में एक स्मारक बनाने का निर्णय किया गया है । कदाचित् माननीय सदस्य द्वारा शिलान्यास की ओर निर्देश किया गया है । प्रस्तावित स्मारक का शिलान्यास प्रधान मंत्री ने कुशक व्यू, नई दिल्ली में २३ मई, १९५६ को एक भव्य समारोह के बीच किया था । यही वह स्थान है । शिलान्यास पहले किया जा चुका है तथा स्मारक पूरा होना शेष है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस कार्य के लिये कोई समिति बनाई गई है और किसी फर्म (सार्थ) के इंजीनियर अथवा कलाविद् भी इस डिजाइन में सम्मिलित हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० म० मो० दास** : डिजाइन का अभी चुनाव नहीं किया गया है। जब डिजाइन चुन लिया जायेगा तब इस पर विचार किया जायेगा कि भवन का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग करेगा अथवा टेंडर आमंत्रित किये जायेंगे। इसके लिये कोई विशेष समिति नहीं है किन्तु जयन्ती सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यों के संचालन के लिये डा० राधाकृष्णन के सभापतित्व में एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति स्थापित की गई है।

परिसीमन आयोग

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दी० चं० शर्मा, श्री भागवत झा आजाद, श्री गुरुपादस्वामी, श्री गाडिलिंगन गौड––कोई भी यहां नहीं हैं। क्या माननीय मंत्री इसका उत्तर देना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है अतः माननीय मन्त्री इसका उत्तर दे दें।

†*२७९. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प० शि० गुरुपादस्वामी :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आयुक्त ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का स्वरूप क्या है ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) जी, नहीं। परिसीमन आयोग के लिये प्रतिवेदन उपस्थित करना आवश्यक नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ की धारा ४७ की उपधारा (२) के अनुसार आयोग संसदीय तथा विधान सभायी निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिसीमन आदेश तैयार करेगा। आयोग द्वारा कार्य समाप्त कर लेने के पश्चात् ही आदेश प्रकाशित किया जायेगा। कार्य अभी प्रगति पर है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था ?

†**श्री विश्वास** : परिसीमन आयोग ने राजस्थान को छोड़ कर लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपना काम समाप्त किया है। राजस्थान के बारे में काम इस महीने के अन्त तक समाप्त होगा। इस में दो दिन लग जायेंगे और मैं समझता हूं कि उन्होंने यह मामला २० नवम्बर को हाथ में लेने का निश्चय किया है।

†**श्री अ० म० थामस** : संसद् तथा विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग कब तक अपना अन्तिम आदेश जारी करेगा ?

†**श्री विश्वास** : जैसे कि मैं निवेदन कर चुका हूं, काम लगभग समाप्त हो चुका है। इसके पश्चात् और विस्तार की बातों पर विचार किया जायगा। तथा आदेश को अन्तिम रूप दिया जायगा। मेरा विश्वास है कि यह दिसम्बर के अन्त के पहले ही उपलब्ध होगा।

†**श्री कासलीवाल** : पहले हमारा विचार था कि परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश ३१ अक्तूबर से पूर्व जारी होगा। अब मंत्री महोदय के कथनानुसार यह ३१ दिसम्बर तक जारी होगा। क्या आगामी चुनाव में किसी विलम्ब की सम्भावना है ?

---

†मुल अंग्रेजी में।

†**श्री विश्वास** : मैंने कार्यपूर्ण होने तथा आदेश जारी होने का लगभग दिनांक दिया है। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। हो सकता है कि यह पहले हो किन्तु यह दिसम्बर के बाद नहीं होगा। इसका सामान्य निर्वाचन पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा, सो तो अलग बात है।

†**श्री हेडा** : मंत्री महोदय ने बताया कि राजस्थान को छोड़ कर सारे राज्यों में काम समाप्त हो गया है। मेरी सूचना यह है कि आंध्र प्रदेश के तैलंगाना क्षेत्र में अभी भी काम शुरू नहीं किया गया है।

†**श्री विश्वास** : मेरे हाथ में परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की वह चिट्ठी है जो कि मुझे कल मिली है। मैं वही सूचना दे रहा हूं जोकि इस में दी गई है।

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय मंत्री ने बताया कि यह ३१ दिसम्बर से पहले भी हो सकता है। क्या सरकार के पास निर्वाचन आयोग का कोई अन्तरिम प्रतिवेदन आया है जिसमें कि आगामी चुनाव की सम्भावित तारीख दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तो एक अलग प्रश्न है।

†**श्री विश्वास** : वास्तव में सभी प्राधिकारी तैयार हैं तथा वह काम को शीघ्रता से निभाने के लिये प्रत्येक सम्भव कोशिश कर रहे हैं। परिसीमन आयोग ही नहीं अपितु निर्वाचन आयोग भी यथासम्भव कोशिश कर रहा है। इतना ही कुछ मैं कह सकता हूं।

†**श्री केशव अय्यंगार** : यदि मैसूर राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन कार्य पूरा हुआ है, तो वह भाग प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता है ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सारा आदेश इकट्ठे प्रकाशित किया जायेगा।

†**श्री विश्वास** : विधि के अन्तर्गत आदेश सभी राज्यों के बारे में एक साथ प्रकाशित होना चाहिये। इसलिये मेरे मित्रों को जरा प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†**श्री म० कु० मैत्र** : श्रीमान्, क्या मैं एक प्रश्न पूछूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

किंग जार्ज सैनिक स्कूल

†*२४५. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३६ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से किंग जार्ज मिलिट्री स्कूलों का नाम बदलने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

केन्द्रीय युद्ध सामग्री डिपो, दिल्ली छावनी में हड़ताल

†*२४८. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय युद्ध सामग्री डिपो, दिल्ली छावनी के ५,००० कर्मचारियों ने सितम्बर तथा अक्तूबर, १९५६ में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल का कारण क्या था;

(ग) क्या हाल ही में केन्द्रीय युद्ध-सामग्री डिपो के कुछ कर्मचारियों की छंटनी की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो कितने कर्मचारी निकाले गये ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) जी, नहीं; किन्तु ५,७१३ कर्मचारियों में से २,०३४ कर्मचारियों ने १५ सितम्बर, १९५६ को दो घण्टे के लिये काम छोड़ा था। इस हड़ताल के अतिरिक्त केन्द्रीय युद्ध सामग्री डिपो, दिल्ली छावनी में सितम्बर तथा अक्तूबर, १९५६ के महीने में और कोई हड़ताल नहीं हुई।

(ख) यह हड़ताल, प्रतिरक्षा अधिष्टापनों से अतिरिक्त असैनिक कर्मचारियों के निकाले जाने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिये थी।

(ग) जी, हां।

(घ) ५२।

पवन चक्कियाँ

†*२४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १३ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले की स्थिति की दृष्टि में विभिन्न स्थानों पर पवन की गति के बारे में ब्योरेवार सर्वेक्षण कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस जिले में प्रयोगात्मक पवन-चक्कियां लगाने के लिये स्थान चुन लिये गये हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी

†*२५२. **श्री डाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग की इस सिफारिश पर विचार कर लिया है कि यदि सरकारी कर्मचारियों पर अखबारों में बेइमानी के आरोप लगाये जाते हैं तो उन कर्मचारियों को न्यायालय में जाकर उन आरोपों के विरुद्ध प्रमाण देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा जाये;

(ख) क्या इस विषय पर कोई आदेश जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). आशा है कि अगले कुछ ही सप्ताहों में ऐसे आदेश जारी किये जायेंगे और उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

क्रोम अयस्क

†*२५३. **श्री का० सु० राव** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में क्रोम अयस्क की कमी है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : भारत में इस धातु के निक्षेप पर्याप्त (२००,००० टन) हैं और कई वर्षों तक हमारी आवश्यकता पूरी होती रहेगी । इस समय एक वर्ष में हम ८ से ९ हजार टन का उपभोग करते हैं । किन्तु इस धातु की कमी समस्त संसार में ही है और यह बहुत कीमती धातु है इसलिये इसके निर्यात के बारे में हमें सतर्कता से नीति बनानी पड़ती है ।

पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्र-वृत्तियां

†*२५६. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-सरकारों से पब्लिक स्कूलों से योग्यता छात्र-वृत्तियों के आंकड़े एकत्रित करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब में कई मामलों में छांट परीक्षायें दो-दो तीन-तीन बार हुईं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९**] । जानकारी १९५३, १९५४ तथा १९५५ के बारे में है ।

(ख) जी, नहीं ।

केरल राज्य में समाचारपत्र

†*२६२. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य परिवहन विभाग तथा कुछ समाचारपत्रों के प्रबन्धकों के पारस्परिक प्रबन्ध समाप्त कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). वर्तमान प्रबन्ध को समाप्त करने का निर्णय कर लिया गया है । इसके स्थान पर नया तथा अधिक उचित प्रबन्ध करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली में "जाली" शिक्षा संस्थायें

†*२६३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भीखा भाई :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से सरकार ने पुलिस को दिल्ली में जाली शिक्षा संस्थाओं के बारे में जांच करने के आदेश दिये हैं दिल्ली में तब से कितनी ऐसी 'जाली' शिक्षा संस्थाओं का पता लगा है; और

(ख) उसपर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) एक।

(ख) एक मामला थाने में दर्ज कर लिया गया है और पड़ताल जारी है।

विदेशी सहायता

†*२६४. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशों से कितनी सहायता प्राप्त हुई है और कितनी सहायता का वायदा किया गया है; और

(ख) इस प्रकार की सहायता देने वाले कौन-कौन से देश हैं तथा कौन-कौन से संगठन हैं?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) लगभग २६९ करोड़ रुपया, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना की बची हुई राशि सम्मिलित है इस राशि में विश्व बैंक के ऋण तथा इस्पात संयंत्रों के लिये ऋणों की राशि सम्मिलित नहीं है।

(ख) अमेरिका, इसमें फोर्ड फाउंडेशन तथा रौकफैलर फांउंडेशन जैसे गैर-सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं; आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा नार्वे।

ऊष्म-सह ईंटें

†*२६७. **श्री सैं० वें० रामस्वामी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैलम जिले (मद्रास) में मैग्नेजाइट से ऊष्म-सह ईंटें बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य सरकारी उद्योग क्षेत्र में है अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में;

(ग) लोहा तथा इस्पात कारखानों के लिये ऐसी ईंटों की आवश्यकता कितनी है और उसे अब किस प्रकार पूरा किया जाता है; और

(घ) यदि यह आवश्यकता हमारे अपने उत्पादन से पूरी हो जाये, तो कितनी विदेशी मुद्रा बचेगी?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) एक उद्योगपति द्वारा।

(ग) ऊष्म-सह सामग्री की लोहा और इस्पात उद्योग की वर्तमान आवश्यकता १२,००० टन प्रतिवर्ष है। इस समय देश में लगभग ७,००० टन ईंटें प्रतिवर्ष बनती हैं। शेष आवश्यकतायें आयात से पूरी की जाती हैं।

(घ) यदि शेष आवश्यकतायें भी देश के उत्पादन से पूरी हो जायं, तो ३८ लाख रुपये की बचत होगी।

कर से छूट

†*२६९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन के भूतपूर्व राज्य के पास सितम्बर या अक्तूबर, १९५६ में जेनमिकाराम कुडियान्स की ओर से कोई ज्ञापन मिला है कि मूल-कर के पहले बकाये छोड़ दिये जायें तथा कुडियान्स को जमीनों पर कब्जा दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था किन्तु उसमें की गई प्रार्थना पूरी करना सम्भव नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पंजाब म छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्योग

†*२७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्योग आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया गया है और पंजाब सरकार की सिफारिश पर इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) तथा (ख). योजना आयोग ने राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित बहुत सी उद्योग सम्बन्धी योजनाओं को अनुमोदित किया है। इन योजनाओं के लिये ७·१२ करोड़ रुपये का एक प्रयोगात्मक उपबन्ध किया गया है अर्थात् १·४ करोड़ रुपये मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये तथा ५·७२ करोड़ रुपये ग्राम तथा कुटीर उद्योगों के लिये—और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के पहले इनकी विस्तारपूर्वक जांच की जायगी।

नांगल उर्वरक व भारी जल परियोजना सरकारी उद्योग के रूप में आरम्भ की जा रही है।

एक विवरण जिसमें यह बताया गया है कि पंजाब में किन बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना के लाइसेंस दिये गये हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०**]

आदिम जातियों क विद्यार्थी

†*२७४. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से आदिम जातियों के विद्यार्थी वित्तीय सहायता के न होने के कारण आगे अध्ययन जारी नहीं रख सकते;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर 'हां' में है तो केन्द्रीय छात्रवृत्तियों के नियमों को और उदार बना कर मैट्रिक से कम विद्यार्थियों को तदर्थ अनुदान देने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर क्या केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) भारत सरकार अनुसूचित आदिम जातियों के सभी सुपात्र विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद के अध्ययन के लिये छात्र-वृत्तियां देती रही है। जहां तक आरम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है—यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है।

(ख) जी, नहीं।

संश्लेषित चावल

†*२७६. **श्री कामत** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १८ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संश्लेषित चावल बनाने के मामले में और क्या प्रगति हुई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगकीय गवेषणा संस्था मैसूर में एक छोटा प्रयोगात्मक व प्रदर्शनात्मक एकक स्थापित किया गया है और आरम्भिक परीक्षण किये जा रहे हैं। उत्पादन के बाकायदा परीक्षण उस समय आरम्भ किये जायेंगे जब अतिरिक्त विद्युत शक्ति प्राप्त हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दुर्लभ पाण्डुलिपियां

†*२८०. **श्री भीखा भाई :**
श्री वोडयार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विद्या सम्बन्धी तदर्थ समिति की बैठक में, जो गत जून में नई दिल्ली में हुई थी, यह निर्णय किया गया था कि भारत में दुर्लभ पाण्डुलिपियों को प्रकाशित किया जाये; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्य सरकारों, विभिन्न संस्थाओं तथा विभिन्न व्यक्तियों से कितनी पाण्डुलिपियां प्राप्त हुई हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां। किन्तु प्रकाशन के लिये केवल वित्तीय सहायता दी जायेगी। उन्हें भारत विद्या समिति प्रकाशित नहीं करेगी।

(ख) इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे गये हैं कि कौन सी पाण्डुलिपियां प्रकाशित की जायें। अभी तक उत्तर नहीं आये।

अ-लौह धातुओं सम्बन्धी परिषद्

†*२८१. **श्री स० चं० सामन्त :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कार्यवाही की गयी है कि अ-लौह धातुओं को मकान आदि बनाने में प्रयोग करने के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है या नहीं जिससे कि देश के इस्पात की बचत की जा सके;

(ख) क्या यह सच है कि शीघ्र ही इस प्रयोजन के लिये एक अ-लौह धातु विकास परिषद् बनाये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और इसका गठन किस प्रकार का होगा ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)**: (क) सरकार द्वारा स्थापित की गई अलूमिनियम समिति को जो विषय जांच के लिये सौंपे गये हैं उनमें एक विषय अलूमिनियम के प्रयोग किये जाने की सम्भावना के बारे में है क्योंकि बताया जाता है कि अलूमिनियम ही एक ऐसी अ-लौह धातु है जिसे निर्माण कार्य में इस्पात के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। समिति ने अपना प्रतिवेदन हाल ही में दिया है और इसका परीक्षण हो रहा है।

(ख) और (ग). यह विचार है कि अ-लौह धातु उद्योग के विकास के लिये एक विकास परिषद् स्थापित की जाये। परिषद् के सदस्य तथा इसे सौंपे जाने वाले कार्यों के बारे में अन्तिम निश्चय अभी नहीं किया गया।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास

†*२८२. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रूसी राष्ट्रीय श्री कोमापन्टसेव द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम पर लिखा गया निबन्ध प्राप्त हो चुका है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने में उससे क्या सहायता मिलेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी, हां ।

(ख) निबन्ध, जो रूसी भाषा में है, अभी प्राप्त हुआ है । अभी उसकी जांच नहीं की गई है ।

केरल राज्य की लगान पद्धति

†१७५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर तथा मलाबार क्षेत्रों के लिये केरल राज्य में अलग-अलग लगान सम्बन्धी नियम ग्रन्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में क्या मुख्य विभिन्नतायें हैं; और

(ग) क्या सरकार समस्त केरल राज्य के लिये एक ही लगान सम्बन्धी नियम ग्रन्थ लागू करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य विभिन्नता भूमि कर पद्धति में है; मलाबार क्षेत्र में, भूमि वर्गीकरण के अनुसार कर लगाया जाता है जब कि भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य वाले क्षेत्रों में समान मूल-कर लगाया जाता है ।

(ग) राज्य में लागू विभिन्न विधियों के समेकित होने के पश्चात् राज्य सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ।

केरल में सरकारी कर्मचारी

†१७७. { **श्री व० प० नायर** :
श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकीकरण से पूर्व त्रावनकोर तथा कोचीन राज्यों की भूतपूर्व सरकारों के प्रत्येक विभाग में वर्ग तथा वरिष्ठता की सूचियां रखी जाती थीं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सरकार में वर्ग तथा वरिष्ठता के ब्योरे वाली फाइलों को नष्ट करने के लिये कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या वह फाइलें नष्ट कर दी गईं तथा यदि हां तो किस की आज्ञा से ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). वर्ग तथा वरिष्ठता सूची से सम्बन्धी फाइलें सामान्यत: नष्ट नहीं की जातीं ।

तांबा

†१७८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश को तांबे की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) भारत में तांबे का कुल कितना उत्पादन होता है; और

(ग) इस समय विदेशों से तांबे का कुल कितना आयात होता है तथा उसका कितना मूल्य है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) लगभग ३०,००० टन प्रति वर्ष ।

(ख)

वर्ष	**उत्पादन** (टनों में)
१९५३	४,०२०
१९५४	७,१६१
१९५५	७,२८१
१९५६ (जनवरी-सितम्बर)	५,६८५

(ग)

वर्ष	**तैयार किये हुये तथा बिना तैयार किये हुये तांबे की मात्रा** (टनों में)	**तैयार किये हुये तथा बिना तैयार किये हुये तांबे का मूल्य** (रुपयों में)
१९५३-५४	८,२५६	२,७१,०५,६५६
१९५४-५५	२४,९९४	८,७४,८९,०३२
१९५५-५६	१८,००७	८,७१,४०,२८२

छावनियां

†**१७९. श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सू तथा पंजाब में कौन-कौन सी छावनियां हैं; और

(ख) वर्तमान वर्ष में कुल कितनी छावनियां स्थापित होंगी ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ख) चालू वर्ष में कोई छावनी स्थापित करने का विचार नहीं है ।

हाकी का खेल सिखाने के स्कूल

†**१८०. श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में हाकी खेलना सिखाने के स्कूल स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों की क्या संख्या है और वे किन स्थानों पर स्थापित होंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

काश्मीर जाने के लिये अनुमति पत्र

†**१८१. श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक काश्मीर भ्रमण करने के लिये कितने व्यक्तियों ने अनुमति-पत्रों के लिये आवेदन दिये हैं; और

(ख) कितने व्यक्तियों को अनुमति पत्र मिले ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). १-१-५६ से ३०-६-५६ तक ८१,८१९ व्यक्तियों ने अनुमति पत्र के लिये आवेदन पत्र दिये । इनमें से ८१,४५५ को अनुमति पत्र दिये गये । १-७-५६ से ३१-१०-५६ के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा तैयार होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अभ्रक तथा लौह अयस्क

†१८२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में अब तक भारत में अभ्रक तथा लौह अयस्क का कुल उत्पादन क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : अभ्रक : जून १९५६ तक २०२,९८५ हंडरवेट; लौह अयस्क : अगस्त १९५६ तक २,७४०,३०० टन ।

बाद के महीनों के आंकड़े खानों के मालिकों से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

मंत्रिमंडल के मंत्रियों को यात्रा भत्ता

†१८३. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९५६ से मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को कितना यात्रा भत्ता दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण जिसमें यह जानकारी दी गयी है, सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२**]

जेनमिकारोम भूमि

†१८४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) केरल राज्य के त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र, (२) केरल राज्य के मलाबार क्षेत्र में कितनी भूमि जेनमिकारोम है;

(ख) त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र के कोट्टाराकरा, पन्थानामथिट्टा तथा कुन्नाथूर तालुकों में जेनमिकारोम भूमि कुल कितने क्षेत्र में है;

(ग) इन तालुकों में (१) मूलभूमि कर तथा (२) जेनमिकारोम के द्वारा कुल कितना धन लेना शेष है; और

(घ) भाग (ख) में निर्देशित तालुकों में भूतलक्षी प्रभाव से निर्धारित मूल भूमि कर कितने प्रतिशत उगाहा जा चुका है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जेनमिकारोम की वसूली का कमीशन

†१८५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १९५५ तक प्रत्येक वर्ष जेनमीज के अभिकर्त्ता के रूप में त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने वसूल किये गये जेनमिकारोम धन में से कितना वार्षिक कमीशन लिया है; और

(ख) उपरिलिखित वर्षों में इसकी वसूली पर कितना वार्षिक व्यय हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बुनियादी प्रशिक्षण संस्था, मंगाई जील

†१८६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रावनकोर-कोचीन राज्य की मंगाई जील स्थित बुनियादी प्रशिक्षण संस्था के विद्यार्थी शिक्षकों का, उनकी शिकायतों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात का आयात

†**१८७. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९ अप्रैल, १९५६ से ३० अक्तूबर, १९५६ की अवधि में कितना इस्पात बाहर से मंगाया गया और उसका मूल्य कितना था;

(ख) किन देशों से यह आयात किया गया; और

(ग) इसी अवधि में रेलवे तथा कोयले की खानों को कितनी मात्रा दी गई ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) १०,८६,३३० टन जिसका कुल मूल्य ८०,४८,२८,४५० रुपये था ।

(ख) ब्रिटेन, जापान, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, रूस, चैकोस्लोवाकिया, आस्ट्रिया, चीन, हंगरी, पोलैंड, लक्जमबर्ग, स्विटजरलैंड, नार्वे, युगोस्लाविया, कैनेडा और अमेरिका ।

(ग) रेलवे को ९१,८५५ टन ।

आयात किये गये तथा देसी इस्पात के इकट्ठा भंडार में से नियन्त्रित दुकानों को दी गई मात्रा में से कोयले की खानों को इस्पात दिया जाता है तथा आयात किये गये इस्पात में से कोयले की खानों को सम्भरण के अलग आंकड़े प्राप्य नहीं हैं ।

भारतीय प्रशासन सेवा की आपातकालीन भर्ती

†**१८८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा (आपातकालीन भर्ती) के पदों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्थापना तैयार कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने पदों की जरूरत है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अभी तक भारतीय प्रशासन सेवा के कर्मचारियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया। एक अनुमानित प्राक्कलन बनाया गया था और उसकी घोषणा कर दी गई थी । अब सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपनी आवश्यकता द्वितीय पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रख कर निर्धारित करें। विशेष भर्ती योजना में भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या :–

(१) राज्य सरकारों के प्रतिवेदनों के आधार पर अन्तिम प्राक्कलन; और

(२) इस बात पर निर्भर होगी कि इस सेवा के लिये ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध हैं या नहीं जो अखिल भारतीय मानक पर पूरे उतरते हों ।

प्रादेशिक औद्योगिक विकास

†**१८९. श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रादेशिक औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं के बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की दृष्टि से देश के विभिन्न प्रदेशों के आर्थिक भूगोल का अध्ययन करने के लिये औद्योगिक मंडिलयां बनाने का निश्चय किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, हां। प्रत्येक क्षेत्र के आर्थिक भूगोल के अध्ययन के लिये, आंकड़े इकट्ठे करने में सहायता देने और टेक्नीकल मंत्रणा तथा मार्ग-दर्शन करने के लिये चार क्षेत्रीय औद्योगिक मण्डिलयां बनाने का निश्चय किया गया है।

(ख) आवश्यक टेक्नीकल कर्मचारियों को भर्ती करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

कमीशन प्राप्त पदाधिकारी

†**१९०. श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासन सेवा में हाल की आपात भर्ती के लिये कितने नियमित तथा गैर-नियमित कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों को आवेदन पत्र भेजने की अनुमति दी गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : भारतीय प्रशासन सेवा में आपात भर्ती के लिये आवेदन पत्र भेजने के लिये नियमित पदाधिकारियों को अनुमति नहीं दी गयी थी किन्तु गैर-नियमित पदाधिकारियों को अनुमति दी गयी थी। २४३ गैर-नियमित पदाधिकारियों ने आवेदन पत्र भेजे हैं।

आय-कर का न दिया जाना

†**१९१. श्री वेलायुधन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य के किसी व्यक्ति पर आय-कर का भुगतान न करने पर १ जुलाई, १९५६ से अब तक कोई अभियोग चलाया गया है या और कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). किसी व्यक्ति पर अभियोग नहीं चलाया गया है। अन्य जानकारी के सम्बन्ध में, प्रश्न में उल्लिखित अवधि के लिये ब्योरा अलग से उपलब्ध नहीं है। १ अप्रैल, १९५६ से ३० सितम्बर, १९५६ की अवधि में, आय-कर अधिनियम की धारा ४६ (१) के अधीन २४५ मामलों में कर भुगतान न करने के लिये दण्ड दिया गया है। भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा ४६ (५क) के अधीन २० मामलों में ऐसे नोटिस जारी किये गये हैं कि यदि भुगतान न किया गया तो उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जायगी।

भारतीय नौसेना के लिए प्रशिक्षण

†**१९२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में कितने भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गये; और

(ख) वे किन-किन देशों में भेजे गये ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) ७६।

(ख) ब्रिटेन और माल्टा।

पुस्तकालयाध्यक्षों और संग्रहालय विज्ञान विशषज्ञों का प्रशिक्षण

†**१९३. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकालयाध्यक्षों और संग्रहालय विज्ञान विशेषज्ञों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने की कोई योजना है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्ति विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अभी कितने व्यक्ति विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां। विदेश में संग्रहालय विज्ञान विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की एक योजना है।

पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रशिक्षण की कोई योजना नहीं है किन्तु उन्हें अल्पकाल के अध्ययन दौरों पर भेजने की योजना है।

(ख) १९५५ में १२ पुस्तकालयाध्यक्षों को अध्ययन दौरे पर भेजा गया था। अभी तक किसी भी संग्रहालय विज्ञान विशेषज्ञ ने विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

(ग) अभी ११ और पुस्तकालयाध्यक्ष विदेश में अध्ययन-दौरा कर रहे हैं।

विशेष पुलिस संस्थापन

†१९४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६-५७ में अब तक विशेष पुलिस संस्थापन पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ख) वह किन मदों पर खर्च की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ३० सितम्बर, १९५६ तक १३,७०,२३९ रुपये।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]**

भारत में पाकिस्तानी

†१९५. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये;

(ख) उनके आने का क्या प्रयोजन था;

(ग) दृष्टांक (वीसा) की मान्यता समाप्त होने के बाद इस अवधि में कितने व्यक्ति यहां ठहरे रहे; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

पंजाब में कल्याण विस्तार परियोजनायें

†१९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब में कितनी कल्याण विस्तार परियोजनायें चालू की जायेंगी; और

(ख) वे कहां-कहां चालू की जायेंगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) ८४।

(ख) उन परियोजनाओं का स्थान अभी निश्चित नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

स्थानीय स्वशासन के पाठ्यक्रम

†१९७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के तौर पर स्थानीय स्वशासन की शिक्षा की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विश्वविद्यालयों में;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा पाठ्यक्रम बनाने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं और कौन कर रहा है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). अब तक प्राप्त जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ग) और (घ). जी नहीं । यह विषय विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों से सम्बन्धित है ।

आय-कर

†१९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ से १९५५–५६ तक के वर्षों में होशियारपुर और कांगड़ा जिलों से कितना आय-कर वसूल हुआ; और

(ख) इस अवधि में प्रत्येक जिले में विभिन्न आय श्रेणियों के व्यक्तियों से कितनी धन-राशियां वसूल हुईं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) १९५२–५३ से १९५५–५६ तक के वर्षों में होशियारपुर और कांगड़ा जिलों से प्राप्त आय-कर की धनराशियां इस प्रकार हैं :

आंकड़े लाख रुपयों में

	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६
होशियारपुर	७·४४	८·२०	१०·७३	९·४२
कांगड़ा	·८४	१·६४	१·००	४·४१

(ख) इस अवधि में प्रत्येक जिले में विभिन्न आय श्रेणियों के व्यक्तियों से प्राप्त धनराशियां इस प्रकार हैं :

आंकड़े हजारों में

(जिला होशियारपुर)

	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६
२५ हजार रुपये से अधिक व्यापार-आय वाले करदाता ...	५०७	५६३	७०९	६१८
१० हजार रुपये से २५ हजार रुपये तक व्यापार-आय वाले करदाता ...	१२१	१२३	१९२	१७४
५ हजार रुपये से १० हजार रुपये तक व्यापार-आय वाले करदाता ...	९१	१०२	१२९	१२०
५ हजार रुपये से कम व्यापार-आय वाले अन्य करदाता ...	२१	२५	३२	२२
वेतन, सम्पत्ति और लाभांश आय वाले करदाता ...	४	७	११	८
कुल ...	७४४	८२०	१०७३	९४२

†मूल अंग्रेजी में ।

आंकड़े हजारों में

(जिला कांगड़ा)

	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६
२५ हजार रुपये से अधिक व्यापार-आय वाले करदाता ...	४५	८०	४०	३९०
१० हजार रुपये से २५ हजार रुपये तक व्यापार-आय वाले करदाता ...	१५	३०	२८	३२
५ हजार रुपये से १० हजार रुपये तक व्यापार आय वाले करदाता	१३	२५	२०	८
५ हजार रुपये से कम व्यापार-आय वाले अन्य करदाता	७	१६	७	६
वेतन सम्पत्ति और लाभांश आय वाले करदाता	४	१३	५	५
कुल ...	८४	१६४	१००	४४१

दिल्ली राज्य घरेलू नौकर विधेयक

†१९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली राज्य सरकार घरेलू नौकर विधेयक उनके पास भेजा था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जी, हां ।

अस्पृश्यता निवारण के लिये मद्रास को सहायता

†२००. **श्री वीरस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी कार्य के लिये वर्ष १९५६-५७ में मद्रास के लिये कितनी राशि नियत की गयी है;

(ख) किन-किन संगठनों को उसमें से सहायता दी गयी है; और

(ग) उस राज्य में अस्पृश्यता दूर करने के लिये अक्तूबर १९५६ तक कौन-सी योजनायें कार्यान्वित की गयी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालम में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १२,८९,००० रुपये ।

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

समाज कल्याण केन्द्र

†२०१. **श्री बे० ये० रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में अभी कितनी कल्याण विस्तार परियोजनायें चल रही हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के लिये अभी तक कितनी धन राशि नियत की गयी है;

(ग) उसी अवधि में जनता ने कुल कितना अंशदान दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) १९५६–५७ में आन्ध्र प्रदेश में कितने "बाद की देखभाल" और "नैतिक पुनर्वास गृह" चालू किये जा रहे हैं;

(ङ) उनके लिये कितनी धनराशि नियत की गयी है; और

(च) इन "गृहों" के क्या कार्यक्रम हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ख) ५,७०,९६० रुपये ।

(ग) १९५५–५६ के अन्त तक जनता ने ८६,९१७ रुपये का अंशदान दिया है । १९५६–५७ के आंकड़े वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद उपलब्ध होंगे । वस्तुओं के रूप में दिये गये अंशदान का मूल्यांकन करना कठिन है ।

(घ) ३ गृह और १० आश्रयगृह ।

(ङ) १,९९,१२१ रुपये ।

(च) कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार होंगी : नैतिक विपत्ति ग्रस्त महिलाओं तथा सुधार और गर-सुधार संस्थाओं से रिहा किये गये व्यक्तियों का प्रवेश, उनका वर्गीकरण, देखभाल, पालन पोषण और प्रशिक्षण ।

मूक और बधिरों के लिए संस्था

†२०२. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूक और बधिरों की किसी संस्था को आर्थिक सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो किसी भी मूक-बधिर संस्था को १९५६ के दौरान में कितना सहायतानुदान दिया गया ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी, हां ।

(ख) यह जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६**]

बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†२०३. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र के ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या-क्या हैं जिन्हें १९५४–५५, १९५५–५६ और ३१ अक्तूबर, १९५६ तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बहु-प्रयोजनीय स्कूलों में बदलने के लिये भवन निर्माण और सामान आदि के लिये अनुदान मिला था; और

(ख) ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है जिन्होंने अनुदान का उपयोग इसी कार्य में किया और जिन्होंने बहु-प्रयोजनीय स्कूलों के रूप में कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) तथा (ख). बम्बई राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है जो बाद में दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पाकिस्तानी नागरिक

२०४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद में पिछले छः महीनों में कितने पाकिस्तानी नागरिकों को अनधिकारिक रूप से अथवा बिना सरकारी अनुमति प्राप्त किये भारत में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार): एक ।

भारतीय औद्योगिक मेला स्थान

†२०५. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री ५ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय औद्योगिक मेला स्थान को स्थायी रूप से प्रदर्शनी मैदान बना देने के बारे में जो निर्णय किया गया है उसका ब्योरा क्या है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : ब्योरा अभी तैयार किया जा रहा है ।.

सोवियत खनन विशेषज्ञ

†२०६. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ७ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १९०१ के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) तांबा खनन उद्योग के बारे में सोवियत खनन विशेषज्ञों की सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) तांबा खनन उद्योग के सम्बन्ध में सोवियत विशेषज्ञों की प्रमुख सिफारिशों वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७**] इन विशेषज्ञों के सम्पूर्ण प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) इस मामले पर मंत्रालय के प्रविधिक विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं ।

अवैतनिक सेवा

†२०७. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न मंत्रालयों में कितने व्यक्ति राजपत्रित पदाधिकारियों की हैसियत से अवैतनिक कार्य कर रहे हैं जो सांकेतिक वेतन के रूप में १ रुपया प्रति मास या इतना भी वेतन नहीं ले रहे हैं; और

(ख) उनको कौन-कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और उनके क्या कार्य हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) गत वर्ष अप्रैल में एकत्र की गई जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकार में ३१ अक्तूबर, १९५४ को अवैतनिक हैसियत से कार्य करने वाले राजपत्रित पदाधिकारियों की संख्या २४ थी। अद्यतन जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इस प्रकार अवैतनिक कार्य करने वाले पदाधिकारियों की शक्तियां और कार्य जिन पदों पर वे नियुक्त हैं उनका कार्य किस प्रकार का है, इस पर निर्भर करते हैं। किन्तु सामान्यतः अवैतनिक कार्य करने वाले व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग **परामर्शदाता** के रूप में किया जाता है ।

सांस्कृतिक छात्र-वृत्तियां

†२०८. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) विदेशी छात्रों और (२) विदेशों में भारतीय उद्भव के छात्रों को सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां देने पर १९५५–५६ के दौरान में कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) ऐसी छात्रवृत्तियों से अब तक कुल कितने छात्रों को लाभ पहुंचा है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) :

(१) ४,९७,३५१ रु० १० आ० ६ पा० ।

(२) २,३२,८६० रु० ० आ० ० पा० ।

(ख) ३४८ ।

रोपड़ में पुरातत्वीय अवशेष

†२०९. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्व विभाग पंजाब के रोपड़ नामक स्थान में प्राप्त हुई पुरातत्वीय वस्तुओं की जांच कर रहा है;

(ख) क्या उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर चुकी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). खुदाई में प्राप्त अवशिष्ट की रक्षा के लिये उस स्थान पर स्थायी रूप से एक चौकीदार रख दिया गया है। उचित नाली व्यवस्था कर दी गई है जिस से वर्षा के जल से कोई हानि न पहुंचे ।

बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†२१०. **सरदार अकरपुरी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के उन बहु-प्रयोजनीय स्कूलों के नाम दिये हुए हों जिन के लिये या तो १९५५–५६

†मूल अंग्रेजी में ।

में केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है अथवा १९५६-५७ में एक साथ दी जायेगी और प्रत्येक के लिये अलग-अलग कितनी राशि होगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : १९५५-५६ में भूतपूर्व दिल्ली राज्य के लिये हाई स्कूलों को बहु-प्रयोजनीय स्कूलों में बदल देने के लिये केन्द्र द्वारा कुछ भी अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया था। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण १९५५-५६ में वहां के लिये भी केन्द्र द्वारा कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया था।

१९५६-५७ के दौरान में अभी तक दोनों राज्यों (अब केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों) को केन्द्र द्वारा अनुदान नहीं दिया गया है किन्तु यथासमय दिया जाने वाला है।

प्रादेशिक मुद्रण स्कूल, दिल्ली

†२११. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में प्रादेशिक मुद्रण स्कूल की स्थापना करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: दिल्ली पोलीटेकनीक में मुद्रण स्कूल की स्थापना करने की योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

†२१२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने चालू वर्ष के लिय कार्य की कोई योजना बना ली है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). चालू वर्ष के लिये तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग के कार्य की मुख्य बातें ये हैं :

१. पंजाब में ज्वालामुखी क्षेत्र

(क) भूतत्वीय मानचित्र तैयार करना।

(ख) भूचाल सम्बन्धी जांच पड़ताल।

(ग) गुरुत्वाकर्षण व चुम्बकीय सर्वेक्षण।

(घ) गहरे छेद करना।

(ङ) आन्तरिक छिद्रण।

२. जैसलमेर क्षेत्र (राजस्थान)

(क) भूतत्वीय मानचित्र तैयार करना।

(ख) भूचाल सम्बन्धी जांच-पड़ताल।

(ग) गुरुत्वाकर्षण व चुम्बकीय सर्वेक्षण।

---

†मूल अंग्रेजी में।

३. कैमबे—कच्छ

(क) भूतत्वीय मानचित्र तैयार करना ।

(ख) भूचाल सम्बन्धी जांच पड़ताल ।

(ग) गुरुत्वाकर्षण व चुम्बकीय सर्वेक्षण ।

४. गंगा घाटी

(क) गुरुत्वाकर्षण और चुम्बकीय सर्वेक्षण ।

(ख) भूचाल सम्बन्धी सर्वेक्षण ।

जेनमिकारोम शेष लगान की वसूली

†२१३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ नवम्बर, १९५६ तक त्रावणकोर-कोचीन सरकार जमींदारों के जेनमिकारोम शेष लगान जेनमियों के अधिकृत एजेंट के रूप में वसूल कर रही थी, और यदि हां तो कितने पारिश्रमिक पर वह ऐसा कर रही थी; और

(ख) जमींदारों के एजेंट के रूप में इस प्रकार की वसूली में हुए सरकारी व्यय का कितना प्रतिशत एजेंसी कार्य के लिये, लिये गये पारिश्रमिक कमीशन में से पूरा किया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) त्रावणकोर-कोचीन सरकार एकत्र की गई राशि के २·५ प्रतिशत पारिश्रमिक पर 'त्रावणकोर जेनमी और कुदीयान (संशोधन) विनियम ११०८' के अधीन जेनमिकारोम वसूल कर रही थी ।

(ख) सरकार के व्यय का लगभग ५० प्रतिशत, लिये गये पारिश्रमिक में से दिया जाता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२४३–६६
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
२४४	पंजाब में सीमांकन ...	२४३–४४
२४६	लक्कादीव द्वीप समूह को जहाजी सेवा ...	२४४–४५
२४७	पिछड़े वर्गों की दशा निर्धारण सम्बन्धी संगठन	२४५–४६
२५०	फ्रांसीसी मुद्रा	२४६–४७
२५१	मैट्रिक परीक्षा उपरान्त योग्यता छात्रवृत्तियां	२४७–४८
२५४	नेपा का समाचारपत्र के कागज का कारखाना	२४८–५०
२५५	नेत्रहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में गोष्ठी	२५०
२५७	राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक	२५०–५१
२५८	पश्चिम जर्मन टेक्नीकल सहायता	२५१–५२
२५९	प्राइमरी अध्यापक	२५२–५३
२६०	सीमेंट का वितरण	२५४–५५
२६१	कुतुब मीनार ...	२५५–५६
२६५	दिल्ली में खुली नाट्यशाला	२५६–५७
२६६	टेक्निकल कर्मचारी	२५७
२६८	जीवन बीमा कारबार ...	२५७–५९
२७०	विशेष रियायती टिकिट की रियायत	२५९–६०
२७१	पुनर्वास वित्त प्रशासन	२६०–६१
२७२	कमीशन प्राप्त पदाधिकारी ...	२६१–६२
२७५	कागज उद्योग के लिये विशेषज्ञ समिति	२६२
२७७	खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में अधिमान	२६२–६३
२७८	बुद्ध का स्मारक ...	२६४–६५
२७९	परिसीमन आयोग	२६५–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२६६–८४
तारांकित प्रश्न संख्या		
२४५	किंग जार्ज सैनिक स्कूल	२६६
२४८	केन्द्रीय युद्ध सामग्री डिपो, दिल्ली छावनी में हड़ताल	२६७
२४९	पवन चक्कियां	२६७
२५२	सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी	२६७–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२५३	क्रोम अयस्क	२६८
२५६	पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्तियां	२६८
२६२	केरल राज्य में समाचारपत्र ...	२६८
२६३	दिल्ली में "जाली" शिक्षा संस्थायें	२६८–६९
२६४	विदेशी सहायता	२६९
२६७	ऊष्म-सह ईंट	२६९
२६९	कर से छूट	२६९
२७३	पंजाब में छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्योग	२७०
२७४	आदिम जातियों के विद्यार्थी	२७०
२७६	संश्लेषित चावल ...	२७०
२८०	दुर्लभ पाण्डुलिपियां	२७१
२८१	अ-लौह धातुओं सम्बन्धी परिषद्	२७१
२८२	भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास	२७१–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७५	केरल राज्य की लगान पद्धति ...	२७२
१७७	केरल में सरकारी कर्मचारी	२७२
१७८	तांबा ...	२७२–७३
१७९	छावनियां	२७३
१८०	हाकी का खेल सिखाने के स्कूल	२७३
१८१	काश्मीर जाने के लिये अनुमति पत्र	२७३
१८२	अभ्रक तथा लौह अयस्क ...	२७४
१८३	मंत्रिमंडल के मंत्रियों को यात्रा भत्ता	२७४
१८४	जेनमिकारोम भूमि	२७४
१८५	जेनमिकारोम की वसूली का कमीशन	२७४
१८६	बुनियादी प्रशिक्षण संस्था, मंगाई जील	२७४–७५
१८७	इस्पात का आयात	२७५
१८८	भारतीय प्रशासन सेवा की आपातकालीन भर्ती	२७५
१८९	प्रादेशिक औद्योगिक विकास	२७५–७६
१९०	कमीशन प्राप्त पदाधिकारी	२७६
१९१	आय-कर का न दिया जाना	२७६
१९२	भारतीय नौसेना के लिये प्रशिक्षण	२७६
१९३	पुस्तकालयाध्यक्षों और संग्रहालय विज्ञान विशेषज्ञों का प्रशिक्षण	२७६–७७
१९४	विशेष पुलिस संस्थापन	२७७
१९५	भारत में पाकिस्तानी	२७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१९६	पंजाब में कल्याण विस्तार परियोजनायें	२७७
१९७	स्थानीय स्वशासन के पाठ्यक्रम	२७८
१९८	आय-कर	२७८–७९
१९९	दिल्ली राज्य घरेलू नौकर विधेयक	२७९
२००	अस्पृश्यता निवारण के लिये मद्रास को सहायता ...	२७९
२०१	समाज कल्याण केन्द्र	२७९–८०
२०२	मूक और बधिरों के लिये संस्था	२८०
२०३	बहु-प्रयोजनीय स्कूल	२८०
२०४	पाकिस्तानी नागरिक	२८१
२०५	भारतीय औद्योगिक मेला स्थान	२८१
२०६	सोवियत खनन विशेषज्ञ	२८१
२०७	अवैतनिक सेवा	२८१–८२
२०८	सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां	२८२
२०९	रोपड़ में पुरातत्वीय अवशेष	२८२
२१०	बहु-प्रयोजनीय स्कूल	२८२–८३
२११	प्रादेशिक मुद्रण स्कूल, दिल्ली	२८३
२१२	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	२८३–८४
२१३	जेनमिकारोम शेष लगान की वसूली	२८४

M6LSD—190—3-2-58—GIPF

खण्ड ९ — अंक ६
२१ नवम्बर, १९५६ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में)

दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २३३–३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरेसठवां प्रतिवेदन ... २३३

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन ... २३३

रेलवे समय-सारणियों तथा गाइडों सम्बन्धी याचिका २३४

केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक—

पुरःस्थापित किया गया २३४

लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित किया गया २३४

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन अध्यादेश—

पुरःस्थापित किया गया ... २३४

निष्कांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश—

पुरःस्थापित किया गया २३५

रेलवे यात्रियों पर सोमा-कर विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २३६–५१

श्री राम चन्द्र रेड्डी २३६–३७

श्री राघवाचारी ... २३७

श्री न० रा० मुनिस्वामी २३७–३८

श्री म० कु० मैत्र २३८

श्री वीर स्वामी २३८

श्री भक्त दर्शन २३८–४०

श्री रघुवीर सहाय ... २४०–४१

श्रीमती शिवराजवती नेहरू २४१–४२

पंडित ठाकुर दास भार्गव २४२–४३

श्री बर्मन २४४

श्री अलगेशन २४४–४८

खण्ड २ से ९ अनुसूची तथा खण्ड १ २४८–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २५०

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव २५१–५८

श्री पाटस्कर ... २५१–५३, ५४

श्री शं० शां० मोरे ... २५३

श्री ति० सु० अ० चेट्टियार २५३–५४

श्री ना० रा० मुनिस्वामी २५४

विषय-सूची

[भाग २, वाद-विवाद, खण्ड ६—अंक १ से १५—१४ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १६५६]

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १६५६ — **पृष्ठ**

श्री भवानी सिंह का देहावसान — १

स्थगन प्रस्ताव—

हंगरी क बारे में पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार का दृष्टिकोण — १–२

उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता न दिये जाने का आरोप ... ... — २

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल — ३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... — ४–७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — ७

सदस्यों का त्यागपत्र ... — ७

विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
के बारे में अधिसूचना

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना — ८

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव — ८–२८
खण्ड १ से १६ ... ... — २६–२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — २८

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — २८–४४
खण्ड १ से ५८ और अनुसूची ... — ३६–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ४४

दैनिक संक्षेपिका — ४५–४८

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १६५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र — ४६

कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ... ... — ४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... — ४६

दो सदस्यों का नामनिर्देशन ... — ४६

भाग "ग" राज्य (विधि) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — ५०–५५
खण्ड २ से ४ और खण्ड १ ... — ५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ५५

पृष्ठ

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ५५–८०
खण्ड २ और १ ... ... ८०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८०
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ८१–९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन ९६
दैनिक संक्षेपिका ९७

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता का निधन ९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ९९–१०१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य ... १०१–०५
जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न १०५
कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन १०६
प्रवर समितियों द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि—
(१) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक १०६
(२) बाल विधेयक १०६
(३) स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १०६
अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... १०७
राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १०७
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १०७–१७
खण्ड २ से ७ और १ १०७–१०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ११०
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८–२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन १२१
नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के बारे में संकल्प १२१–३४
सभा का कार्य १११, ११७–१८, १३४–३५
दैनिक संक्षेपिका १४४–४६

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१४७–४८
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत—	
साक्ष्य सभा-पटल पर रख दिये गये ...	१४९
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका ...	१४९
सभा का कार्य ... — — ... ... —	१४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव	१५०–८५
दैनिक संक्षेपिका	१८६–८७

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८९–९०
बाट तथा माप मान विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९०
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९१
संयुक्त समिति के समक्ष दी गयी साक्षी	१९१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ...	... १९१–२२९
दैनिक संक्षेपिका	२३१–३२

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	... २३३, २५५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	२३३
स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२३३
रेलवे समय-सारिणियों तथा गाइडों सम्बन्धी याचिका	२३४
केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	२३४
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३५
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव ...	२३६–५१
खण्ड २ से ९, अनुसूची तथा खण्ड १	२४८–५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५०

पृष्ठ

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५१–५८
खण्ड २ तथा १ ... ... २५५–५७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २५७

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५८–८३
खण्ड २ से ४६, अनुसूची तथा खण्ड १ ... २७२–८२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २८२

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८३–८५

दैनिक संक्षेपिका २८६–८७

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८९–३२२
खण्ड २ और १ ... ३२२
पारित करने का प्रस्ताव ३२२

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३२३–३६
खण्ड २ से ७ और १ ... ३३५–३६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक— ,
विचार के लिये प्रस्ताव ३३७–३८

दैनिक संक्षेपिका ३३९

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४१
राज्य-सभा से सन्देश ३४१–४२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३४२

कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ३४२
सभा का कार्य ३४२
विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३

पृष्ठ

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३
भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३–४४
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३४४–५६
खण्ड २ से ५ और खण्ड १ ... ३५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३५६–६४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–
तिरेसठवां प्रतिवेदन ३६४
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०७ का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ३६५
भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक (धारा ३ आदि का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ... ३६५
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—
(धारा ६ का संशोधन)—पुरःस्थापित किया गया ३६६
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६६–८९
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३८९–९०
दैनिक संक्षेपिका ३९१–९२

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना ... ३९३–९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३९९–४००
राज्य-सभा से सन्देश ... ४००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ४००
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४०१–१५
खण्ड २ से ३५, अनुसूची तथा खण्ड १ ... ४१४–१५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१५
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४१५–४४
दैनिक संक्षेपिका ४४५–४६

पृष्ठ

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४७–४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मनीपुर से एक सदस्य का राज्य-सभा के लिये निर्वाचन ४४८–४९

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक ४४९–६१

खण्ड २ से १६ और १ ... ... ४४९–६१

पारित करने का प्रस्ताव ... ४६१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४६१–७९

खण्ड २ से ८ और १ ... ... ४७५–७९

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४७९

मद्रास-तूतीकोरिन रेल दुर्घटना पर चर्चा ४७९–९६

दैनिक संक्षेपिका ... ४९७–९८

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रिवेन्द्रम् में केरल उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना के बारे में आन्दोलन ४९९–५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ... ५०१

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५०१–३७

दैनिक संक्षेपिका ५३८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६

भारतीय डाक तथा तार अधिनियम और नियमों के बारे में याचिका ५३९

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५३९–५७

खण्ड २ से १०२ और खण्ड १ ... ५४६–५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५५७

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५५८–८३

दैनिक संक्षेपिका ५८४

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ५८५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८६

पृष्ठ

लोक-लेखा समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५८६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

बाल विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६
प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य ५८६–८७

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५८७

सभा का कार्य ५८७–८८

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ५८८–६१२
खण्ड २ से २५ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ६०२–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौसठवां प्रतिवेदन ६१२–१३

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६१३–२८

राजनैतिक पीड़ितों के बालकों के लिये छात्रवृत्तियों के बारे में संकल्प ६२८–२९

आर्थिक स्थिति और कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें ६२९–३६

वित्त (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित ६३६–३७

वित्त (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित ६३७

दैनिक संक्षेपिका ६३८–३९

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
रामलीला मैदान में पटाखे का विस्फोट ६४१–४२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६४२–४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ६४३
राज्य-सभा से सन्देश ६४३

हिन्दू दत्तकग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

पृष्ठ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन ६४३–४४

सभा का कार्यक्रम ६४४

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ६४४

राष्ट्रपति की केरल सम्बन्धी उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ६४४–८०

दैनिक संक्षेपिका ... ६८१–८२

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६८३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठाहरवां प्रतिवेदन ६८३–८८

समिति के लिये चुनाव—
भारतीय टैक्नोलाजीकल संस्था, खड़गपुर ६८८

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ६८९–७१७

कार्य मंत्रणा समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ७१७

केरल के खनिज संसाधन सम्बन्धी आध घंटे की चर्चा ७१७–२२

दैनिक संक्षेपिका ७२३

M44LSD—190—26-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

---

१२ मध्याह्न

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : श्रीमान्, मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६२० की उपधारा (२) के अन्तर्गत सभा-पटल पर समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६२० की उपधारा (१) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली प्रारूप अधिसूचना की एक प्रति रख देता हूं। पुस्तकालय में रखी गयी। [**देखिये** संख्या एस० ४७३/५६]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तिरेसठवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** : (कपूरथला—भटिंडा) : श्रीमान, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तिरेसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक

प्रवर समिति का* प्रतिवेदन

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : श्रीमान, मैं स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक से सम्बन्धित प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २—विभाग २ दिनाँक २१-११-५६

रेलवे समय-सारणियों तथा गाइडों सम्बन्धी याचिका

†**श्री ब० स० मूर्ति** (एलुरु) : श्रीमान्, मैं एक याचक द्वारा हस्ताक्षर की हुई याचिका पेश करता हूं जिसमें कि रेलवे-समय सारिणयों तथा गाइडों के प्रकाशन में सुधार करने का सुझाव दिया गया है।

केन्द्रीय बिक्री कर* विधेयक

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान्, मैं अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्यिक या राज्य के बाहर या भारत से किये जाने वाले निर्यात या भारत को किये जाने वाले आयात में वस्तुओं का क्रय या विक्रय को निश्चित करने के लिये सिद्धांत बनाने, अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के विक्रय पर कर लगाने, उनका संग्रह तथा वितरण करने की व्यवस्था करने और अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में कुछ वस्तुओं को विशेष महत्व का घोषित करने और ऐसी विशेष महत्व की वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर लगाने वाली राज्य विधियां जिन शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन होंगी, उन्हें निश्चित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक*

†**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)**: श्रीमान्, मैं श्री पाटस्कर की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

†**श्री विश्वास** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक*

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के असाधारण गज़ट भाग २—विभाग २ दिनाँक २१-११-५६ में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक*

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

प्रख्यापित अध्यादेशों का विवरण

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश

†**विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : श्रीमान्, मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ८९ (१) के अन्तर्गत अपेक्षित रीति के अनुसार, श्री पाटस्कर की ओर से लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ९) द्वारा तुरन्त कानून बनाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन अध्यादेश

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : श्रीमान्, मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ८९ (१) के अन्तर्गत अपेक्षित रीति के अनुसार, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन अध्यादेश १९५६ (१९५६ का संख्या ७) द्वारा तुरन्त कानून बनाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]**

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : श्रीमान्, मैं लोक-सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों के नियम ८९ (१) के अन्तर्गत अपेक्षित रीति के अनुसार, निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था, (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ६) द्वारा तुरन्त कानून बनाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के असाधारण गज़ट भाग—२ विभाग २ दिनाँक २१-११-५६ में प्रकाशित

रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक––समाप्त

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्यावलि की दूसरी मद "विचार तथा पारित करने के लिये विधेयक" है। सामान्यतया जब कोई ऐसा विधेयक या संकल्प हो जिस पर अंशतः विचार हो चुका हो, तो उसे ही प्राथमिकता दी जाती है। यदि सम्बद्ध मंत्री किसी दूसरी मद की अविलम्बनीयता प्रकट करें तो दूसरी बात है। यह प्रक्रिया आगे अपनाई जानी चाहिये। क्या श्री पाटस्कर यहां हैं ?

†**विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : श्रीमान्, यदि आप आज्ञा दें तो मैं श्री पाटस्कर की ओर से विचार प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता हूं।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : वह इस पर पहले विचार किये जाने के कारण जानना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये हम अब रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक पर विचार कर सकते हैं। विचार प्रस्ताव श्री अलगेशन ने १६ नवम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किया था। माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : श्रीमान्, अभी कुछ दिन हुए सभा में यह मांग की गई थी कि इस विधेयक के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी जानी चाहिये।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी (नेल्लोर)** : इसके बारे में कई संशोधनों की सूचना दी गई है––इसलिये लोगों को विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अवसर खण्डवार विचार के समय दिया जायेगा।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता––उत्तर–पश्चिम) : विचार का प्रक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस ओर देखा था किन्तु कोई उठा नहीं––माननीय मंत्री ने उत्तर भी देना है।

†**श्री अलगेशन** : मैंने कल अपना भाषण पूरा किया था और उसके बाद दो और सदस्य भी बोले। वे चाहते थे कि सभा को और जानकारी दी जाये, और वह दे दी गयी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : खैर, मैं खण्डवार विचार के समय माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा।

†**श्री राघवाचारी** (पेन्नुकोंडा) : सदस्य अपने विचार सामान्य चर्चा के समय प्रकट करना चाहते थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा माननीय मंत्री बाद में उत्तर दे लेंगे––अब श्री राम चन्द्र रेड्डी बोल सकते हैं।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : श्रीमान, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे नगरपालिकायें मेलों तथा त्योहारों के अवसर पर अधिक आय प्राप्त कर सकेंगी और अच्छा प्रबन्ध कर सकेंगी। किन्तु मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

जो टिप्पन हमें भेजा गया है उसमें कहा गया है कि कर वसूल करने पर कुल एकत्रित राशि का २·७ प्रतिशत खर्च आयेगा। अब वे चाहते हैं कि रेलवे को कर वसूली का कमीशन ३ प्रतिशत किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा है क्योंकि रेलवे का कोई खर्चा तो होगा नहीं । इसलिये यह १ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये ।

दूसरे इन मेलों आदि के कारण रेलवे की आय सदैव वैसे ही बढ़ती है । इस कारण से भी १ प्रतिशत की मात्रा पर्याप्त है ।

मेरा संशोधन संख्या यह है कि "पास" तथा मौसम के टिकट लेने वाले लोगों को भी इस कर से विमुक्ति दी जाये । क्योंकि मौसम के टिकट लेने वालों को अन्यथा बड़ी असुविधा होगी ।

अनुसूची में भी थोड़ी तबदीली की जानी चाहिये—क्योंकि अब "शीतोष्ण नियंत्रित" डिब्बों तथा प्रथम श्रेणी के डिब्बों के किराये में बहुत अन्तर हो गया है । इसलिये इसकी एक अन्य श्रेणी बना दी जानी चाहिये । प्रथम श्रेणी के टिकट के लिये १ रुपया तथा वापसी टिकट के लिये २ रुपये रखे जायें । प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में भी अन्तर रहना चाहिये । उसके एक टिकट के लिये १२ आने तथा वापसी टिकट के लिये १।। रुपया निर्धारित किया जाये ।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों द्वारा इस रुपये के उपयोग किये जाने के मामले भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की एक समन्वित नीति होनी चाहिये । मेरे विचार में इस व्यय की उचित लेखा-परीक्षा होनी चाहिये । और राज्य सरकारें इसका उत्तरदायित्व सम्भालें । राज्य-सरकारों का इन पर नियंत्रण भी होना चाहिये ।

†**श्री राघवाचारी** : मैं श्री रेड्डी का समर्थन करता हूं । मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि दरें कुछ कम की जानी चाहियें । जब केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक दर लागू कर सकेगी तो राज्य सरकारें उसे बढ़ाने पर जोर देंगी और यात्रियों पर बोझ पड़ेगा ।

इसलिये दरों में कम से कम ५० प्रतिशत की कमी अवश्य की जानी चाहिये ।

श्री रेड्डी ने लेखा-परीक्षा की बात कही । किन्तु हम जानते हैं कि स्थानीय लेखा-परीक्षक किस प्रकार की लेखा-परीक्षा करते हैं । जिन मदों पर धन व्यय किया जाये उन्हें आदेश में ही बताया जाना चाहिये ।

संविधान के अनुसार संसद् यात्रियों पर सीमा कर लगाने की विधि बना सकती है—यह कर समुद्र तथा विमान यात्रा पर भी लगना चाहिये । यह भी इसी विधेयक में किया जा सकता है—इसके लिये दूसरी विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

दूसरा सन्देह ४० मील की सीमा के बारे में है चालीस मील के भीतर यात्रियों पर कर नहीं लगेगा—किन्तु केन्द्रीय सरकार इस सीमा को घटा भी सकती है । इसका अर्थ यह है कि इसे दो मील भी किया जा सकता है—तो इसका लाभ क्या हुआ ।

इसमें एक दूसरी बात यह है कि इससे लोग कर-अपवंचन भी कर सकते हैं । यह संभव भी है । क्योंकि विधेयक में इसे रोकने का कोई भी उपबन्ध नहीं है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : जहां तक चालीस मील की सीमा का सम्बन्ध है—इससे जैसा कि मुझ से पहले वक्ता ने कहा कुछ हानि अवश्य होगी । इसलिये हमें इस सीमा के उपबन्ध को विधेयक से निकाल देना चाहिये ।

अब मैं कर की दरों के बारे में कहना चाहता हूं । प्रथम श्रेणी के यात्री अधिक से अधिक १२ आने देंगे । हमने प्रथम श्रेणी समाप्त कर दी है और उसका "शीतोष्ण नियंत्रित श्रेणी" से बहुत अन्तर है । इसलिये हमें अब इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये इस बात पर दोबारा विचार करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

जहां तक २·७ प्रतिशत कमीशन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा है—क्योंकि इसके वसूल करने के लिये कोई अधिक कर्मचारी नहीं रखने पड़ेंगे—केवल एक स्तंभ और प्रकाशित करना पड़ेगा ।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि ऐसे मेलों के अवसरों पर रेलवे को वैसे ही पर्याप्त आय होती है—इसलिये वह यह राशि भी दे सकते हैं । इस कारण मैंने अपना संशोधन संख्या ५ रखा है जिसे स्वीकार किया जाये । इसका आशय है कि विधेयक का खण्ड ४ हटा दिया जाये । मैं समझता हूं कि तृतीय श्रेणी के यात्री को यात्रा की दूरी का विचार किये बिना अधिक से अधिक १ आना कर के रूप में देना पड़े । इसलिये मेरा अनुरोध है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

†**श्री म० कु० मैत्र** : श्रीमान्, सिद्धांत के रूप में मैं इस बात का विरोध करता हूं कि लोगों पर कोई अप्रत्यक्ष उपकर या कर लगाया जाये । रेलवे मंत्री ने भी कराधान जांच आयोग के समक्ष कहा था कि यदि कर बढ़ाये जा सकते हैं तो किराया भी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि दोनों का प्रयोजन एक ही है ।

पहले ही किरायों की वृद्धि से लोगों पर बहुत बोझ आ पड़ा है और इस कर से स्थिति और भी खराब होगी । हमें चाहिये कि हम लोगों को इन मेलों तथा नुमाइशों में जाने का प्रोत्साहन दें ताकि वहां जाकर वे अपना ज्ञान बढ़ावें किन्तु जब हम उन पर एक कर लगाते हैं तो उनके प्रोत्साहन पर आघात करते हैं । पहले वक्ताओं ने करों का विरोध किया है । मैं भी उनका समर्थन करता हूं ।

जहां तक दरों का सम्बन्ध है, तृतीय श्रेणी के यात्रियों पर जो कर लगाये हैं वे प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी से कहीं अधिक हैं । प्रथम श्रेणी पर कर डेढ़ रुपया है तथा तृतीय श्रेणी पर ८ आने । किन्तु जन-साधारण की प्रति व्यक्ति आय क्या है ? इसलिये तृतीय श्रेणी के यात्रियों के कर को कम करके १ आना किया जाये ।

खण्ड ९ में भी एक त्रुटि है । ३ वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कर नहीं लगेगा । परन्तु ३ वर्ष से १२ वर्ष की आयु के बच्चों के लिये कोई उपबन्ध नहीं है कि उनसे आधा कर लिया जायेगा । आधे टिकट पर भी उतना ही कर लगेगा । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस त्रुटि को दूर करेंगे । मुझे यह भी आशा है कि प्रभारी मंत्री कराधान जांच आयोग के सामने दिये गये अपने वक्तव्य को ध्यान में रख कर इस विधेयक को वापिस ले लेंगे ।

†**श्री वीरस्वामी** (मयूरम—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, मैं तीसरे दर्जे के यात्रियों से लिये जाने वाले कर की दरों का विरोधी हूं । क्योंकि ४० मील की सीमा में ८ आना सीमा कर लेना बहुत है जो कि मेले आदि में जाने वाले निर्धन व्यक्ति नहीं दे पायेंगे । इसलिये मेरा सुझाव है कि यह १ आना कर दिया जाये तथा ४० मील की सीमा के स्थान पर यह सीमा २५ मील कर दी जाये । इसके अतिरिक्त २६ से ७५ मील के लिये २ आने तथा १०० मील तक ४ आने तथा १०० मील से अधिक पर ८ आने लिये जाने चाहियें । मैं तीसरे दर्जे के यात्रियों से ८ आने लेने का विरोध करता हूं । इसलिये मुझे आशा है कि रेलवे मंत्रालय तीसरे दर्जे के यात्रियों से लिये जाने वाले कर की राशि ८ आने से घटा कर एक आना कर देगा ।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल पूर्व व जिला मुरादाबाद उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं । मैं इसलिये समर्थन करता हूं कि मैंने स्वयं अपने अनुभव से देखा है कि हरद्वार जैसी जगहों में टर्मिनल टैक्स (सीमा-कर) से जो आमदनी होती है उससे वहां की सुन्दरता बढ़ी है । जो सज्जन वहां गये हैं, स्वयं हमारे अध्यक्ष महोदय वहां गये हैं, उन्होंने देखा होगा कि टर्मिनल

†मूल अंग्रेजी में

टैक्स (सीमा-कर) की सहायता से वहां का कितना विकास किया गया है, वहां के घाटों को कितना सुधारा गया है। वहां बहुत ज्यादा उन्नति हुई है। मैं सब तीर्थ स्थानों के सम्बन्ध में ऐसा ही समझता हूं कि इस रुपये का अच्छा उपयोग किया जा रहा है। मुझे शिकायत है तो केवल यह कि उन तीर्थ स्थानों को ही यह सुविधा दी जा रही है जो कि रेलवे लाइन पर हैं। बहुत से तीर्थ स्थान ऐसे हैं जो रेलवे लाइन पर नहीं हैं। वह इस सुविधा से वंचित रह जायेंगे। मैं आपके सामने बद्रीनाथ का उदाहरण रखता हूं। हमारे उपमंत्री महोदय वहां हो आये हैं। वहां का विकास करने की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन मन्दिर कमेटी के पास रुपया नहीं है। प्रति वर्ष वहां लाख दो लाख यात्री जाते हैं। यदि यह टर्मिनल टैक्स वहां लगा दिया जाय और जो वहां जाते हैं उनसे पैसा वसूल कर लिया जाय तो मैं समझता हूं कि वहां काफी विकास हो सकता है। चूंकि यह विधेयक रेलवे से सम्बद्ध है, इसलिये इसके अन्तर्गत यह बात नहीं आयेगी, लेकिन मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसा उपाय सोचा जाये जिससे ऐसे तीर्थ स्थानों पर भी ऐसी व्यवस्था की जा सके जो कि रेलवे लाइन पर नहीं हैं।

मेरे कुछ मित्रों ने, खास कर मैत्र साहब ने इस बात का सिद्धांततः विरोध किया कि इस तरह का टैक्स न लगाया जाय। मैं तो उनसे बहुत नम्रता के साथ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें करों के सिद्धांत का विरोध तो नहीं करना चाहिये। इस विधेयक में जो कर लगाये गये हैं, वे देखने में पहली नजर में तो ज्यादा जान पड़े, लेकिन जो मेमोरन्डम (ज्ञापन) रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से दिया गया है, उसे देखने से मालूम होता है कि वास्तव में और व्यवहार में इस समय यह कर अधिक नहीं लगाया गया है। थर्ड क्लास के पैसेंजर के लिये कहीं दो आने से बढ़ कर टैक्स नहीं है, किसी खास मौके की बात दूसरी है, जैसे इलाहबाद में कुम्भ मेला होता था, जिसमें लाखों आदमी बिना बुलाये जाते हैं और उनका इन्तजाम करना मुश्किल हो जाता है। वहां पर तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिये ८ आना कर लगाया गया था। परन्तु मैं तो एक आश्वासन अपने मंत्री महोदय से चाहता हूं कि जो अधिकतम कर निर्धारित किया गया है उसका उपयोग केवल विशेष दशाओं में ही किया जाय। साधारणतः जो रेट इस समय तक लगे हुये हैं, वे न बढ़ाये जायें : मुझे आशा है कि रेलवे मंत्री महोदय ऐसा आश्वासन देने की कृपा करेंगे।

जैसा कि मैंने कहा कि दूसरी बात यह है जिसके कारण मैं इस बढ़े हुये टैक्स का समर्थन करना चाहता हूं कि मैंने स्वयं हरद्वार के कुम्भ में देखा है, दो-तीन बार मुझे वहां का कुम्भ देखने का अवसर मिला है, कि जो पिछले बड़े-बड़े कुम्भ हुए, उनमें इतने आदमी आते थे, कि कई लोग तो कुचल कर मर जाते थे। उनका इन्तजाम नहीं हो पाता था, सनिटेशन (सफाई) की हालत भी बहुत खराब थी। लेकिन सन् १९५५ में जब टैक्स लगाया गया तो उसकी वजह से जैसी उम्मीद की जाती थी कि १५ लाख यात्री आयेंगे, उसके स्थान पर केवल ५ या ७ लाख यात्री आये, उनका इन्तजाम बहुत अच्छा हुआ लेकिन रेलवे की आमदनी में कोई अन्तर नहीं पड़ा है।

एक माननीय सदस्य : आदमी तो मरे थे।

श्री भक्त दर्शन : कोई मरा नहीं था, सब जीवित हैं। इसलिये मैं इस विधेयक में बढ़े हुये टैक्स का इन संशोधनों के साथ समर्थन करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय कृपा करके यह आश्वासन जरूर दें कि जो हमारे देश में बड़े-बड़े मेले हैं, केवल उन अवसरों पर ही बढ़ा हुआ टैक्स लिया जायेगा। साधारतः वही टैक्स लगता रहेगा जो इस समय लागू है।

मैंने एक और संशोधन देने की सूचना दी है। पैरा ४ में यह बतलाया गया है और स्वयं इस मेमोरन्डम में दिया गया है कि इस समय २० मील तक के मुसाफिरों से यह कर नहीं लिया जाता, और उन्होंने स्वयं सिफारिश की है कि ४० मील तक के यात्रियों से यह कर न लिया जाय, लेकिन इसमें एक क्लौज

[श्री भक्त दर्शन]

(खण्ड) ऐसा जोड़ दिया गया है कि :

"..... अथवा उस स्थान से उतनी कम दूरी में जितनी केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा निर्धारित करे ।"

इसका मतलब यह है ४० मील तक के लिये कर नहीं लिया जायेगा, लेकिन केन्द्रीय सरकार जहां तक चाहेगी वहीं यह छूट नहीं देगी । हो सकता है कि १५ या २० मील पर ही वह लेने लगे । वह गलत है । जो कृपा वह बायें हाथ से कर रहे हैं, उसे दाहिने हाथ से छीन रहे हैं । उनको अपनी कृपा सबके लिये वैसी ही बनाये रखनी चाहिये और जो ४० मील का नियम है उसका दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिये । इसीलिये मैंने एक यह संशोधन देने की सूचना दी है कि ४० मील से अधिक के यात्रियों पर ही यह टैक्स लगाया जाये ।

मेरे मित्र श्री राम चन्द्र रेड्डी ने एक संशोधन देने की सूचना दी है कि जो क्लेक्शन चार्जेज हैं वह १ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये । रेलवे मिनिस्ट्री ने जो एक्स्प्लेनेटरी नोट (व्याख्यात्मक टिप्पण) दिया है उसमें स्वयं बताया है कि खर्च २·७ से अधिक नहीं आता है । इसका अर्थ यह हुआ कि ३ प्रतिशत तक वह वसूल करे तो जायज़ है । इससे ज्यादा उन्हें नहीं लेना चाहिये । मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि कहीं उनके कर्मचारी उनसे ज्यादा उत्साही न सिद्ध हों और ३ परसेंट से बढ़ा कर १० परसेंट तक न ले लें । इसलिये इस ऐक्ट के अन्दर स्पष्ट कर दिया जाय कि किसी भी दशा में ३ प्रतिशत से ज्यादा खर्च रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काटेगा । बाकी ९७ प्रतिशत जो बचेगा वह स्थानीय संस्थाओं को दे दिया जायगा ।

मैंने एक और संशोधन देने की सूचना दी थी कि जो फ़्री पास होल्डर्स हैं उनको इस कर से मुक्त कर दिया जाय क्योंकि हम लोगों—संसद सदस्यों—पर उनका यह अनुग्रह है कि हमें फ़्री पास मिला हुआ है, सारे भारतवर्ष में जाने के लिये । अगर हमें टैक्स देना पड़े तो यह जरा असंगत मालूम होता है । लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मंत्री महोदय ने अपने संशोधन नं० १२ में सूचना दे दी है कि फ़्री पास होल्डर्स इस टैक्स से मुक्त कर दिये जायेंगे । मैं अपनी ओर से और अन्य सदस्यों की ओर से मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वयं इसको स्वीकार कर लिया ।

इन शब्दो के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

†**श्री रघुवीर सहाय** (जिला एटा—उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : मेरा विचार था कि यह विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसका कोई भी विरोध नहीं करेगा परतु हमें कलकत्ता के सदस्य द्वारा सिद्धांत के आधार पर इसका विरोध किये जाने पर अधिक आश्चर्य हुआ । उन्होंने कराधान जांच आयोग के कुछ उद्धरण दिये । मैं उनका ध्यान आयोग के प्रतिवेदन के खण्ड ३, पृष्ठ ४०७ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें बताया गया है कि यह कर लगाने के लिये नगरपालिकायें उत्सुक होती हैं और यह यात्रियों की सुविधा के हेतु ही लगाया जाता है ।

रेलवे मंत्रालय के ज्ञापन के पृष्ठ २ पर कहा गया है कि पश्चिमी बंगाल में यह कर हावड़ा, बलीगंज, कालीघाट आदि में कलकत्ता सुधार प्रन्यास के लाभ के लिये ही लगाया जाता है । यदि वह इसके विरोधी हैं तो उन्हें चाहिये कि वे इस सुधार प्रन्यास को लिखें कि वह रेलवे मंत्रालय से कहे कि यह कर न लगाया जाय ।

मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं । मेरी राय है कि यह यात्री तथा सीमा-कर, नवीन कर नहीं हैं । जैसा कि बताया जा चुका है यह कर तीर्थ स्थानों पर यात्रियों की सुविधा के लिये लगाये जाते हैं । भारत में प्रचार करके भी लोगों को इन स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता और फिर रेल इसका प्रचार भी बहुत करती है । उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे, गढ़मुक्तेश्वर, कचला, सोंसे आदि इतने स्थान हैं, जहां बहुत

†मूल अंग्रजी में

यात्री आते हैं परन्तु कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जाता । ऐसे स्थानों के लिये विशेष गाड़ियां चलानी चाहिये जिससे प्रतिदिन के यात्रियों को असुविधा न हो । रेलवे प्रशासन को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि उपमंत्री महोदय ने एक संशोधन के द्वारा फ़्री पास वालों को इस कर से मुक्त कर दिया है । इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ–मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को उचित समझती हूं ? और समझती हूं कि यह बिल रेलवे की आमदनी बढ़ाने में सहायक होगा । आज हमें जो काफी रुपया-पैसा मेलों का प्रबन्ध आदि करने में खर्च करना पड़ता है, उसको ठीक-ठाक करने में भी हमें काफी मदद मिलेगी । इस वास्ते इस बिल की बड़ी आवश्यकता थी ।

मैं समझती हूं कि जो टैक्स लगाया जा रहा है वह जनता को खलेगा नहीं क्योंकि हमारे देश की जनता जब कभी मेलों इत्यादि पर जाती है तो वह वहां पर एंजाय (मौज) करने के लिये जाती है और ऐसे मोंकों पर इस बात की परवाह नहीं करती कि कितना खर्च हो जाता है । अगर अब उसको यह कहा जायगा कि थोड़ा-सा पैसा बतौर टैक्स के दे दो, तो यह उसको बुरा नहीं लगेगा ।

दो-तीन बातें इस बिल के अन्दर ऐसी हैं जिनके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं । इसमें यह कहा गया है कि जो लोग दूर से आयेंगे उनके ऊपर तो टैक्स ज्यादा लगेगा और जो-नजदीक से आयेंगे उन पर कम लगेगा । मैं समझती हूं कि जो लोग दूर से आते हैं उनको एक तो किराया ज्यादा देना पड़ेगा और दूसरे टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा और जो नजदीक से आयेंगे उनको टिकट पर भी कम पैसे देने पड़ेंगे और टैक्स भी कम देना पड़ेगा । ऐसी हालत में यह जो बात है यह मेरी समझ में नहीं आती है । जो नजदीक से आते हैं उनको टैक्स कम क्यों देना पड़े और जो दूर से आते हैं उन पर ज्यादा टैक्स क्यों लगाया जाय ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि जो टैक्स हुआ करता है वह एक आदमी से एक ही बार लिया जाता है । लेकिन इस बिल में यह लिखा हुआ है कि जब यात्री आयेंगे तब भी उनसे टैक्स लिया जायेगा और जब वे ऐसे नोटिफाइड एरियाज (अधिसूचित क्षेत्रों) से जायेंगे तब भी टैक्स लिया जायेगा । इस तरह से यह दोहरा टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आया । मैं चाहती हूं कि आप एक ही समय टैक्स लें, या आते समय लें और या जाते समय लें ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि ४० मील के फासले से अगर मनुष्य आये या यात्री आयें तो उससे कम टैक्स न लिया जाय । इस टैक्स का मकसद तो यह है कि सरकार की सहायता की जाय । तो जो लोग मेला देखने आते हैं और वहां आकर तरह-तरह की चीजें खरीदते हैं, दान-पुण्य करते हैं और दूसरी कई तरह से रुपया खर्च करते हैं, वे खुशी-खुशी थोड़ा-सा टैक्स भी दे देंगे, और उनको यह चीज खलेगी भी नहीं । यह ऐसी चीज है कि आदमी समझेगा कि जहां हमने और दस चीजों पर पैसा खर्च किया वहां हमने थोड़ा सा टैक्स भी अदा कर दिया । मैं चाहती हूं कि चाहे कोई ४० मील की दूरी से आये, चाहे उससे ज्यादा की दूरी से, सब से एक-सा लेना चाहिये क्योंकि सब यात्री हैं । यह कहना कि जो फ़्री पास होल्डर हैं जैसे एम० पी० हैं उनको इस टैक्स की अदायगी से माफी दे देनी चाहिये, मैं समझती हूं हमारी शान के खिलाफ है । हमको जिन्हें कोई किराया नहीं देना पड़ता उस आठ आने टैक्स से जो हमें देना चाहिये, माफी दे दी जाती है, तो मैं तो इसे शान के बड़ा खिलाफ समझती हूं । जिस तरह से आम जनता को सरकार की मदद करने के लिये कहा जाता है उस तरह से हमारा भी यह फर्ज हो जाता है कि हम भी सरकार की मदद करें । अगर ऐसा नहीं होता है तब वही बात होगी कि जसे ईसा मसीह ने बाइबिल में लिखा था :

> 'जिनके पास अधिक धन है, उनको और धन दिया जाना चाहिये तथा जिनके पास धन नहीं है, उनसे जो कुछ उनके पास है वह भी छीन लेना चाहिये।'

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

मैं समझती हूं कि सबसे यह टैक्स लिया जाना चाहिये ।

यह बात अवश्य है कि सरकार को मेलों में बहुत अच्छा प्रबन्ध करना चाहिये ।

मेलों में आम तौर पर बड़ा रश (भीड़-भाड़) होता है और गाड़ियां काफी नहीं होतीं हैं । उसका नतीजा यह होता है कि डिब्बों में एक के ऊपर एक आदमी चढ़े होते हैं और डिब्बे बुरी तरह से भर जाते हैं । जब मैं इलाहाबाद कुम्भ के मेले पर गई, तो मुझे इस बात का अनुभव हुआ था । उस वक्त मैंने देखा कि लोगों को सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं होती है । इतने लोग डिब्बों में भर जाते हैं । इसके बावजूद बाहर खड़े हुये लोग दरवाजा पीटते जाते हैं कि दरवाजा खोलो, क्या हमने टिकट नहीं लिया है, तुम लोग मजे से बैठे हो, हमको भी अन्दर आने दो । जो कुछ वे कहते हैं, वह ठीक होता है और सच होता है । मगर अन्दर बैठे हुये लोग भी एक तरह से मजबूर होते हैं । वे दरवाजा खोलें तो कैसे खोलें । डिब्बे के अन्दर तो तिल रखने की जगह भी नहीं होती है । कोई अपने बक्स पर चढ़ा होता है और कोई अपने बिस्तर पर बैठा होता है । बहुतों को तो सारा सफर खड़ा ही रहना पड़ता है । इस हालत के विषय में ही एक कवि ने कहा है :

खड़े हैं खिड़कियों पर और कुछ बैठे हैं कंधों पर,
यह वक्ते-आजमाइश है खुदा के नेक बन्दों पर ।

यह हकीकत है कि जो लोग मेलों को जाने के लिये यात्रा करते हैं, उन खुदा के नेक बन्दों के लिये सफर वाकई वक्ते-आजमाइश होता है ।

आखिर में मैं रेलवे विभाग के मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि उनको लोगों की इन तकलीफों का ख्याल करना चाहिये । वह यात्रियों से टैक्स अवश्य लें और मुझे आशा है कि यात्री भी वह टैक्स बड़ी खुशी सें देंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि उनकी सुविधाओं का भी प्रबन्ध किया जाय और उनको—और खासकर थर्ड क्लास पैसेंजर्ज को—कुछ थोड़ा-सा रिलीफ और आराम देना चाहिये और ज्यादा गाड़ियों की व्यवस्था करनी चाहिये ।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल को बिल्कुल उचित समझती हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : स्पीकर साहब, इस बिल को देख कर पता चलता है कि दर-असल इस बिल में रेलवे का काम **प्रो बोनो पब्लिको** (लोक सेवा) है । रेलवे अपने वास्ते टैक्स नहीं ले रही है । यह टैक्स जो वसूल किया जायगा, वह म्युनिसिपल कमेटीज (नगरपालिकाओं) या लोकल बाडीज (स्थानीय निकायों) को जायेगा ।

†**श्री अलगेशन** : मैं हिन्दी कम समझता हूं इसलिये यदि माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोलें तो मैं उनकी बात पूर्णतया समझ सकूंगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं यह निवेदन कर रहा था कि वास्तव में यह विधेयक एक रेलवे **विधेयक** नहीं है क्योंकि इससे रेलवे को कोई लाभ नहीं होने वाला है । परन्तु फिर भी रेलवे ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने में पर्याप्त काम किया है जिससे जनता को यह जानकरी हो जाये कि वे नगरपालिकाओं की कितनी सहायता करने को तैयार रहते हैं ।

हमारे देश में तीर्थ-यात्रा करना आवश्यक-सा है । हमारे पूर्वजों ने चार धाम बनाये जो देश के चारों कोनों में स्थित हैं । उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम्, पश्चिम में द्वारका तथा पूर्व में पुरी । हमारे पूर्वजों ने इनका चुनाव इस कारण किया था जिससे समस्त देश में तीर्थ स्थान हो सकें ।

---

†मूल अंग्रजी में

मैं जानता हूं कि रेलवे तथा सरकार यात्रा को प्रोत्साहित करने को उत्सुक है। मैं जानता हूं उत्तर की जनता दक्षिण में जाना चाहती है। अब यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तथा विदेशों का भ्रमण भी लोग अधिक संख्या में करने लगे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मैं चाहता हूं कि सरकार तथा रेलवे देश के अन्दर भ्रमण को प्रोत्साहित करे जिस प्रकार रूस में होता है। परन्तु इसको राज्य सहायता देकर प्रोत्साहित करने के स्थान पर वह जनता पर कर लगाना चाहते हैं मैं मानता हूं कि मेलों आदि के अवसर पर रेलवे तथा नगरपालिका को यात्रियों को सुविधा देने के लिये पर्याप्त धन व्यय करना पड़ता है तथा उनको यह धन वापस मिलना चाहिये।

टिप्पण से यह पता चलता है कि कर वसूली की लागत कुल कर का २·७ प्रतिशत होगी और रेलवे का यह सुझाव है कि उसे ३ प्रतिशत मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस बात पर केवल इस दृष्टिकोण से विचार किया जाये कि यात्रियों को सुविधायें मिलनी चाहियें।

इस विधेयक में मैं एक बात यह नहीं समझ पाया हूं कि मेले वाले यात्रियों तथा साधारण यात्रियों दोनों को कर देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि साधारण यात्रियों से भी कर लिया जाये परन्तु यह पता लगाना कि कौन मेले वाला यात्री है तथा कौन साधारण, कठिन कार्य है।

मैं इस कर का विरोधी नहीं हूं अपितु मैं यह चाहता हूं कि यात्रियों को पर्याप्त सुविधायें भी दी जायें। मैं इसका भी विरोधी नहीं हूं कि रेलवे को ३ प्रतिशत अथवा ५ प्रतिशत मिले परन्तु उन्हें यात्रियों को सुविधायें भी उतनी ही देनी चाहियें। इसके अतिरिक्त यह भी जानना बड़ा कठिन है कि नगरपालिकायें वह सब धन, जो उनको इस कर के द्वारा मिलेगा, यात्रियों को सुविधायें देने पर ही व्यय करेंगी।

मैं यह चाहता हूं कि सरकार इसका अवश्य ध्यान रखे कि यात्रियों से जो कर लिया जाता है वह नगरपालिकाओं द्वारा यात्रियों को सुविधायें देने पर ही खर्च किया जाय और इस राशि से उनके अन्य खर्चे न चलायें जायें और कर इतना ही लिया जाय जितना आवश्यक हो।

पहले वक्ता के समान मैं भी दो अथवा तीन खण्डों के आधारभूत सिद्धांत को नहीं समझा हूं। उदाहरणतः मैं भी १५० मील से आने वाले तथा ३० मील से आने वाले यात्री के अन्तर को नहीं समझा हूं। दोनों यात्रियों को समान रूप से कर देना चाहिये। मेरे विचार से अधिक दूरी से आने वाले यात्री से अधिक कर लेने का सिद्धांत ठीक नहीं है।

पहले यह व्यवस्था थी कि ३० मील की सीमा से आये यात्रियों से कर नहीं लिया जाता था परन्तु बाद में यह रियायत ४० मील की सीमा तक बढ़ा दी गई मेरा विचार है कि यह दूरी जितनी कम रखी जाती उतनी ही ठीक थी। क्योंकि कम दूरी वाले तो रेल के स्थान पर अन्य सवारियों के द्वारा भी आ सकते हैं। ४० मील अथवा १०० मील की दूरी में कोई अन्तर नहीं है तथा यह नीति ठीक नहीं है।

खण्ड ८ में दिया गया है कि इस अधिनियम के अधीन लिये गये सीमा-कर के अतिरिक्त अन्य कोई सीमा-कर नहीं लिया जायेगा। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है ठीक है परन्तु जो व्यक्ति हरिद्वार से ऋषिकेश मोटर कार आदि से जाते हैं उनको दुबारा वह कर देना पड़ेगा जो पैदल चलने वालों तथा मोटर से जाने वालों से लिया जाता है। मेरा निवेदन यही है कि एक बार कर ले लेने पर यात्रियों से कोई कर न लिया जाय।

मेरा विचार है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों से ८ आने लेने के स्थान पर चार आने लेने चाहियें। यदि सरकार चाहती है कि धार्मिक समारोह न हों तो उन्हें अधिक कर लेना चाहिये। अतः अधिकतम कर चार आना, आठ आना, तथा बारह आना होना चाहिये तथा आठ आना, एक रुपया तथा डेढ़ रुपया नहीं होना चाहिये। मेरा विचार है कि इस विधेयक को सभी का समर्थन प्राप्त होगा।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं अपने पूर्ववक्ता की एक बात का समर्थन करूंगा । मैं विधेयक के इन उपबन्धों से सहमत हूं कि किसी एक जगह इकट्ठा होने वाले यात्रियों पर इसलिये कर लगाया जाना चाहिये कि नगरपालिका या किसी अन्य संस्था को यात्रियों के लिये आवश्यक व्यवस्था करने की खातिर धन प्राप्त हो । बड़े-बड़े मेलों में सफाई की ठीक-ठीक व्यवस्था न होने के कारण कितने ही लोग रोगों से और अन्य कारणो से मर जाते हैं । अतः उनके लिये सफाई और दूसरी सुविधायों की व्यवस्था करने में, सहायता देने के उद्देश्य से ही यह कर लगाया जाता है और वह स्थानीय व्यवस्थापकों को दे दिया जाता है । अतः सिद्धांततः कोई इस कर का विरोधी नहीं हो सकता ।

एक बात यह कही गयी है कि जनसाधारण पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये । निश्चय ही वह बहुत अच्छा सिद्धांत है किन्तु यदि जनसाधारण को इस कर से मुक्त कर दिया जाय तो मैं नहीं समझ पाता कि रेलवे या कोई दूसरी संस्था असाधारण जन पर किस प्रकार कर लगा सकती है । अतः वह प्रस्ताव व्यर्थ है । दूसरी ओर, यात्रियों की व्यवस्था करने के लिये संस्था को धन दिलाने के हेतु हमें जनसाधारण पर भी कर लगाना होगा । फिर जब वह दूर से आता है तो वह और भी बहुत से खर्च करता है । अतः यह तर्क नहीं रखा जा सकता कि जनसाधारण को कर से विमुक्त किया जाना चाहिये ।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से इस विषय में सहमत हूं कि सभी यात्रियों पर कर लगाया जाना चाहिये चाहे वह कितनी ही दूरी से क्यों न आ रहे हों । मेरे विचार से इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता कि अधिक दूरी से आये यात्री पर अधिक कर लगाये जायें । मेरा मत तो यह है कि कर का बोझ यात्रियों की व्यवस्था करने वाली नगरपालिका या किसी अन्य संस्था की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहना चाहिये, किन्तु सभी के लिये कर एक-सा होना चाहिये । मैं नहीं जानता कि अधिक दूरी के यात्रियों से अधिक कर लेने में रेलवे मंत्रालय का क्या उद्देश्य है ।

†**श्री अलगेशन** : मैं इस बात के लिये सभा का आभारी हूं कि इस विधेयक पर पूरी तरह चर्चा की गयी है । कुछ माननीय सदस्यों ने कल यह जानकारी मांगी थी कि यह कर किस प्रकार वसूल किया जाता है, कितनी वसूली होगी, वसूली का क्या खर्च होगा और वह किस प्रकार खर्च किया जायगा इत्यादि उनकी इच्छानुसार तथा माननीय सभापति के आदेशानुसार एक ज्ञापन परिचालित किया गया है और वह जानकारी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । अन्यथा इस विधेयक पर वाद-विवाद इतना पूर्ण नहीं होता । मुझे हर्ष है कि मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में अधिक जानकारी देने का आज अवसर मिला ।

मैं अपने मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री रघुवीर सहाय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक की विवेचना उचित दृष्टि से की है । अनेक माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि यह विधेयक रेलवे मंत्रालय की ओर से कर लगाने का एक विधेयक है । किन्तु मेरे इन माननीय मित्रों ने स्पष्ट बता दिया है कि हमने राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायों की ओर से यह विधेयक प्रस्तुत किया है । हम जानते हैं कि तीर्थ स्थानों पर कितनी भीड़ इकट्ठी होती है और उन यात्रियों के लिये नाना प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने में विभिन्न नगरपालिकाओं को कितना अधिक बोझ उठाना पड़ता है । इसी बात को ध्यान में रख कर यह कर अब तक वसूल किया जाता रहा । अनुभव से ज्ञात हुआ है कि पहले निर्धारित उच्चतम सीमायें पर्याप्त सिद्ध नहीं हुईं और इसलिये सम्बन्धित राज्य सरकारों की यह मांग रही कि उन्हें अपना दायित्व पूरा करने में सहायता के लिये उच्चतम सीमायें और बढ़ा दी जायें ।

इस प्रकार की वृद्धि के लिये पहले अनेक अवसरों पर हमें अध्यादेश प्रख्यापित करने पड़े और इस सभा के जरिये अधिनियम बनाने पड़े । उन बातों को कम करने के लिये ही यह विधेयक सभा के समक्ष रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ज्ञापन से ही माननीय सदस्यों को यह मालूम हो गया होगा कि जिन जगहों पर अभी तक कर नहीं लिया जाता उनमें से कितनी जगहों से यह कर लगाये जाने की मांग की गयी है, क्योंकि अपने सीमित साधनों से उन यात्रियों की व्यवस्था करना सम्बन्धित नगरपालिकाओं के लिये एक बड़ा कठिन कार्य रहा है। अतः उन नगरपालिकाओं की सहायता के उद्देश्य से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक प्रस्तुत करने में रेलवे मंत्रालय को बहुत हर्ष नहीं है क्योंकि उसने रेल-यात्री और सड़क-यात्री के बीच भेदभाव स्थापित किया है। आशा थी कि कोई माननीय सदस्य यह विषय उठाते, किन्तु मैं स्वतः ही उस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

कराधान जांच आयोग ने इस कर को जारी रखने की सिफारिश करते हुये यह भी कहा है कि परिवहन के अन्य साधनों से यात्रा करने वाले, अर्थात् अधिकतर सड़क-यात्रियों पर एक मिलता-जुलता कर लगाया जाये ताकि सड़क-यात्री और रेल-यात्री दोनों ही एक स्तर पर हो जायें। चूंकि यह विषय राज्य सरकारों का है, रेलवे बोर्ड इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद राज्य सरकारों से सड़क यात्रियों पर ऐसा ही कर लगाने पर विचार करने के लिये कहेगा। उससे वर्तमान भेदभाव दूर हो जायगा। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगी। पैदल पहुंचने वालों पर भी कर लगाया जाये या नहीं इस पर राज्य सरकारें ही विचार करेंगी। जैसे बद्रीनाथ पहुंचने वाले यात्रियों पर कर लगाने का सवाल तभी पैदा होगा, जब हम वहां तक सड़क बना दें और लोग मोटर या बस से वहां पहुंच सकें।

उच्चतम सीमाओं के विषय में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वे बहुत ऊंची है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह तो केवल अधिकतम है और वास्तविक धन राशि सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित की जायेगी। आशा है कि राज्य सरकारें व्यवस्था करने वाली नगरपालिकाओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगी और साथ ही वे वास्तव में आवश्यक उच्चतम सीमा से अधिक ऊंची सीमाओं की मांग नहीं करेंगी। पंडित ठाकुर दास भार्गव का कहना था कि नगरपालिकायें यह धन राशि किसी भी अवस्था में अपने साधारण कार्य के लिये काम में न लायें और उसे केवल यात्रियों पर ही खर्च करें। परिचालित ज्ञापन में इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी हुई है, फिर भी मैं सभा का ध्यान इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। १९५४ में प्रयाग के कुंभ मेले के अवसर पर वर्तमान उच्चतम सीमायें लागू की गयी थीं। किन्तु यह कहा गया कि वे न्यूनतम सीमा होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकार को इस मद के अधीन १४·१२ लाख रुपये और कुछ अन्य साधनों से कुछ और धन राशि प्राप्त हुई किन्तु इस अवसर पर उसका खर्च ४१ लाख रुपये हुआ। इस प्रकार उसे १६ लाख रुपये की कमी पूरी करनी पड़ी। यही बात इस वर्ष हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले के सम्बन्ध में भी हुई। इसी प्रकार ज्ञापन में दिया हुआ है कि कुंभकोणम् में हाल में महामखम उत्सव पर केवल १८ हजार रुपये प्राप्त हुये, किन्तु वहां व्यवस्था का खर्च उससे कई गुना अधिक था। अतः माननीय सदस्यों को इस बारे में शंका नहीं करनी चाहिये कि नगरपालिकायें इस कर से प्राप्त धन राशि अपने सामान्य कार्य में खर्च करेंगी।

यह भी कहा गया था कि इतना ही पर्याप्त नहीं कि हम वसूली की धन राशि राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं को सौंप दें और चुपचाप बैठ जायें बल्कि हमें उसकी छानबीन भी करनी चाहिये और इस विषय में जागरूक रहना चाहिये कि वह धन राशि किस प्रकार खर्च की जाती है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारों की अपनी लेखा परीक्षा तथा छानबीन रहती है और वह इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त होनी चाहिये। फिर भी इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की शंकाओं की सूचना राज्य सरकारों को दे दी जायेगी जिससे वे भविष्य में अधिक सतर्क रहें।

जहां तक उच्चतम सीमाओं का सम्बन्ध है, वास्तविक अनुभव से यह प्रकट है कि हमें इस दशा में अधिकतम का कम से कम उपबन्ध करना चाहिये। प्रयाग के कुंभ मेले तथा हरिद्वार के अर्ध-

[श्री अलगेशन]

कुंभ मेले के अवसर पर इस अधिकतम स्तर पर कर इकट्ठा करने पर भी, वह अपने प्रयोजन के लिये पर्याप्त नहीं सिद्ध हुआ। कुंभ मेले के असवर पर अन्य जरियों से भी आय होने पर जो ४·७१ लाख रुपये थी, वह अपर्याप्त सिद्ध हुई। अतः यह समझा जा सकता है कि इन उच्चतर सीमाओं में कमी करना संभव नहीं है। यदि हम उनमें कमी करें तो परिणाम यह होगा कि राज्य सरकारें उन्हें बढ़ाने की मांग करेंगी और हमें फिर उसमें संशोधन करना होगा। अतः ऐसा करना ठीक न होगा। सभा से मेरी प्रार्थना है कि यहां प्रस्तावित स्तर पर ही उच्चतम सीमायें कायम रखी जायें।

एक सुझाव यह रखा गया था कि "शीलोष्ण नियंत्रित" तथा प्रथम श्रेणी के करों में अन्तर होना चाहिये। श्री न० रा० मुनिस्वामी ने भी यही मांग की थी यद्यपि उनके संशोधन से यह मालूम होता है कि उन्होंने वहां ऐसा भेदभाव नहीं किया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं अब भी वह अन्तर लागू किया जा सकता है। "शीतोष्ण नियंत्रित" और प्रथम श्रेणी के लिये ही उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी है। हम दोनों के लिये भिन्न-भिन्न दर तय कर सकते हैं, एक के लिये ऊंचा हो सकता है और दूसरे के लिये नीचा। अतः उस विषय में पहले ही ध्यान दिया गया है।

इस सम्बन्ध में परस्पर विरोधी मत प्रकट किये गये हैं कि कितनी दूरी तक के यात्रियों को इस कर से मुक्त किया जाये। श्री राघवाचारी ने यह कहा कि चूंकि हमें यह शक्ति प्राप्त है कि हम इस दूरी को ४० मील से घटा सकते हैं, इसलिये हमें चाहिये कि यह विमुक्ति किसी को भी न दें। अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कर सभी को देना चाहिये। श्री मुनिस्वामी ने कहा कि चूंकि यह कर कभी-कभी ही लगता है तो इस बात में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि सभी यह कर दें। कई मामलों में तो यह कर सदा ही लगेगा। उदाहरण के रूप में रामेश्वरम्, को ही लीजिये। वहां सारा वर्ष सीमा-कर लगता है। विभिन्न राज्यों से यह मांग की जा रही है कि कुछ स्थानों में तीर्थ-यात्री सारा वर्ष आते रहते हैं। उदाहरण के लिये बनारस ऐसा स्थान है जहां तीर्थ-यात्री वर्ष में एक-दो बार नहीं बल्कि वर्ष भर जाते रहते हैं। ऐसे स्थानों के पास जो लोग रहते हैं और जो वहां किसी धार्मिक प्रयोजन या तीर्थ-यात्रा के लिये नहीं बल्कि अपने साधारण काम या जीविका के लिये जाते हैं, उन्हें यदि यह कर देना पड़े तो उन पर बड़ा बोझ पड़ेगा। इसी विचार से कुछ दूरी तक के लोगों को इस कर से मुक्त कर दिया गया है। इसके लिये पहले ३० मील की दूरी निश्चित थी, अब इसे बढ़ा कर ४० मील कर दिया गया है। परन्तु इसके वास्तविक निर्धारण के समय राज्य सरकारों और रेलवे मंत्रालय के पास इस बात की गुंजाइश रहेगी कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसमें फेर बदल कर सके। इसका निर्धारण तीर्थ-स्थान के विभिन्न ओर के स्टेशनों को ध्यान म रख कर किया जायगा। इसलिये यह सीमा ४० मील की कर दी गयी है। मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिये।

यह सुझाव दिया गया है कि अधिक दूरी से आने वाले यात्रियों से कम दूरी से आने वालों की अपेक्षा अधिक कर नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि सुविधायें तो सभी के लिये एक सी हैं, चाहे वे पास से आते हों या दूर से। इस तर्क का खण्डन करने के लिये मेरे पास कोई जोरदार दलील नहीं। यह बड़ा अच्छा सुझाव मालूम होता है। परन्तु यह कहा जा सकता है कि जो दूर से आते हैं, वे शायद कुछ अधिक दे सकें और उनके लिये उसमें कोई कठिनाई न हो। निकट और दूर से आने वालों पर विभिन्न दरों से कर लगाने की बात उचित है, इसके पक्ष में सिवाय इसके और कोई दलील नहीं है।

यह कहा गया है कि इस कर की वसूली के लिये रेलवे को कुछ न दिया जाय। श्री मुनिस्वामी ने यहां तक कहा कि इस कर में केन्द्रीय सरकार का यह योगदान होना चाहिये कि वह इसकी वसूली का खर्च न लें। मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि ऐसे अवसरों पर रेलवे की ओर से कुछ खर्च नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये कुंभ मेले के अवसर पर रेलवे ने ७० लाख रुपये से अधिक खर्च किया था। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं जिनसे यह पता चले कि हम उस खर्च को वसूल कर सकें हैं

या नहीं। परन्तु हम ऐसे अवसरों पर यह नहीं देखते कि इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा या नहीं। हम तो इस बात का ध्यान ही रखते हैं कि ऐसे स्थानों पर जो लोग इतनी संख्या में जमा होते हैं, उनके प्रति रेलों की जिम्मेदारी है और उन्हें इन तीर्थ-यात्रियों को अधिकाधिक सुविधायें देने के लिये प्रयत्न करने या खर्च करने में कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिये। इसी आधार पर प्रबन्ध किया जाता है। मैंने कई स्थानों का निरीक्षण किया है और देखा है कि जो प्रबन्ध थे, वे आवश्यकता से अधिक थे। अर्थात् यात्रियों को सुविधायें देने में रेलें पर्याप्त उदार रही हैं। यह बात नहीं कि हम इस ओर कुछ नहीं कर रहे हैं। स्थानीय निकाय जितनी सुविधायें दे सकते हैं उनके साथ ही और सारी सुविधायें दी गई हैं और इस प्रकार अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है।

वसूली पर व्यय की गणना ठीक-ठीक की गयी है। किसी की यह धारणा नहीं होनी चाहिये कि वास्तव में जितना हम व्यय करते हैं उससे अधिक वसूल कर लेंगे। इस सम्बन्ध में मैं संविधान के अनुच्छेद २७९ (१) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं उक्त अनुच्छेद का कुछ अंश पढ़ कर सुनाता हूं :

> "....उन उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये किसी क्षेत्र के भीतर, अथवा उससे मिले हुये माने जानेवाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम्य भारत के नियन्त्रक-महा-लेखा परीक्षक द्वारा अभिनिश्चित तथा प्रमाणित किया जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा।"

इस प्रकार यह किसी भी दशा में तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस कारण हमें इस बारे में चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि रेलों की जितनी लागत लगेगी उससे कुछ भी अधिक वह वसूल करेंगी।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : वसूली पर व्यय में कौन कौन सी विभिन्न मदें सम्मिलित की गयी हैं ?

†**श्री अलगेशन** : यह भी कहा गया था कि रेलों ने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त नहीं किये हैं। यह वे अपने साधारण कार्य और कर्तव्यों के साथ करते हैं अतः अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता है। मुझे बताया गया है कि इससे लेखा-कार्यालयों में काम बहुत बढ़ गया है और वसूली पर व्यय आदि रेलों द्वारा किये गये वास्तविक अतिरिक्त कार्य से ठीक-ठीक सम्बन्ध रखता है। वैसी भी वसूली में से दो–तीन प्रतिशत ले लेना कोई अधिक नहीं है।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : वसूली पर व्यय के अधीन कौन कौन सी मदें आती हैं ?

†**श्री अलगेशन** : फालतू काम भी तो करना पड़ता है।

स्थानीय निकायों की ओर से रेलों को कुछ अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ता है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, जो शुद्ध आगम के बारे में है। शुद्ध आगम प्रत्येक दशा में वसूली पर व्यय को घटा कर ही निकाला जाता है। इसका अनुमान पहले ही लगा लिया गया था और जिसका उपबन्ध कर दिया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : टिकट और जारी करने वाला क्लर्क एक ही होता है। किन्तु लेखा शाखा को भाड़े में से कर को अलग करना होगा।

†**श्री अलगेशन** : जी, हां। निःशुल्क पास प्राप्त करने वालों का उल्लेख किया गया था और कुछ संशोधन इस बारे में रखे गये थे कि निःशुल्क पास वालों को इन करों से मुक्त किया जाना चाहिये। इस श्रेणी में न केवल संसद् सदस्य ही अपितु रेलवे कर्मचारी भी आ जाते हैं जो ऐसे पासों से यात्रा करते

†मूल अंग्रेज़ी में

हैं। पिछले अधिनियम के अधीन उन्हें इससे छूट मिली थी जिसे हम केवल चलाते जा रहे हैं। यह कोई नया उपबन्ध नहीं है। होता यह है कि संसद् सदस्य भी इस श्रेणी में सम्मिलित कर लिये जाते हैं। यह बड़ी छोटी-सी बात है। ऐसी बात नहीं है कि संसद् सदस्य जिनकी संख्या बड़ी सीमित है, बहुधा इन तीर्थ-स्थानों को जाते हों। उन्हें और काम भी तो रहते हैं। एक यह सुझाव भी दिया गया था कि १२ वर्ष से कम तथा ३ वर्ष से अधिक अवस्था के बच्चे से निश्चित दर का आधा वसूल किया जाना चाहिये। अर्थात् विधेयक के खण्ड ५ के अधीन इसका ध्यान रखा जाता है जिसके अनुसार रेलें स्वयं रेल द्वारा यात्रा करने वाले एक वर्ग के लिये आधी दर निश्चित कर सकती हैं।

कुछ संशोधन रखे गये हैं। पास प्राप्त करने वालों तथा सैनिकों को छोड़कर अन्य के बारे में एक संशोधन रखा गया है। मैंने उसमें 'रक्षित गाड़ियों में गाड़ी के दर पर यात्रा करने वाले सैनिक' नामक शब्द बढ़ा दिये हैं। मैं समझता हूं कि मैंने सारी बातों का उत्तर दे दिया है और मैं अनुरोध करता हूं कि यह प्रस्ताव पास कर दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ तीर्थ-स्थानों या जहां मेले अथवा प्रदर्शनियां होती हों, ऐसे स्थानों को रेलों द्वारा जाने और वहां से आने वाले यात्रियों पर सीमा-कर लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ और ३

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड २ और ३ पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४—(सीमा-कर कुछ सीमाओं के अन्तर्गत नहीं लगाया जायेगा)

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन संख्या ७ है। मंत्री महोदय ने इस विषय में समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से प्रकाश नहीं डाला है कि आखिर कौन से सर्कमस्टांसिज़ हैं—परिस्थितियां हैं—जिनमें चालीस मील से कम यात्रा करने वाले व्यक्ति पर भी टर्मिनल टैक्स लगाया जायेगा। यहां पर क्यों न केवल चालीस मील ही रहने दिया जाय ?

†**श्री अलगेशन** : मैं समझता था कि मैंने इसकी पूरी तौर से व्याख्या कर दी है। यदि वे शब्द निकाल दूं जो माननीय सदस्य मुझ से निकलवाना चाहते हैं तो प्रत्येक दशा में यह ४० मील ही रहेगा। इस पर मैंने यह निवेदन किया था कि वहां तक छूट देना आवश्यक नहीं होगा। भिन्न-भिन्न तीर्थ-स्थानों की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए हो सकता है कि उनकी मांग यह न हो कि वे इतना बड़ा ऐसा क्षेत्र चाहते हैं जिस पर कर न लगाया जाये। हो सकता है कि ऐसे तीर्थ-स्थान को जो लोग किसी अन्य कार्यवश जाते ह उसकी दूरी ४० मील न हो। हो सकता है कि वहां केवल २० मील के फासले के ही लोग आते हों। ऐसी दशा में यह क्षेत्र २० या २५ मील ही निश्चित किया जा सकता है। ऐसा करने और

†मूल अंग्रेजी में

जितने लोगों को छूट देना अत्याधिक अनिवार्य हो उन्हें छूट देने के लिये सुरक्षा के रूप में इन शब्दों का होना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे।

श्री भक्त दर्शन : मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर में खण्ड ४, ५ और ६ को एक साथ रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ से ६ विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ७—(कर की वसूली का ढंग)

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं। माननीय मंत्री ने हमें यह आश्वासन नहीं दिया है कि वह वसूली व्यय तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि इस वसूली व्यय में कौन-कौन सी मदें सम्मिलित की गई हैं। इस कारण में अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं।

†**श्री अलगेशन** : मैं अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। मुझे इस बात का खेद है कि मैं माननीय सदस्य को अपनी बात न समझा सका। वास्तव में इस व्यय की गणना की जा चुकी है और वह २·७ प्रतिशत आता है। अतः मेरे लिये यह संशोधन स्वीकार करना कठिन होगा।

श्री भक्त दर्शन : मेरा संशोधन संख्या ८ है। उसमें मैंने तीन परसेंट रखा है। श्री रामचन्द्र रेड्डी ने एक परसेंट रखा है। जो मेमोरेंडम (ज्ञापन) दिया गया है, उसमें खुद रेलवे मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि २·७ परसेंट तक खर्चा बैठता है। अतः तीन परसेंट (प्रतिशत) से ज्यादा किसी हालत में नहीं होना चाहिये। आखिर इस संशोधन को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री अलगेशन** : वसूली पर वास्तव में ठीक-ठीक व्यय इतना ही होता है जिसे नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक ने स्वीकार कर लिया है। इतना तो वसूल करना ही होगा, इससे कम या अधिक नहीं। मैं माननीय सदस्य को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि तीन प्रतिशत से यह अधिक नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि व्यय बढ़ता है तो स्थानीय सरकार इस मामले को केन्द्रीय सरकार के सम्मुख रखेगी।

†**श्री अलगेशन** : यह कोई गुप्त रूप से तो होगा नहीं, महालेखा-परीक्षक इसको प्रमाणित करेगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : स्थानीय सरकार का तो इसमें प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थानीय सरकार को ही तो यह मिलता है। मुझे विश्वास है कि स्थानीय सरकार का इस मामले से सम्बन्ध है। स्थानीय सरकार इस मामले में चुप होकर नहीं बैठ सकती।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८ विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९–(विमुक्तियां)

किया गया संशोधन पृष्ठ ३,

(१) पंक्ति १८, and ("और") हटा दिया जाये;

(२) पंक्ति १९, अन्त में यह जोड़ा जाये ;

"and troops travelling in reserved vehicles at vehicle rate"

["और रक्षित गाड़ियों में गाड़ी की दर पर यात्रा करने वाले सैनिक, और";]

और

(३) पंक्ति १९ के पश्चात् यह जोड़ा जाये :

(d) "free pass holders"

["(घ) निःशुल्क पास वाले।"]

—[श्री अलगेशन]

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इसके विरोधी कोई संशोधन हुये तो वे अवरुद्ध हो जायेंगे ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मेरा संशोधन इसमें आ गया है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । अब मैं इस खण्ड को संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खण्ड ९, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अनुसूची पर आते हैं । क्या कोई माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** :

प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अलगेशन** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह साधारण विधान है । इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि मद्रास के उच्च न्यायालय ने एक निर्णय द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ३५ में कुछ उपबन्धों की वैधता को चुनौती दी है ।

आप देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन विधेयक के खण्ड ३५ में मद्रास विधान परिषद् के गठन का उल्लेख है, जो इस प्रकार है ;

"(१) मद्रास की विधान परिषद् में नियत दिन से ४८ स्थान होंगे जिनमें से —

(क) अनुच्छेद १७१ के खण्ड (३) के उप-खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित लोगों में से रखी जाने वाली संख्या क्रमशः १६, ४ और ४ होगी;

(ख) उक्त खण्ड के उप-खण्ड (घ) के अनुसार विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित लोगों में से रखी जाने वाली संख्या १६ होगी; और

(ग) उक्त खण्ड के उप-खण्ड (ङ) के अनुसार, राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित लोगों में से रखी जाने वाली संख्या ८ होगी ।"

तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ३५ द्वारा मद्रास परिषद् का पुनर्गठन इस प्रकार होगा ।

तत्पश्चात्, धारा ३५ की उप-धारा (२) निम्न प्रकार से है :

"नियत दिन से द्वितीय अनुसूची द्वारा निर्देशित रूप भेदों के अधीन परिषद् निर्वाचन क्षेत्र (मद्रास) परिसीमन आदेश, १९५१ प्रभावी होगा" ।

निस्संदेह अधिनियम के इस अंश से हमारा अधिक सम्बन्ध नहीं है ।

चूंकि मद्रास की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी, इस कारण आवश्यक समायोजन करने के लिये धारा ३५ की उप-धारा (३) में संशोधन करना है । धारा ३५ की उप-धारा (३) निम्न प्रकार से है :

"पश्चिमी तट (स्थानीय प्राधिकार) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उक्त परिषद् के दो वर्त्तमान सदस्य और मद्रास (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छः वर्त्तमान सदस्यों में से ऐसे दो सदस्य और विधान सभा द्वारा निर्वाचित अठारह वर्तमान सदस्यों में से ऐसे दो सदस्य जिनको उक्त समिति का सभापति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करेगा, नियत दिन उक्त परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

मद्रास की विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या घटाने और यह संख्या इतनी कम करने के लिये जिसका उपबन्ध धारा ३५ (१) में पहले ही किया जा चुका है, यह उपबन्ध रखा गया था।

जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, धारा ३५ (१) में उन सदस्यों का उल्लेख है जिनका निर्वाचन उन व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जिसका उल्लेख उप-धारा (क) से (ग) में किया जा चुका है। यहां पर हमारा सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद १७१ (३) (ख) से है जो निम्न प्रकार है :

"(ख) यथाशक्य द्वादशांश उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने हुये निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी विश्व-विद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं अथवा, जो कम से कम तीन वर्ष से ऐसी अर्हताओं को धारण किये हुए हैं जो संसद् निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन वैसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के तुल्य विहित की गई हों।"

अतः मद्रास (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र भूतपूर्व मद्रास विधान परिषद् में छः सदस्य भेजा करती थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हमने वह संख्या घटा कर चार कर दी है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा ३५ (१) (क) में उपबन्ध है। यह संख्या छः से घटाकर चार कर दी गई है और इसीलिये धारा ३५ (३) में हमने यह शर्त रख दी है कि "मद्रास (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छः सदस्यों में से ऐसे दो सदस्य और विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अठारह सदस्यों में से दो ऐसे सदस्य, जिनको परिषद् का सभापति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करेगा।" अतः परिषद् के सभापति को इस बात का निश्चय करने की शक्ति दी गई थी कि मद्रास स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अवकाश प्राप्त करने वाले वे दो व्यक्ति कौन-कौन होंगे जिससे उनकी संख्या छः से कम करके चार की जा सके।

श्री जान नामक एक व्यक्ति ने इस उपबन्ध की मान्यता को इस आधार पर चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में एक प्रशस्ति याचिका प्रस्तुत की थी कि मद्रास विधान परिषद् के सभापति, जिन्हें इस बात का निर्णय करने की शक्ति दी गई थी कि कौन से दो सदस्य अवकाश प्राप्त करेंगे, स्वयं ही मद्रास (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्वाचित किये गये विधान परिषद् के सदस्य हैं। इस आधार पर उन्होंने यह कहा कि यह उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद १४ में दिये गये उपबन्धों को देखते हुए असंगत है, इस कारण मद्रास उच्च न्यायालय ने ५ नवम्बर, १९५६ को श्री जान द्वारा उठायी गई आपत्ति को उचित ठहराया और यह विचार प्रकट किया कि उस सीमा तक, यह उपबन्ध संविधान के उपबन्धों के विपरीत है। अतः राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ३५ में दिये गये उपबन्धों के अनुसार उचित रूप से मद्रास विधान परिषद् बनाने के लिये अभी कुछ करना है।

अतः अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव था जैसी व्यवस्था इस विधेयक में, जिस पर चर्चा हो रही है, की गई है। दो आपत्तियां की गई थीं। एक तो यह कि जो व्यक्ति इसका निर्णय करने वाला था, स्वयं उसका निर्वाचन सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से ही किया गया था। दूसरी आपत्ति यह की गई थी कि इसको विधान परिषद् के सभापति के मनमाने निर्णय पर छोड़ दिया गया था और इसके विपरीत कोई संकेत नहीं दिया गया था। इस कारण इस विधेयक के द्वारा हमने मद्रास के राज्यपाल को इसकी शक्ति दे दी थी कि वह पर्चियां डाल कर इसके बारे में निश्चय करे कि विधान परिषद् के कौन-कौन से दो सदस्य हटाये जायें। संक्षेप में, विधेयक में यही प्रस्ताव रखा गया है। इसका निर्णय किसी व्यक्ति विशेष अर्थात् परिषद् के सभापति के ऊपर छोड़ने के बजाय हमने "राज्यपाल के द्वारा" शब्द रख दिये हैं क्योंकि राज्यपाल का निर्वाचक निकायों से कोई मतलब नहीं होता। अतः इसका निर्णय अब मद्रास के राज्यपाल पर्चियां डाल कर किया करेंगे। केवल इसी साधारण प्रयोजन के लिये यह विधेयक प्रस्तुत

किया गया है अर्थात् मद्रास की विधान परिषद् के सदस्यों की अधिकतम संख्या के अनुरूप, जो ४८ निश्चित कर दी गई है, इस संख्या को छः से घटाकर चार किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि यह विधान जिसकी आवश्यकता मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण आ पड़ी है, सभा द्वारा स्वीकार किया जायेगा। जब तक ऐसा नहीं होता और मद्रास विधान परिषद् का उचित रूप से गठन नहीं होता तब तक राज्य में विधान कार्य रुका रह सकता है। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मुझे आशा है कि इस पर अधिक आपत्ति नहीं होगी और वह स्वीकृत किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री शं० शां० मोरे** (शोलापुर) : राज्य पुनर्गठन अधिनियम से कई राज्यों के साथ महा अन्याय हुआ है। उदाहरणार्थ, मद्रास को लीजिये। विधान परिषद् में कुल ४८ और विधान सभा में कुल २०६ सदस्य हैं परन्तु अब विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या का प्रतिशत बढ़ गया है। अब विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई भाग कर दी गई है जबकि पहले यह एक-चौथाई थी। मेरा निवेदन यह है कि राज्यों के बारे में हमें कोई निश्चित सिद्धान्त अपनाना चाहिये। सरकार ने यह विधेयक बिना किसी उद्देश्य के प्रस्तुत किया है। सरकार विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बताने वाली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की अनुसूची में संशोधन कर सकती थी तथा कह सकती थी कि मद्रास को अपनी विधान परिषद् में अधिकतम ६९ सदस्य रखने का अधिकार है। विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों ने गृह-कार्य मंत्रालय और विधि-मंत्रालय से शिकायतें की हैं कि संविधान के संशोधित अनुच्छेद १७१ के अनुसार राज्य परिषदों के सदस्यों की संख्या में इसी अनुपात से वृद्धि होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मद्रास के बारे में माननीय सदस्य के सुझाव का यह अर्थ हो सकता है कि परिषद की सदस्यता को छः से घटा कर चार करने की बजाय ४८ से बढ़ा कर ५० की जा सकती है। जब दो सदस्यों से छुटकारा पाने की समस्या उठी तो न्यायालय का मत यह था कि शलाका करने का प्राधिकार उन व्यक्तियों में से एक को दिया गया था जो स्वयं एक सदस्य था और इसलिये यह अनियमित था। विधेयक इसे मान्यता देना चाहता था और प्राधिकार राज्यपाल को देना चाहता है। माननीय सदस्य का यह सुझाव तो मेरी समझ में आता है कि इतना आगे बढ़ने की बजाय फिर से मूल संख्या को ज्यों का त्यों कर दिया जाय। परन्तु इससे आगे बढ़ना और बम्बई आदि का प्रश्न उठाना इस विधेयक के विषय से असम्बन्धित है।

†**श्री शं० शां० मोरे** : आप जो कहते हैं वह मुझे स्वीकार है। परन्तु मद्रास के सम्बन्ध में मैं क्षमतापूर्वक आग्रह कर सकता हूं कि मद्रास की विधान परिषद् में ४८ सदस्यों की बजाय ५० सदस्य हो सकते हैं। आप दो सदस्यों को उसमें रहने की अनुमति दे सकते हैं। मद्रास तथा अन्य राज्यों के बारे में आप सिद्धान्त में परिवर्तन कर सकते हैं और अनुसूची का रूप-परिवर्तन कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो दो वर्तमान सदस्यों को सदस्यता से वंचित करने की बजाय यह अधिक सरल और माननीय प्रक्रिया होगी। अधिकतम संख्या ६९ हो सकती है। सरकार इस सीमा के अन्तर्गत ५०, ५४, ६० या ६९ तक सदस्य नियुक्त कर सकती है। इसमें कोई बाधा नहीं हो सकती।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** (तिरुपुर) : इस विधेयक का सम्बन्ध केवल मद्रास की विधान परिषद् से है। दो अतिरेक सदस्यों को कम करने के लिये, हमने सभापति को यह अधिकार दिया कि वह यह निश्चित करे कि किन दो सदस्यों को कम किया जाये। परन्तु दुर्भाग्यवश सभापति विश्व विद्यालय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० सु० अ० चेट्टियार]

द्वारा निर्वाचित किया गया था, तथा जिस व्यक्ति को छोड़ दिया गया, उसने उच्च न्यायालय में यह अभियोग चलाया कि परिषद् के सभापति का निर्वाचन स्नातकों ने किया है इसलिये उसे यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। उच्च न्यायालय का भी यही मत था। अब सरकार कहती है कि परिषद् के सभापति की बजाय राज्यपाल यह निश्चित करे कि किस व्यक्ति को निकालना है। मैंने जिस संशोधन की पूर्व-सूचना दी है वह श्री मोरे के मद्रास की विधान परिषद् सम्बन्धी सुझाव को कार्यान्वित करता है तथा स्नातक प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा कर छः करना चाहता है। मैं आशा करता हूं कि यह बात संविधान या और किसी विधि के विरुद्ध नहीं है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : बात यह है कि क्योंकि राज्यपाल विधान मण्डल का एक अंग है, इसलिये उसे पर्ची निकाल कर सदस्यों को निर्वाचित घोषित करने का उत्तरदायित्व नहीं दिया जायेगा। जहां तक सभापति का सम्बन्ध है, वह मद्रास (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान छः सदस्यों में से एक है। यदि परिषद् का सभापति दो सदस्यों को कम करने के लिये पर्ची निकालता तो कोई कठिनाई नहीं होती। अब उसे कम किये जाने वाले दो सदस्यों के नाम निश्चित करने का मनमाना अधिकार दे दिया गया है और वह मानव होने के नाते अपना नाम निश्चय ही छोड़ देगा और उन दो व्यक्तियों के नाम चुनेगा जो उससे बहुत घनिष्ट नहीं हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि पर्ची निकालना एक कार्यपालिका सम्बन्धी कृत्य है और कोई भी अन्य व्यक्ति कर सकता है। राज्यपाल से यह काम करने के लिये क्यों कहा जाये। निर्वाचन-आयुक्त एक स्वाधीन प्राधिकारी है तथा उसकी इसमें कोई रुचि नहीं है कि इस सभा में या उस सभा में कौन व्यक्ति आता है। अतः उसे पर्ची निकालने और उन दो व्यक्तियों के नाम छोड़ने का प्राधिकार भली भांति दिया जा सकता है। निर्वाचन-आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी इस कार्य के लिये उचित होगा। ऐसा करने से हम राज्यपाल से कहने की कठिनाई को दूर कर सकते हैं। अतः मैं सिफारिश करता हूं कि सभा मेरे संशोधन को स्वीकार करे।

†**श्री पाटस्कर** : मैंने आरम्भ में ही बताया था कि यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है। माननीय सदस्य श्री शं० शाँ० मोरे ने संविधान के अनुच्छेद १७१ के संशोधन का उल्लेख किया था तथा यह भी कहा था कि साधारणतया यह उचित है कि परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाये। यह एक बड़ी बात है जो अब तक कुछ राज्यों ने उठाई है। मुझे विश्वास है कि इस बड़ी बात के बारे में निश्चय करते समय यह मामला इस सभा के समक्ष रखा जायेगा तथा हम इस मामले में इतनी एकरूपता लाने का प्रयत्न करेंगे जितनी कि कोई मानव कर सकता है। यदि वस्तुतः इस मामले के बारे में कोई अविलम्बनीयता न होती तो हम बड़े-बड़े प्रश्नों के बारे में विनिश्चय होने तक प्रतीक्षा करते। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ३५ के अधीन उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप मद्रास की विधान परिषद् के लिये कार्य करना असम्भव हो गया है क्योंकि उस पर आपत्ति की जा सकती है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि अन्य राज्यों ने जो भी अभिवेदन किये हैं, उन पर सरकार उचित विचार करेगी।

वर्तमान मामले में दो विकल्प हैं। एक का सुझाव श्री ति० सु० अ० चेट्टियार ने दिया है। मेरा ख्याल है कि उस पर संशोधनों पर विचार करते समय विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य श्री न० रा० मुनिस्वामी के सुझाव के बारे में मेरा विचार है कि राज्य के राज्यपाल को पर्ची निकालने और मामले का विनिश्चय करने का प्राधिकार देने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि संविधान के अधीन राज्यपाल भी एक स्वाधीन व्यक्ति है। फिर भी, यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में कोई भी यह कह सकता है कि यह क, ख, ग आदि कोई भी व्यक्ति होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इससे अधिक माननीय सदस्यों को इस तर्क पर ज़ोर नहीं देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि अब यह प्रस्ताव स्वीकार हो जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : मद्रास में नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है । यदि नया राज्यपाल स्नातक निर्वाचक-क्षेत्र का सदस्य है तो पुनः आपत्ति की जा सकती है ।

†**श्री पाटस्कर** : मेरा संक्षिप्त उत्तर यह है । अनुच्छेद १५८ के अधीन,

"राज्यपाल संसद् के किसी सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य न होगा ·····"

स्वयं संविधान में उपबन्ध है कि वह भारत में कहीं भी किसी भी सदन का सदस्य न होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २--(धारा ३५ का संशोधन)

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : मेरे संशोधन के दो भाग हैं । एक का सम्बन्ध संख्या बढ़ा कर ५० करने के लिये धारा ३५ से है । संशोधन (ख) में कहा गया है कि "तथा मद्रास (स्नातक) निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छः सदस्यों में से ऐसे दो सदस्य" शब्दों और कोष्टकों को हटा दिया जाये । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १--

खण्ड २ के स्थान पर रखिये :

'2. **Amendment of Section 35.**—In Section 35 of the States Reorganisation Act, 1956 (hereinafter referred to as the principal Act)—

(a) in sub-section (1)—

(i) for the figures "48" the figures "50" shall be substituted; and

(ii) in clause (a), for the figures "16, 4 and 4" the figures "16, 6 and 4" shall be substituted; and

(b) in sub-section (3), the words and brackets "and such two of the six sitting members representing the Madras (Graduates) Constituency" shall be omitted.'

['२. **धारा ३५ का संशोधन**--राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ (तदोपरान्त "मुख्य अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा ३५ में--

(क) उप-धारा (१) में--

(१) आंकड़े "४८" के स्थान पर "५०" का आंकड़ा रखा जाय; और

(२) खण्ड (क) में आंकड़े "१६, ४ और ४" के स्थान पर "१६, ६ और ४" आंकड़े रखे जायें; और

(ख) उप-धारा ३ में, "तथा मद्रास (स्नातक) निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छः सदस्यों में से दो सदस्य" शब्दों और कोष्ठकों को हटा दिया जाये']

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में प्रारम्भ की संख्या को फिर रखना चाहते हैं। छः से घटा कर चार कर देने से यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि दो को कैसे कम किया जाये तथा पर्ची राज्यपाल निकाले या सभापति? यदि सभा इसे स्वीकार कर लेती है तो श्री न० रा० मुनिस्वामी का संशोधन नियम बाह्य हो जाता है। क्या माननीय मंत्री यह संशोधन स्वीकार करने को तैयार हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : जी हां, क्योंकि यद्यपि मैं अधिनियम में उस रूप में संशोधन किये जाने को अधिक पसंद करता जिसके लिये मैंने प्रार्थना की है, परन्तु इस बात की दृष्टि से कि विभिन्न राज्यों ने सदस्यों की संख्या का प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि यदि हम इस विधेयक में संख्या ४८ से बढ़ा कर ५० कर दें तो इससे बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। पर्ची निकालने का प्रश्न तथा यह प्रश्न कि यह काम कौन करे, नहीं रहेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १—

खण्ड २ के स्थान पर रखिये :

'2. **Amendment of Section 35**—In Section 35 of the States Reorganisation Act, 1956 (hereinafter referred to as the principal Act)—

(a) in sub-section (1)—

(i) for the figures "48" the figures "50" shall be substituted; and

(ii) in clause (a), for the figures "16, 4 and 4" the figures "16, 6 and 4" shall be substituted; and

(b) in sub-section (3), the words and brackets "and such two of the six sitting members representing the Madras (Graduates) Constituency" shall be omitted.'

['२. **धारा ३५ का संशोधन**—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ (तदोपरान्त मुख्य अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा ३५ में—

(क) उप धारा (१) में—

(१) आंकड़े "४८" के स्थान पर आंकड़े "५०" रखे जायेंगे; और

(२) खण्ड (क) में आंकड़े "१६, ४ और ४" के स्थान पर आंकड़े "१६, ६ और ४" रखे जायेंगे; और

(ख) उपधारा ३ में "तथा मद्रास (स्नातक) निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छः सदस्यों में से दो सदस्य" शब्दों और कोष्ठकों को हटा दिया जायेगा।']

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : द्वितीय अनुसूची के सम्बन्ध में भी एक संशोधन है।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : मैं उस भाग को भी प्रस्तुत करूंगा। मैं प्रस्ताव करता हूं :

'3. **Amedment to Second Schedule**—In the Second Schedule to the principal Act, in clause (a), for the figure "4" the figure "6" shall be substituted.'

---

†मूल अंग्रेजी में

['३. **द्वितीय अनुसूची का संशोधन**––मुख्य अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में खण्ड (क) में आंकड़े "४" के स्थान पर "६" का आंकड़ा रखा जाय ।']

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'3. **Amendment to Second Schedule**—In the Second Schedule to the principal Act, in clause (a), for the figure "4" the figure "6" shall be substituted.'

['३. **द्वितीय अनुसूची का संशोधन**– मुख्य अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में खण्ड (क) में आंकड़े "४" के स्थान पर "६" का आंकड़ा रखा जाये ।']

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री न० रा० मुनिस्वामी का संशोधन नियम बाह्य हो जाता है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़े गये ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री मूल चन्द दुबे** (जिला फर्रुखाबाद––उत्तर) : इस बात की दृष्टि से कि माननीय मंत्री ने श्री ति० सु० अ० चेट्टियार का संशोधन स्वीकार कर लिया है, मेरा विचार है कि अन्य राज्यों के प्रतिशत पर विचार किया जाना चाहिये तथा उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहियें ताकि प्रतिशत में एकरूपता आ जाये ।

†**श्री पाटस्कर** : मुख्य प्रश्न पर विचार करते समय इस सारी बात पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : क्या इस संशोधन से स्नातकों की संख्या का उपविभाजन सीमा के अन्तर्गत है ?

†**श्री पाटस्कर** : जी, हां । कदाचित माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया । मैंने अनुच्छेद १७१ का उपखंड पढ़ा था । मुझे इस बात का ध्यान था कि उस संख्या में वृद्धि न हो । इसे चार से बढ़ कर छः करने से हम ऐसा काम नहीं करते जो संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध हो । स्वयं अनुच्छेद १७१ में खण्ड (२) है :

"जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करे तब तक किसी राज्य में विधान परिषद् की रचना खण्ड (३) में उपबन्धित रीति से होगी ।"

संसद् द्वारा इसका विनिश्चय किये जाने तक संविधान में इस प्रबन्ध का उपबन्ध है, तथा अब संसद् यह विनिश्चय करेगी कि मद्रास की विधान परिषद् की रचना क्या होगी । अनुच्छेद का अधिनियमन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

करते समय उन्होंने वर्तमान परिपद् का उल्लेख किया था तथा उसमें एक उपबन्ध था कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करे तब तक रचना खण्ड (३) में उपबन्धित रीति से होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस कारण संसद यह विधि अब बना रही है।

†**श्री क० कु० बसु** : मैं यह चाहता हूं कि विधान बिल्कुल स्पष्ट बनाया जाये ताकि हम जो विधि बनायें उसे न्यायालय रद्द न कर सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, संविधान के कुछ भागों में यह उपबन्धित है कि इस बात के अनपेक्ष कि किसी संशोधन का प्रभाव संविधान पर पड़ता हो, उसे अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये संविधान का संशोधन नहीं समझा जायेगा। केवल सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन करना संविधान का संशोधन नहीं माना जायेगा। इसीलिये राज्य पुनर्गठन अधिनियम में संविधान में संशोधन करने के स्थान पर अनुसूची स्वयं अधिनियम में जोड़ दी गई थी। इसी प्रकार के उपबन्ध अनुच्छेद १७१ में रखे गये हैं। इस सभा को यह कहने का अधिकार है कि चार के स्थान पर छै सदस्य रखे जायें। यह बिल्कुल नियमानुकूल है।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं प्रस्ताव करता* हूं :

"कि भारत के रिज़र्व बैंक को हैदराबाद के राज्य बैंक की अंश पूंजी का हस्तान्तरण करने तथा इसके उचित प्रबन्ध और तत्सम्बन्धी अथवा उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक पिछले सत्र में २८ अगस्त को इस सभा में पुरःस्थापित किया गया था, लेकिन भरसक प्रयत्न करने पर भी, हम इस विधेयक को संसद् द्वारा पारित कराने के लिये समय नहीं निकाल सके।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस बीच, राज्यों का पुनर्गठन होने को थे, और वस्तुतः जिसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद राज्य तीन विभिन्न राज्यों में विभाजित हो जाएगा। इसलिये हम हैदराबाद राज्य बैंक की देखरेख करने वाला कोई एक प्राधिकारी नहीं रहेगा और न उन बैंकिंग तथा राजकोषीय कार्यों के, जिन को कि यह बैंक हैदराबाद राज्य में भारत के रिजर्व बैंक के एजैन्ट के तौर पर करता रहा था, बिना किसी प्रकार की गड़बड़ी के तथा समुचित सुरक्षणों के साथ जारी रखने का सुनिश्चय करने वाला कोई प्राधिकारी नहीं रहेगा। अतः इस स्थिति का सामना करने के लिये हैदराबाद राज्य बैंक अध्यादेश, १९५६ प्रख्यापित किया गया था। अन्यथा जहां तक बैंक की व्यवस्था करने वाले प्राधिकार का सम्बन्ध है एक प्रकार की रिक्तता रह जाती।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

अध्यादेश २६ सितम्बर १९५६ को प्रख्यापित किया गया था और उसमें और संसद् में प्रस्तुत विधेयक में कुछ अन्तर थे। बैंक ने एक राष्ट्रीय समवाय के रूप में काम करना आरम्भ कर भी दिया है। इस सम्बन्ध में अध्यादेश द्वारा विधान बनाने की तुरन्त आवश्यकता के सम्बन्ध में लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में सब कुछ स्पष्ट किया गया है। अब सदन को इस विधेयक पर विचार करके अध्यादेश के प्रख्यापन के परिणामस्वरूप आवश्यक संशोधनों के साथ इसे पारित करना है।

मैं अब हैदराबाद राज्य बैंक के सम्बन्ध में कुछ तथ्यों का उल्लेख करूंगा। इसकी स्थापना १९४२ में हैदराबाद राज्य बैंक अधिनियम (संख्या १९, १३५०फस्ली) के अधीन की गई थी। हैदराबाद राज्य के केन्द्र के साथ आर्थिक एकीकरण होने से पूर्व यह बैंक भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के केन्द्रीय बैंक के रूप में काम करता रहा। राज्य सरकार से बैंक के हुए एक समझौते के अनुसार, यह बैंक सरकारी बैंकिंग तथा खजाने सम्बन्धी कार्य को करता था, सार्वजनिक ऋण का भी प्रबन्ध करता, नये ऋण जारी करता था और उस्मानिया सिक्का पत्र-मुद्रा की भी व्यवस्था करता था। बैंक की प्रदत्त पूंजी उस्मानिया मुद्रा में ७५ लाख रुपये की थी, जो कि १०० रुपये पूर्ण रूप से भुगतान किये गये प्रति अंश के हिसाब से ७५००० अंशों में विभाजित थी। भारतीय मुद्रा में यह कुल अंश पूंजी कोई ६४·२९ लाख थी। ५१ प्रतिशत अंश हैदराबाद सरकार के पास थे और बाकी निजी अंशदारों के पास थे। बैंक के प्रधान और प्रबन्ध संचालक समेत दस संचालक थे। इनमें से प्रधान, प्रबन्ध संचालक और तीन अन्य संचालकों को हैदराबाद सरकार मनोनीत करती थी। बाकी संचालकों को अंशधारी निर्वाचित करते थे। बैंक के प्रबन्ध में भी हैदराबाद सरकार को विभिन्न अधिकार प्राप्त थे।

अप्रैल, १९५३ में हैदराबाद सरकार ने रक्षित बैंक को अपना एक मात्र बैंकर नियुक्त किया। उसी समय रक्षित बैंक, हैदराबाद राज्य बैंक और हैदराबाद सरकार के बीच एक त्रिदलीय समझौता हुआ, जिसके अनुसार हैदराबाद राज्य बैंक को हैदराबाद राज्य क्षेत्र में रक्षित बैंक का एक मात्र एजेंट नियुक्त किया गया, और रक्षित बैंक की नियन्त्रण योजना को स्वीकार कर लिया गया। यदि सदस्यों को आवश्यकता हो तो इन समझौतों की प्रतियां निर्देश के लिये पुस्तकालय में रख दी गई हैं। अपने मनोनीत तीन संचालकों में से हैदराबाद सरकार ने हैदराबाद राज्य बैंक के संचालन बोर्ड में केन्द्रीय सरकार और रक्षित बैंक का एक-एक प्रतिनिधि नामनिर्देशित करना स्वीकार किया। इस योजना के अनुसार, हैदराबाद राज्य बैंक, रक्षित बैंक की ओर से, राज्य सरकार के कोषागार कार्य का प्रबन्ध ३३ केन्द्रों में करता रहा है, और वह इसकी २५ शाखाओं में मुद्रापेटियों और छोटी मुद्रा के डीपों का प्रभारी रहा है। बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ के उपबन्ध कानूनी तौर पर उस पर लागू नहीं होते थे, परन्तु जैसे कि मैंने इससे पूर्व बताया, त्रिदलीय समझौते के अनुसार हैदराबाद राज्य बैंक ने स्वयं ही रक्षित बैंक के कुछ नियन्त्रणों को स्वीकार कर लिया था। अर्थात् हैदराबाद राज्य बैंक इस तरह काम कर रहा था जैसे कि वह भारतीय बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९१३ के अधीन पंजीबद्ध हुआ हो। हैदराबाद राज्य बैंक का उक्त राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिये, यह सरलता से समझा जा सकता है कि राज्यों के पुनर्गठन के पूर्व यदि अध्यादेश प्रख्यापित न किया जाता तो बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों को करने में कितनी गड़बड़ी हो जाती। मुद्रा-पेटियां और छोटी मुद्राओं के डीपो तीन राज्यों में बंट जाते और हैदराबाद सरकार को बैंक के नियन्त्रण के सम्बन्ध में जो अधिकार प्राप्त थे उसे तीनों सरकारों में बांटने की कठिन समस्या भी हमारे समक्ष होती। इसके साथ ही उत्तराधिकारी राज्य सरकारों के लिये अन्तर्कालीन समय में बैंक को दी गई मुद्रापेटियों के सम्बन्ध में रक्षित बैंक को होने वाली हानि के लिये क्षतिपूर्ति देना संभव नहीं होता, जसा कि उस समय होता जबकि हैदराबाद सरकार को बैंक के नियन्त्रण करने का अधिकार प्राप्त था। हैदराबाद सरकार ने होने वाली कुछ क्षति के सम्बन्ध में रक्षित बैंक को क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायित्व

[श्री अ० च० गुह]

अपने ऊपर लिया था। परन्तु पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, तीन उत्तराधिकारी राज्यों पर इस प्रकार का कोई वैध उत्तराधिकार नहीं होता। भारत सरकार इसलिये इस परिणाम पर पहुंची कि ठीक हल यही होगा कि बैंक का स्वामित्व और नियन्त्रण भारत के रक्षित बैंक को दे दिया जाय ताकि उस विस्तृत क्षेत्र में बैंक द्वारा कोषागार सम्बन्धी कार्यों और बैंकिंग की जो सुविधायें दी जा रही थीं उन में कोई बाधा न पड़े।

मैं इस सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख भी कर दूं कि हैदराबाद राज्य कार्यकरण के सम्बन्ध में कुछ आलोचनायें भी हुई हैं। बैंक के स्वामित्व और नियन्त्रण को रक्षित बैंक को हस्तान्तरित करने से उसे उक्त बैंक के कार्यों का और अधिक प्रभावशाली पर्यवेक्षण करना संभव हो जायेगा, और वह यह सुनिश्चय करेगा कि उसका कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। बैंक दूसरे मामलों में अपने क्षेत्र में उसी रीति से काम करेगा जैसे कि भारत का राज्य बैंक कार्य कर रहा है। जैसा कि आशा थी, बैंक के राष्ट्रीयकरण से उसके कार्यों और विधान में काफी परिवर्तन हुए हैं। इसका पिछला इतिहास चाहे कुछ भी हो अब यह रक्षित बैंक के पूर्ण नियन्त्रण के अधीन काम करेगा।

विधेयक के खण्ड ३ द्वारा हैदराबाद राज्य बैंक अधिनियम, १३५० फसली द्वारा स्थापित निगम निकाय को चालू रखने की व्यवस्था की गई है और यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है कि नये नाम 'हैदराबाद का राज्य बैंक' से हैदराबाद राज्य बैंक के अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हैदराबाद राज्य बैंक के अंशधारियों को देय प्रतिकर के सम्बन्ध में विधेयक के खण्ड ६ में व्यवस्था की गई है। प्रतिकर की दर रक्षित बैंक के परामर्श से निर्धारित की गई है। वास्तव में उसकी आस्तियों तथा दायित्वों का अनुमान लगा कर ही प्रतिकर निर्धारित किया गया है।

बैंक की पूंजी में प्रत्येक अंश के वास्तविक मूल्य का यथासंभव ठीक अनुमान करने के उद्देश्य से रक्षित बैंक ने उक्त बैंक का विशेष निरीक्षण किया था। दिये जाने वाले प्रतिकर की कुल राशि ७०,७१,००० रुपये के लगभग है। हैदराबाद सरकार को जिस के पास ७५००० अंशों में से ३८,२५० अंश था, उसके प्रतिकर का भाग राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व ही, अर्थात् प्रथम नवम्बर से पूर्व ही दे दिया गया था। बाकी ३६७५० अंश निजी अंशधारियों के हैं, परन्तु किसी भी एक अंशधारी के पास २०० से अधिक अंश नहीं हैं। अब, इन अंशधारियों को प्रतिकर दिया जाना है।

विधेयक के खण्ड ९ और १० हैदराबाद राज्य बैंक के पूंजी ढांचे के पुनर्गठन की व्यवस्था करते हैं। उसके ले लिये जाने से पूर्व, बैंक की प्रदत्त पूंजी ६४,२९,००० रुपये थी। अब सुझाव यह है कि प्राधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये और निर्गमित पूंजी ५० लाख रुपये निश्चित की जाय। वर्तमान समय के लिये इस पूंजी आधार को पर्याप्त समझा गया है, परन्तु यदि भविष्य में पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया तो इसे बढ़ा सकने के लिये विधेयक में व्यवस्था की गई है।

हैदराबाद राज्य बैंक के हिसाब में ५० लाख पूंजी से अधिक की पूंजी रक्षित बैंक में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का ध्यान विधेयक के रक्षित निधि सम्बन्धी खण्ड २७ की ओर आकृष्ट करता हूं। हमारा विचार है कि रक्षित निधि में जितनी धनराशि जमा है उसमें न वसूल होने वाले और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों के अवक्षयण और ऐसी ही अन्य बातों की व्यवस्था करने के हेतु स्थानान्तरण करके, उस सीमा तक जिसे कि रक्षित बैंक यह समझता है कि इस कार्य के लिये पहले पर्याप्त उपबन्ध नहीं किये गये थे, समायोजन किया जाय। यह मेरे लिये उस रकम को बताना सम्भव नहीं है जो कि समायोजन किये जाने के पश्चात रक्षित निधि में राशि बच रहेगी।

विधेयक के खण्ड ११ और १२ बैंक के प्रबन्ध के सम्बन्ध में हैं और रक्षित बैंक द्वारा संचालन बोर्ड को आदेश देने का उत्तरदायित्व ग्रहण किये जाने की व्यवस्था करते हैं। बोर्ड में अब छः से अधिक संचालक नहीं होंगे, उनमें से एक प्रबन्ध संचालक होगा, दो अधिकारी होंगे, एक केन्द्रीय सरकार का और एक रक्षित बैंक का होगा, और शेष को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से रक्षित बैंक द्वारा मनोनीत किया जाना है। इसलिये बोर्ड में गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व के लिये भी स्थान रहेगा।

खण्ड १६ में यह उपबन्ध किय गया है कि बोर्ड का सभापति रक्षित बैंक द्वारा प्रबन्ध संचालक के अतिरिक्त अन्य संचालकों में से केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नामनिर्देशित किया जायेगा। इस समय, २६ सितम्बर, १९५६ को प्रख्यापित अध्यादेश के तदनुरूप उपबन्ध के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का एक मनोनीत व्यक्ति (वित्त मंत्रालय का संयुक्त सचिव) रक्षित बैंक द्वारा बोर्ड का सभापति नाम-निर्देशित किया गया है।

खण्ड २४ के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि ऐसी आवश्यकता हुई, तो किसी ऐसे स्थान पर जहां इसकी शाखा हो, हैदराबाद बैंक रक्षित बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सके। यह खण्ड भारत के राज्य बैंक अधिनियम की धारा ३२ के अनुसार बनाया गया है। इसमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं जैसे कि अभिकरण सम्बन्धी कार्य जिन शर्तों के अनुसार किये जायेंगे उनका निर्णय रक्षित बैंक द्वारा किया जायेगा और जैसा कि भारत के राज्य बैंक अधिनियम में उपबन्धित है, भारत के रक्षित बैंक और हैदराबाद के राज्य बैंक में हुए परस्पर समझौते के अनुसार नहीं किया जायेगा। हैदराबाद बैंक और रक्षित बैंक के बीच जो सम्बन्ध रहेंगे उनकी दृष्टि से इस परिवर्तन को अधिक उपयुक्त समझा गया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे, कि यद्यपि इस बैंक का स्वामित्व रक्षित बैंक के पास ही रहेगा, तथापि इसे भारत के राज्य बैंक की श्रेणी अथवा स्तर पर नहीं रखा जा सकता है।

प्रस्तावित खण्ड २५ के अनुसार हैदराबाद बैंक प्रत्येक उस प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय कर सकेगा जिसकी कि बैंकिंग समवाय अधिनियम में अनुमति दी गई है, परन्तु केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देने की प्रस्थापना है कि वह भारत के रक्षित बैंक के पूर्व परामर्श करने के बाद इस व्यवसाय के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है।

खण्ड २६ में, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, विनियोगों और समायोजनों के पश्चात् शेष लाभ को रक्षित बैंक में हस्तांतरित कर देने का उपबन्ध किया गया है। भारत के राज्य बैंक की तरह प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर को हिसाब बन्द कर दिये जायेंगे। यह बैंक रक्षित बैंक की ही सम्पत्ति होगा इसलिये सारे लाभ भी रक्षित बैंक के ही होंगे। लेखा-परीक्षण तथा विवरणियों सम्बन्धी उपबन्ध को भी भारत के राज्य बैंक अधिनियम की तत्स्थानी धाराओं के अनुसार बनाया गया है। इस विधेयक के अन्य महत्व-पूर्ण उपबन्धों का उल्लेख करते हुए मैं खण्ड ३२ का उल्लेख करता हूं जिससे कि रक्षित बैंक को उन सौदों का, जो कि हैदराबाद राज्य बैंक द्वारा निर्धारित तिथि से दो वर्ष पूर्व किये गये थे और जो वैध रूप से किये गये नहीं मालूम होते हैं, पुनरीक्षण करने का अधिकार होगा। यह उपबन्ध भी किया गया है कि यह पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित तिथि से एक वर्ष के अन्दर समाप्त हो जाना चाहिये।

जैसा कि मैंने कहा, कि हैदराबाद राज्य बैंक के कार्यकरण के बारे में कुछ आलोचनायें भी की गई हैं। इसलिये रक्षित बैंक के लिये इस अधिकार को अपने पास रखना आवश्यक है, ताकि प्रबन्ध संचालन की पिछली गतिविधियों का रक्षित बैंक द्वारा पुनः परीक्षण किया जा सके, और यदि आवश्यक हो तो, इस उपबन्ध के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही भी की जा सके।

खण्ड ३४ हैदराबाद बैंक को विस्तार का एक कार्यक्रम आरम्भ कर सकने की क्षमता प्रदान करेगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो रक्षित बैंक द्वारा उस कार्यक्रम को सहायता भी दी जा सकती

[श्री अ० चं० गुह]

है। भारत का राज्य बैंक अधिनियम में भी--अधिनियम की धारा ३६ में--इसी प्रकार का एक उपबन्ध रखा गया है, और उसमें एक संविहित संविलय तथा विकास निधि की स्थापना की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन, हैदराबाद बैंक के सीमित कार्य-क्षेत्र को देखते हुये, स्पष्ट ही है कि उस के लिये इस प्रकार की किसी औपचारिक संविहित निधि की आवश्यकता नहीं है। समय-समय पर वास्तव में जितनी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी उसकी राशि का निश्चय रक्षित बैंक द्वारा किया जायेगा और वही उसे हैदराबाद के राज्य बैंक को अदा कराने का प्रबन्ध भी करेगा। यह व्यवस्था उन हानियों को पूरा करने के लिये की गई है, जो हैदराबाद बैंक अपनी वित्त व्यवस्था को देहाती या अर्द्ध-देहाती क्षेत्रों में विस्तृत करने में उठानी पड़े।

इस अधिनियम के अन्य उपबन्ध सामान्यतः भारत का राज्य बैंक अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों पर ही आधारित हैं, लेकिन उनमें एक यह महत्वपूर्ण उत्तर है कि रक्षित बैंक हैदराबाद बैंक पर एक काफी व्यापक नियंत्रण कर सकेगा और उसके कार्यकरण का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायित्व सम्भालेगा। उसके खण्ड ४५ में एक सक्षम व्यवस्था यह भी है कि उसके द्वारा, यदि भविष्य में कभी उस बैंक को भारत के राज्य बैंक में मिला देना वांछनीय और व्यावहारिक समझा जाये, तो इस कार्य को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

यह वर्तमान विधेयक, उन तमाम विशेष कारणों को देखते हुये, जिन को कि मैं पहले बता चुका हूं, हैदराबाद राज्य बैंक पर लागू होता है। यह विधेयक किसी भी तरह से सरकार के किसी भी उस निर्णय के लिये जो वह अन्य राज्य संयुक्त बैंकों के सम्बन्ध में करना आवश्यक समझे न तो अड़चन पैदा करेगा और न उसे कोई निश्चयात्मक रूप ही देगा, देहाती ऋण सर्वेक्षण समिति द्वारा किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में कई व्यावहारिक कठिनाइयों और कई अन्य बातों पर विचार करना आवश्यक है, और सरकार यह नहीं चाहती कि उसे ऐसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित कार्यवाही की किसी भी कार्यप्रणाली से वचनबद्ध मान लिया जाये।

मैं इन निरूपणों के साथ प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये। मैंने कई संशोधन भी प्रस्तुत किये हैं, जो अधिकांशतः २२ अक्टूबर, १९५६ की तिथि से बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के लिये २६ सितम्बर, १९५६ को जारी किये गये अध्यादेश से आनुषंगिक हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा): वैसे तो मैं यही कहता कि हैदराबाद के राज्य बैंक को केवल हैदराबाद राज्य के लिये राज्य बैंक समझा जाना चाहिये था, लेकिन अब उसमें अनेक पेचीदिगियां पैदा हो गई हैं और राज्यों का पुनर्गठन होने से अब बम्बई और मैसूर राज्यों में मिल जाने वाले व्यक्ति अपने-अपने अंश मांगेंगे, और वह मांग उचित ही होगी।

हैदराबाद के राज्य बैंक का प्रबन्ध एक निजी सम्पत्ति की भांति किया जाता रहा ह और इससे उसमें बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। लेकिन खेद तो यह है कि वित्त मंत्रालय ने पहले सार्वजनिक निधियों का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही दायित्वपूर्ण पदों पर बनाये रखा है।

मेरा अनुरोध है कि उनमें से प्रत्येक के आचरण की पूरी-पूरी जांच करके उन्हें उन पदों से हटा दिया जाये। रक्षित बैंक ने कई बार हैदराबाद के राज्य बैंक को चेतावनी दी थी कि वह हैदराबाद राज्य बैंक अधिनियम के नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहा था। इतना ही नहीं, उसे जिन शर्तों पर रक्षित बैंक का एक अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया था; उन शर्तों का भी अग्रिम धन,

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिभूतियों, बकाया और अग्रिम धन की राशियों की वसूली आदि के सम्बन्ध में उल्लंघन किया गया है। कहा जाता है कि कुल चार करोड़ रुपया फंस गया है और उसका आधा ही शायद वसूल नहीं हो सकेगा। कुल ८० लाख रुपयों से अधिक के बिलों को सकारा गया है, और ६० लाख रुपये तीन संस्थाओं को ही दे दिये गये हैं। अधिक छानबीन करने पर ही यह पता चल सकेगा कि उसने ऐसा अनजाने में ही किया है या जान-बूझ कर किया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने ऐसा जान-बूझकर किया था। रक्षित बैंक ने कोई भी कार्यवाही करने से पहले उन पदाधिकारियों में से दो को हट जाने के लिये कह दिया था। अन्य अभी भी दायित्वपूर्ण पदों पर हैं। हमें सब की छानबीन करनी चाहिये।

इस सब का कारण यही है कि बैंक ने पिछले कुछ वर्षों से अंधाधुंध ऋण देते जाने की नीति अपनाली थी। ऐसा करते समय यह भी ध्यान नहीं रखा गया था कि किसी व्यावसायिक संस्था का अन्य बैंकों में रुपया जमा भी था या नहीं। कभी-कभी तो व्यावसायिक संस्थाओं ने इस बैंक से अग्रिम लेकर ही बिलों को चुकाया है। बहुत से जाली सौदे होते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यह अग्रिम धन वास्तविक औद्योगिक उपक्रमों को भी नहीं दिया गया है। अधिकांश राशि सट्टे के लिये दी गई थी।

एक ऐसी औद्योगिक संस्था को भी अग्रिम धन दिया गया था जो अपने पास से रजाकारों की एक बड़ी संख्या को वेतन देती थी, और उसके लिये बैंक से ऋण लेती थी।

एक बार जब उसकी वित्तीय स्थिति की जांच-पड़ताल भी कराई गई थी, तो बैंक के लोगों ने इस तक पता लगाने की कोशिश नहीं की थी कि उस औद्योगिक संस्था को कितना ऋण दिया जा सकता था, बल्कि हिसाब यह लगाया गया था कि उसकी मशीनों आदि के बदलने पर कितना खर्च आयेगा। ऐसे सभी मामलों में बिल बहुत दिनों तक बकाया पड़े रहते थे। इस प्रकार, रक्षित बैंक के अभिकर्त्ता बनने सम्बन्धी सभी शर्तों का हैदराबाद के राज्य बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया था। इस प्रकार इस बैंक का जान-बूझ कर ठीक से प्रबन्ध नहीं किया गया था। अब जब रक्षित बैंक उसे अपने अधिकार में ले रहा है, तो उसकी पूरी तौर पर जांच की जानी चाहिये। एक मामले में तो बम्बई शाखा ने सूचना भी दी थी कि अमुक व्यापारिक संस्था परिसमापित होने वाली थी और हैदराबाद के अधिकारी इस बात को जानते भी थे, लेकिन फिर भी उस संस्था को हैदराबाद बैंक के जरिये बिल बनवा लेने दिया गया था। वही अधिकारी अभी भी सरकार की सेवा में हैं। इसलिए, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन सभी मामलों की ब्यौरेवार जांच करायें। एक मामले में तो निदेशक की इच्छा पर, १७ लाख रुपये के एक ऋण को बढ़ा कर ३३ लाख रुपये कर दिया गया था। उस निदेशक का आज भी मंत्रालय में मान है। माननीय मंत्री को रक्षित बैंक के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा इसकी जांच करानी चाहिये, और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। इसीलिये मुझ खण्ड ७ के रख जाने से बड़ी प्रसन्नता है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि सभी पुराने अधिकारियों की सेवा समाप्त समझी जायेगी। इसके द्वारा सभी उन अधिकारियों को सेवामुक्त कर देना चाहिये जिन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया है। रक्षित बैंक या जांच समिति के रिकार्डों से इसका पता चल जायेगा।

जब कि ऋण के लेखों की जांच करने पर यह पता चला कि अग्रिम धन के रूप में दी गई अधिकांश राशि वसूल नहीं की जा सकती, तो जैसे-तैसे सुरक्षा का कुछ प्रबन्ध करना पड़ा और उस प्रबन्ध में ऋणियों की बात माननी पड़ी थी।

[डा० रामा राव]

इस सम्बन्ध में बैंक आफ इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध प्रबन्धक ने कहा है कि यदि आप को बैंक प्रबन्धक को कुछ थोड़े रुपये का भुगतान करना है तो आप उसकी पकड़ में रहते हैं, पर यदि आप को हजारों-लाखों रुपये देने हैं, तो वह बैंक प्रबन्धक आप की पकड़ में रहेगा।

हैदराबाद राज्य बैंक के मामले में यही हुआ है। बैंक ने इतनी अधिक राशि अग्रिम धन के रूप में दे दी कि उससे होने वाली हानि लगभग दो करोड़ रुपयों की होगी।

अब मैं इन अधिकारियों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। **'न्यू आउटलुक'** नामक समाचार पत्र ने एक समाचार प्रकाशित किया था कि बैंक के सचिव का वेतन कुछ ही वर्षों में १५० हाली सिक्कों से बढ़ा कर १,८०० रुपये कर दिया गया था, और इसके अतिरिक्त उसे १२ १।२ प्रतिशत मकान भत्ता १४ प्रतिशत महंगाई भत्ता और २०० रुपये आतिथ्य भत्ते के रूप में दिये जाते थे। वित्त मंत्री इन मामलों को जानते हैं।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद): केवल शब्द सचिव कहने से ही गलतफहमी होगी। मैं समझता हूं कि वह एक अन्य बैंक में था, जो इस बैंक के साथ मिला दिया गया था। शायद माननीय सदस्य उसी का उल्लेख कर रहे हैं?

†**डा० रामा राव** : मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता। सम्भव है कि श्री हेडा उसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हों। लेकिन यह सत्य है कि वह अब भी सेवायुक्त है। इतना ही नहीं, यह सचिव मोटरकारों का भी थोड़ा बहुत व्यापार करता रहा है। मजे की बात तो यह है कि इन अधिकारियों को मोटरकार खरीदने के लिये बैंक की ओर से ऋण दिया जाता है। यह तो ठीक है। लेकिन, इस सचिव ने बैंक से उधार लेकर सन् १९५० में एक सिंगर कार खरीदी और फिर इस ऋण को अदा करके, २३ अप्रैल, १९५२ को १०,००० रुपयों का ऋण लेकर, एक ब्यूक कार खरीद ली। उसे जुलाई में अदा करके, उसने उसी वर्ष फिर १४,४०० रुपये का ऋण लेकर एक ब्यूक कार और खरीद ली। और इसी प्रकार ऋण लेकर फिर, १९५२ में एक मौरिस सिडान कार, और १९५३ में फिर एक ब्यूक खरीदी। जिन लोगों ने उससे इस ब्यूक कार को खरीदा, वे सभी बैंक के ऋणी हैं। माननीय मंत्री इसकी ब्यौरेवार जांच करायें। इसके अतिरिक्त, यह सचिव अपने सभी सगे-सम्बन्धियों को अग्रिम धन देता रहा है। उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे उसके सम्बन्ध में एक-दो बातें कहनी हैं। मेरा अनुरोध है कि महालेखा-परीक्षक को ही इस बैंक का लेखा-परीक्षक नियुक्त कर दिया जाये। यदि यह नहीं किया जाता है, तो रक्षित बैंक को लेखा-परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार देते समय, इस बैंक का लेखा-परीक्षक रक्षित बैंक का लेखा-परीक्षक नहीं होना चाहिये, क्योंकि वह तो रक्षित बैंक के प्रति आभारी रहेगा।

खण्ड ३२ में, हैदराबाद राज्य बैंक के लिये किसी भी समय निर्धारित तिथि से पहले दो वर्षों की अवधि रखी गई है। इस अवधि को पांच वर्षों तक बढ़ा दिया जाना चाहिये। यह इसलिये कि कुछ अनियमित सौदे इससे पहले के भी हो सकते हैं। कुछ सौदों पर पर्दा डालने के लिये अपने ऋणों से भी अधिक रुपया बैंक से उधार लिया गया है। इस प्रकार यह तो सौदों की एक शृंखला है जो दो वर्षों में पूरी नहीं होती है।

इस खण्ड के अन्तर्गत उपखण्ड ४ में दिया गया है कि "इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित तिथि से एक वर्ष बीत जाने पर रक्षित बैंक द्वारा दिये गये किसी भी प्रार्थना-पत्र को नहीं लिया जायेगा।"

---

†मूल अंग्रेजी में

यह समय भी बहुत कम है। और इस अवधि के बाद फिर राज्य सरकार इन शरारतों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकेगी। इसे भी पांच वर्ष कर देना चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, पर माननीय मंत्री को इन सभी मामलों की जांच करनी चाहिये, विशेषकर रक्षित बैंक के प्रतिवेदनों की। संदेह होने पर ही इन अधिकारियों को सेवामुक्त कर दिया जाना चाहिये।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : माननीय मंत्री ने आरम्भ में कहा था कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का कारण हैदराबाद राज्य का विघटन ही था। मैं समझता था कि वे कुछ और ब्यौरा भी देंगे। उदाहरण के लिये, भारत के रक्षित बैंक द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय देहाती ऋण सर्वेक्षण की निर्देशन समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उसकी एक मुख्य सिफारिश यह थी कि जिन भी बैंकों के अधिकांश अंश भूतपूर्व देशी राज्यों के हाथों थे, उन छै: सात बैंकों को इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के साथ-साथ भारत के राज्य बैंक में मिला दिया जाये। हैदराबाद राज्य बैंक भी इन में से एक था।

भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इस सिफारिश को मान लिया था। उस समय कहा गया था कि इसके लिये एक दूसरा विधेयक शीघ्र ही पुर:स्थापित किया जायेगा। अभी तक वह विधेयक हमारे सामने नहीं आया है। पता नहीं उन्हें मिलाया भी जायेगा या नहीं। माननीय मंत्री ने यह भी नहीं बताया है कि उस समिति की सिफारिश को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है। आशा है कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में इस पर प्रकाश डालेंगे।

माननीय मंत्री ने कहा कि बैंक के अंशधारियों को प्रतिकर दिया जायेगा। भूतपूर्व हैदराबाद राज्य सरकार के पास इसके ५१ प्रतिशत अंश थे। उसको प्रतिकर दिया जा चुका है। माननीय मंत्री ने कहा कि रक्षित बैंक की सिफारिश के अनुसार शेष अंशधारियों को ८ रुपये ९ आने १ पाई के हिसाब से अधिमूल्य दिया जाये। एक ओर तो अंशधारियों को यह अधिमूल्य देने की बात कही जा रही है, और दूसरी ओर खण्ड ३२ में यह व्यवस्था है कि रक्षित बैंक हैदराबाद राज्य बैंक के द्वारा गत दो वर्षों में किये गये सभी सौदों की जांच करेगा और यदि कोई अनियमितता पाई जायेगी तो उस पर नये सिरे से विचार किया जायेगा। उच्च न्यायालय उन मामलों का निर्णय करेगा। अनुमान लगाया गया है कि न वसूल होने वाला ऋण लगभग दो करोड़ रुपयों का होगा। आशा है कि वित्त मंत्री इसके वे ठीक-ठीक आंकड़े बतायेंगे, जिन का अनुमान नये नियुक्त हुये प्रबन्ध संचालक ने लगाया है। मैंने संतुलन-पत्र देखे हैं और मैं न वसूल होने वाले ऋणों के अनुमित आंकड़े बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री रक्षित बैंक की उपपत्तियों को भी बतायें। मैं यहां यह भी उल्लेख कर दूं कि १९५० से इस बैंक का प्रबन्ध संचालक भारत के रक्षित बैंक का ही एक बहुत उत्तरदायी अधिकारी था। गत पांच या छै: वर्षों से रक्षित बैंक और भारत सरकार दोनों ही इस बैंक से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित रहे हैं।

म आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब कि रक्षित बैंक ने यह पता लगाया है कि न वसूल होने वाले ऋणों की राशि काफी अधिक है, तो दूसरी ओर अंशों पर अधिमूल्य देने की बात क्यों कही जा रही है। आप उन्हें दस रुपये के लगभग अधिमूल्य क्यों दे रहे हैं ? इस १७ लाख रुपयों की राशि को आप रक्षित राशि की भांति क्यों नहीं रखते ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मुहीउद्दीन]

इस बैंक के सन्तुलन-पत्रों को यदि हम देखें, तो हमें इस अधिमूल्य को अदा करने के औचित्य पता लग जायेगा। उनमें 'वसूल होने वाले ऋणों' के शीर्ष के अन्तर्गत १९५२ में अग्रिम धन की राशि १,५२,४३,००० रुपये दिखाई गई है। १९५३ में वह १,९१, ३२,००० रुपये हो गई थी, और १९५४ में यह एकदम ३,५३,००,००० रुपयों तक पहुंच गई थी।

अग्रिम धन की इन राशियों के एकाएकी इतना अधिक बढ़ जाने का क्या कारण है? और यह वह ऋण है, जिस के लिये ऋणी से ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों से भी व्यक्तिगत प्रतिभूतियां ली गई थीं। संतुलन-पत्रों में यही बात सब से विचित्र लगती है। इससे मैंने यह परिणाम निकाला है कि बैंक के लेखों की परीक्षा और जांच-पड़ताल की जानी आवश्यक है, क्योंकि इनके इतने अधिक बढ़ जाने के पीछे अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि इसके फलस्वरूप कुछ और न वसूल होने वाले ऋणों का पता चले।

मेरा अपना अनुमान है कि न वसूल होने वाले ऋण लगभग ८० लाख रुपयों के होंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री या तो इसकी पुष्टि करें, या खण्डन करें। मेरे पास जानकारी का कोई साधन नहीं है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री हमें इस बारे में जानकारी दें क्योंकि खण्ड ३२ के कारण रुपया जमा करने वालों में बहुत क्षोभ फैला हुआ है। यद्यपि रक्षित बैंक अब इसका स्वामी है परन्तु ऐसा कोई उपबन्ध नहीं कि वह निक्षेपों के लिये उत्तरदायी होगा।

हो सकता है कि यह खण्ड आवश्यक हो परन्तु मैं चाहता हूं कि निक्षेपकों को यह आश्वासन दिया जाये कि बैंक की स्थिति दृढ़ है।

मैं वित्त मंत्री से यह आश्वासन भी चाहता हूं कि खण्ड ३२ लागू किया जायेगा और रक्षित बैंक तथा वित्त मंत्रालय उस पर कार्य करते हुये मामलों की जांच करने के पश्चात एक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखेंगे यदि उच्च न्यायालय में कार्यवाही हुई तो हमें इसका पता लग जायेगा, अन्यथा वित्त मंत्री को अपने निष्कर्षों से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आश्वासन देना चाहिये।

संतुलन-पत्र में ग्राहकों के दावों की भरपाई करने के हेतु अर्जित की गई बैंक की गैर-बैंकिंग आस्तियों की राशियों का उल्लेख नहीं किया गया है। बैंक की अचल सम्पत्ति के आंकड़ों में गत तीन वर्षों में डेढ़ लाख रुपये की वृद्धि हुई है जबकि बैंक ने ४० लाख रुपये की लागत का एक भवन भी बनवाया था। निस्संदेह यह व्यय भवन रक्षित निधि में से किया गया होगा। प्रबन्ध निदेशक का निवासगृह २ या २½ लाख रुपये पर खरीदा गया था जब कि उस का बाजार मूल्य लगभग सवा लाख रुपये था। वह एक ग्राहक का मकान था और उस को लगभग १½ लाख रुपये का अशोध्य ऋण बट्टे-खाते में डाला गया था। इसका भी सन्तुलन-पत्र में कहीं उल्लेख नहीं है। मैं ब्योरे में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु यह मामला खण्ड ३२ के अन्तर्गत आता है और सभा को यह जानने का अधिकार है कि खण्ड ३२ को लागू करने के सम्बन्ध में अगले वर्ष क्या होगा।

अब बैंक की प्रदत्त पूंजी व्यय की जा रही है। इस समय प्रदत्त पूंजी ६४,२८,००० रुपये है और इसे घटा कर ५० लाख रुपये किया जा रहा है। सामान्य बैंकिंग सिद्धान्त के अनुसार प्रदत्त पूंजी का निक्षेपों से एक निश्चित अनुपात होता है। गत तीन वर्षों में निक्षेप १६–१७ करोड़ रुपये के रहे हैं। १७ करोड़ रुपये का निक्षेप और ५० लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी किसी बैंक के लिये कोई दृढ़ आधार नहीं है। अतः प्रदत्त पूंजी को बढ़ा कर एक करोड़ रुपया कर दिया जाना चाहिये। अंश-धारियों को अंश धन रक्षित निधि में से अधिमूल्य सहित देना पड़ेगा। अतः रक्षित निधि को

भी बढ़ाया जाना चाहिये। मैंने इस सम्बन्ध में संशोधन दिये हैं और आशा है कि खण्डों पर विचार करते समय आप उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे।

†**डा० रामा राव** : मुझे गलत न समझा जाये कि मैं समाचारपत्रों के आधार पर भय फैला रहा हूं, परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक ने १९५४ में प्रतिवेदन दिया था कि अग्रिम धन की राशि ३·११ करोड़ रुपये से बढ़ कर ४·६४ करोड़ रुपये हो गई थी। अतः मेरे अनुमान से २ लाख रुपये की हानि हुई है।

†**श्री हेडा** : प्राचीन काल में हैदराबाद राज्य वित्तीय स्थिरता के लिये प्रसिद्ध था। उसके एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री अकबर हैदरी ने हैदराबाद के राज्य बैंक को स्थिर आधार पर स्थापित किया था। पुलिस कार्यवाही के पश्चात् बहुत से ऋण समाप्त कर दिये गये थे और इस प्रकार पूर्व प्रशासन की गलतियों को दूर किया गया था। आशा थी कि लोकतन्त्र की स्थापना के पश्चात् हैदराबाद राज्य बैंक की स्थिति में सुधार हो जायेगा। परन्तु कुछ रहस्यमय कारणों से ऐसा नहीं हुआ।

माननीय मंत्री ने हमें हैदराबाद राज्य बैंक का इतिहास बताते हुये कहा कि यह स्वेच्छा से भारत के रक्षित बैंक के नियंत्रण के अधीन आ गया था। हैदराबाद के व्यापारियों को आशा थी कि इससे बैंक की स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

डा० रामा राव ने कुछ सौदों का उल्लेख किया, और उन्होंने बताया कि एक ही बिल का भुगतान उन ही दलों ने बार-बार प्राप्त किया। यह बात बहुत सन्देहजनक है कि भारत का रक्षित बैंक हैदराबाद राज्य बैंक के पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार का क्यों पता नहीं लगा सका जिस कारण यह सभी हानियां हुईं। वार्ता चल रही थी और आशा थी कि हैदराबाद राज्य बैंक भारत के राज्य बैंक का अंग बन जायेगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ। आशा है माननीय मंत्री उत्तर में यह स्पष्ट करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ।

मेरी जानकारी के अनुसार भारत के रिजर्व बैंक ने आस्तियों और दायित्वों की जांच के पश्चात् निष्कर्ष निकाला था कि वह अंशों के उस मूल्य का भुगतान नहीं कर सकता था जो कि हैदराबाद राज्य सरकार उसे देने को कहती थी। उनके अनुसार अंशों का मूल्य आधे से भी अधिक नहीं था। इसके बदले अंशों का मूल्य १२॥ प्रतिशत बढ़ा दिया गया और यद्यपि यह उपबन्ध था कि भारत का रक्षित बैंक उस बैंक की हानि के लिये उत्तरदायी नहीं होगा परन्तु अंशों को ले लेने के कारण हानि भी रक्षित बैंक के सिर पड़ गई। जिस हानि के विषय में डा० रामा राव ने पढ़ कर सुनाया है वह अविश्वसनीय नहीं है। बैंक को ग्राहकों की निजी सम्पत्तियां लेनी पड़ीं, इसी से पता चलता है कि ग्राहकों ने झूठी हुंडियां भुनाई थी और बहुत से अशोध्य ऋण थे।

इस बात की क्या आवश्यकता थी कि रक्षित बैंक इस बैंक को खरीदता? क्या केवल इस कारण कि राज्यों के पुर्नगठन से हैदराबाद राज्य तीन राज्यों में बट रहा था? तब वे इसे गैर-सरकारी बैंक घोषित कर के इसको परिसमापित किया जा सकता था और अंशों का बाजार भाव या मूल्य निर्धारण के आधार पर भुगतान किया जा सकता था, या फिर इसे राज्य बैंक में मिलाया जा सकता था। परन्तु इस के बजाय इस बैंक को भारत के राज्य बैंक के प्रतिपक्षी के रूप में खड़ा कर दिया गया है। यह उपबन्ध किया गया है कि भविष्य में यह ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधायें दे सकता है और रक्षित बैंक वित्तीय सहायता देगा। मैं समझता हूं कि ये सब तरीके पिछली हानियों को पूरा करने के लिये अपनाये जा रहे हैं। भारतीय राज कोष को इस से बहुत हानि होगी। अतः लोगों की

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री हेडा]

भावनाओं को संतुष्ट करने के लिये पूरी जांच की जानी चाहिये और भ्रष्टाचारी लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिये। इस बैंक के पिछले इतिहास को जानने वाले यह अनुभव कर रहे हैं कि चालाक लोग समाज विरोधी कार्यवाही करके भी उन्नति कर सकते हैं। भले ही अब देर हो गई है, परन्तु वित्त मंत्रालय को मामले की पूरी जांच करानी चाहिये।

मैं श्री मुहीउद्दीन से सहमत हूं कि नये रूप में बैंक की अंश पूंजी कम नहीं की जानी चाहिये। वस्तुतः अंश पूंजी को बढ़ाया जाना चाहिये। भविष्य में इसके कार्य का क्षेत्र बढ़ जायेगा। भूतपूर्व हैदराबाद राज्य की जनसंख्या १,८६,००,००० थी जब कि वर्तमान आन्ध्र प्रदेश की जनसंख्या ३,२०,००,००० है। इस बैंक का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ जायेगा और ५० लाख रुपये की अंश पूंजी पर्याप्त नहीं है। इसे अभी १ करोड़ कर देना चाहिये, और मुझे आशा है कि बाद में एक करोड़ भी अपर्याप्त समझा जायेगा। यदि इसे बाद में भारत के राज्य बैंक को सौंपना है, तो यह करना चाहिये था कि एक अलग समवाय बना दिया जाता जो केवल अशोध्य ऋणों को वसूल करता और आस्तियां और दायितायें भारत के राज्य बैंक को दे दी जातीं। यदि केवल ग्रामीण ऋणों का उद्देश्य है तो वह और भी अच्छा है, और इस का नाम बदल देना चाहिये तथा इस का अलग रूप नहीं रहना चाहिये। अन्यथा इसे केवल अशोध्य ऋण वसूल करने का काम देना चाहिये। इस बीच अंशधारियों को भारत के राज्य बैंक द्वारा निर्धारित मूल्य दिया जायेगा। आशा है वित्त मंत्री उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

†**श्री अ० चं० गुह** : मुझे हर्ष है कि आन्ध्र प्रदेश के तीन सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। डा० रामा राव ने इस बैंक की पिछली गतिविधियों का बहुत ही दुःखद चित्र खींचा है। वस्तुतः मैंने स्वयं अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि इस बैंक के कार्यकरण के विषय में कुछ आलोचना हुई है। रक्षित बैंक को भी कुछ जांच करनी पड़ी है और खण्ड ३२ में हमने उपबन्ध किया है कि अगले एक वर्ष में--इस बैंक को ले लेने के दो वर्ष के पश्चात्--रक्षित बैंक उन सौदों की पुनः जांच कर सकता है जो संदेहजनक प्रतीत हों। हमें ज्ञात है कि बैंक के कार्यकरण के सम्बन्ध में कुछ बहुत बुरी सूचनायें थीं। परन्तु जो चित्र डा० रामा राव ने प्रस्तुत किया वह बढ़ा-चढ़ा कर रखा गया है। उन्होंने अशोध्य ऋणों की राशि लगभग आठ करोड़ रुपये बताई है। मैं समझता हूं कि ये गलत हैं। श्री मुहीउद्दीन के आंकड़े कुछ ठीक हैं। मैं आशा करता हूं कि अन्तिम विश्लेषण में बट्टे-खाते में डालने के लिये ८० लाख से भी कम की राशि होगी जिसे श्री मुहीउद्दीन ने स्वीकार किया है। हम अब भी आंकड़ों के विषय में निश्चित नहीं हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि यह ८० लाख रुपये से अधिक नहीं है सम्भव है ८० लाख रुपये से कम ही हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक तो भवन के क्रय के १,८०,००० रुपये बट्टे-खाते में डाले जा सकते हैं। इसका मूल्य एक लाख और कुछ हज़ार रुपये है और इसे २,५०,००० रुपये में खरीदा गया है।

†**श्री अ० चं० गुह** : कुछ सौदों में हानि तो होगी।

†**डा० रामा राव** : यह हानि नहीं यह धोखा है।

†**श्री अ० चं० गुह** : रक्षित बैंक के अनुमान के अनुसार इस बैंक की सभी हानियों और दायित्वों का हिसाब लगाने के पश्चात् बैंक की कुल आस्तियां १२९ लाख रुपये होती हैं। हम अंशधारियों को ७१ लाख रुपया दे रहे हैं। आस्तियों के इस मूल्य का अनुमान लगाते समय

†मूल अंग्रेजी में।

रक्षित बैंक के अशोध्य ऋणों और अन्य दायित्वों के ध्यान में रखा है। कुछ सौदों में हानि हो सकती है । अन्य कुछ सौदों में लाभ भी हो सकता है। इस बैंक की कुछ रक्षित निधियां भी हैं। बैंकें भी इन सभी आतिस्यों का हिसाब लगाने पर रक्षित बैंक ने १२९ लाख रुपये के आंकड़े बताये हैं। मैं समझता हूं कि पहले चाहे कुछ भी होता रहा हो, हमें भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिये जिसके लिये कि विधेयक में उपबन्ध किया जा रहा है। गढ़े मुर्दों को उखाड़ने में कोई लाभ नहीं है। परन्तु हमने इस विधेयक में पिछले कार्यों की जांच के लिये भी उपबन्ध रखा है, और यदि आवश्यक हुआ तो हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे भी । जैसा डा० रामा राव का यह आरोप, कि इन सभी भ्रष्टाचार के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को उच्च पदों पर रखा गया है, ठीक नहीं है। प्रबन्ध निदेशालय समाप्त कर दिया गया है। सिवाय एक के सभी पुराने निदेशकों को बदल दिया गया है। वर्तमान प्रबन्ध निदेशक नया है और उसका अभिकथित अनियमितताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है भ्रष्टाचार के अपराधी अन्य पशाधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूरी जांच की जायेगी और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हेडा ने विधेयक के उस उपबन्ध पर आपत्ति की है जिसमें कर्मचारियों को वर्तमान वेतन, सुविधाओं और सेवा सम्बन्धी शर्तें देने की प्रत्याभूति दी गई है। भारत के राज्य बैंक अधिनियम में भी ऐसा ही उपबन्ध है। मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है। जांच में जिस पदाधिकारी को अपराधी पाया जायेगा उसको इस उपबन्ध के अधीन सुरक्षा नहीं मिलती है। यह वर्तमान कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक सामान्य उपबन्ध है। जो व्यक्ति दुष्कर्मों के लिये अपराधी पाये जायेंगे उनके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुहीउद्दीन ने कहा है कि खण्ड ३२ के कारण निक्षेपकों में एक प्रकार की परेशानी-सी फैल गयी है। मैं नहीं समझ सकता कि निक्षेपकों में इससे परेशानी क्यों फैल गई है । खण्ड ३२ तो केवल पदाधिकारियों अथवा प्रबन्धकों पर प्रभाव डाल सकता है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : खण्ड ३२ का केवल यह अभिप्राय है कि बैंक का प्रबन्ध बहुत बुरा रहा था। इस प्रकार निक्षेपकों पर प्रभाव पड़ता है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं उसका यह अर्थ नहीं लेता हूं। इसका केवल यही अभिप्राय है कि रक्षित बैंक को कुछ संदेह और शंकायें हैं। कई ओर से कई आपत्तियां की गई हैं। रक्षित बैंक को जहां भी कहीं सन्देह हो पुराने मामलों को पुनः प्रारम्भ करके जांच करने का अधिकार है ।

कुछ भी हो, इसका प्रभाव केवल अधिकारियों पर और उन पर, जो प्रबन्ध के प्रसार में थे, पड़ सकता है। उसे जमा करने वालों को इस प्रकार का एक आश्वासन दे देना चाहिये कि किसी भी अपराधी को निकल भागने नहीं दिया जायेगा।

श्री मुहीउद्दीन ने फिर बैंक की सुस्थिरता के सम्बन्ध में आश्वासन मांगा है। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, कि बैंक की आस्तियों के मूल्य का अनुमान १२९ लाख रुपये लगाया गया है और हम अंशधारियों को, ७१ लाख रुपये का भुगतान कर रहे हैं। इस सीमा तक मेरे विचार से वह यह देखेंगे कि कम से कम जहां तक उसके अगले सौदों का सम्बन्ध है रक्षित बैंक उस बैंक की सुस्थिरता के सम्बन्ध में संतुष्ट है ।

इसके बाद उन्होंने कहा कि एक आश्वासन यह दिया जाये कि खण्ड ३२ के पदों में रुपया जमा करने वालों के निक्षेप सुरक्षित हैं। मेरे विचार से केवल यही बात, कि रक्षित बैंक इस बैंक को अपने

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० चं० गुह]

हाथ में ले रहा है जमा करने वालों को यह आश्वासन दे देगी कि उनके निक्षेप पूर्णरूप से सुरक्षित रहेंगे । पिछले प्रबन्ध व्यवस्था की चाहे कुछ भी त्रुटियां क्यों न रही हों, रुपया जमा करने वालों को, जहां तक कि उनके बैंक में इस समय निक्षेप है, उनके सम्बन्ध में, मेरे विचार से, हानि उठाने का कोई अवसर नहीं आयेगा ।

डा० रामा राव ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि खण्ड ३२ के अन्तर्गत आने वाली निश्चित तिथि से पहले की दो वर्ष की अवधि और निश्चित तिथि के बाद एक वर्ष में ही पुनरीक्षण का कार्य समाप्त किये जाने की अवधि बहुत कम है । परन्तु मेरे विचार से मैं अधिकारियों को अनिश्चित काल तक के लिये लटकन्ती में नहीं रख सकता हूं । यदि किसी को दंड दिया जाना है तो अपराधी की खोज करने के लिये रक्षित बैंक को एक वर्ष का समय पर्याप्त होगा ।

इसके पश्चात्, बैंक की प्राधिकृत पूंजी और प्रार्थित पूंजी के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है । वह यह देखेंगे कि खण्ड ९ में एक उपबन्ध है जिसमें कहा गया है :

> "परन्तु रक्षित बैंक, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, हैदराबाद बैंक की प्राधिकृत पूंजी के बढ़ाये जाने या कम किये जाने को प्राधिकृत कर सकता है ।"

इसके पश्चात, खण्ड १० (२) में यह कहा गया है :

> "रक्षित बैंक, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, हैदराबाद बैंक की निर्गमित पूंजी के बढ़ाये जाने को प्राधिकृत कर सकता है, और इस प्रकार बढ़ाई गई पूंजी की व्यवस्था रिजर्व बैंक द्वारा की जायेगी ।"

इस प्रकार, हमने यह देखने में पर्याप्त सावधानी से काम लिया है कि अधिनियम में संशोधन किये बिना रक्षित बैंक और सैन्ट्रल बैंक प्राधिकृत पूंजी तथा प्रार्थित पूंजी को बढ़ा सकते हैं । अतः इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं किया जाना चाहिये कि प्रार्थित पूंजी इस बैंक के कार्यकरण के लिये बहुत ही थोड़ी रहेगी ।

श्री हेडा ने आन्ध्र प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और भावी स्मृद्धि का उल्लेख किया और बताया कि इस बैंक को इन सभी उत्तरदायित्वों को अपने सिर लेना पड़ेगा । मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि जब भी कभी इस बैंक को अग्रेतर पूंजी की आवश्यकता होगी, रक्षित बैंक और केन्द्रीय सरकार सभा के समक्ष उपस्थित विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करेगी ।

श्री मुहीउद्दीन ने ग्राम उधार सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है और पूछा है कि अन्य राज्य बैंकों का क्या हुआ । मैं समझता हूं कि उनका यह कथन बिल्कुल ठीक नहीं है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने सिफारिश को पूर्णतः स्वीकार कर लिया था । यह बात ठीक नहीं है । वह इस विषय में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये वक्तव्यों को पढ़ें । और मेरे विचार में दिसम्बर १९५४ में वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में पहला वक्तव्य दिया था और बाद में भारत का राज्य बैंक अधिनियम के पारित होने पर मैंने अधिनियम के पारित होने पर भी कुछ वक्तव्य दिये थे । किसी में भी हमने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा था कि अन्य राज्य बैंकों को सरकार या रिजर्व बैंक सम्भाल लेगा । हमने केवल इतना ही कहा था कि हमने इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप में मान लिया है और हम इस प्रस्ताव की परीक्षा करेंगे और जहां कहीं सम्भव होगा और जब कभी आवश्यकता होगी तो हम इसे अवश्य क्रियान्वित करेंगे ।

इस बात के बारे में मैं माननीय सदस्य का ध्यान राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य बैंकों की स्थिति की ओर दिलाऊंगा । नौ या दस बैंक हैं जिन में से बड़ौदा बैंक को कुछ वैधानिक कठिनाइयों

के कारण अलग रखना पड़ेगा। सौराष्ट्र बैंक और पटियाला के बैंक पूर्णतया राज्य सरकारों के अधिकार में हैं। इन दोनों बैंकों की सम्पूर्ण पूंजी दोनों राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त है। पहले जब बैंकिंग एक संघ का विषय था तो राज्य सरकारों द्वारा किसी बैंक की व्यवस्था करने में कुछ संवैधानिक कठिनाई थी, परन्तु वह कठिनाई अब दूर कर दी गई है। अब दोनों राज्य सरकारें इन दोनों बैंकों को चलायेंगी। बम्बई सरकार सौराष्ट्र राज्य बैंक को और पंजाब सरकार पटियाला राज्य बैंक को चलायेगी।

इस प्रकार, अब केवल छै और बैंक रह गये हैं, जिन में से इसे हम ले रहे हैं। अन्य बैंकों में से दो में—अर्थात् राजस्थान बैंक और मैसूर बैंक की अंशपूंजी में किसी राज्य सरकार की एक पाई भी नहीं है। अन्य तीन या चार बैंकों में उनकी राज्य सरकारों का अंश ३४ प्रतिशत से अधिक नहीं है। एक में ५ प्रतिशत है, दूसरे में २५ प्रतिशत है, एक में ३४·५ प्रतिशत है, एक में १६·४ प्रतिशत है, अतः इन्हें वस्तुतः राज्य बैंक नहीं कहा जा सकता। हमने इस बात की परीक्षा की है कि इन से ग्राम उधार के विस्तार में कहां तक सहायता मिल सकती है और मेरे विचार में अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार अथवा रिजर्व बैंक इन बैंकों को ग्राम उधार का उचित साधन समझेगी। किन्तु हमने इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई निर्णय नहीं किया। हम यथासमय निर्णय कर लेंगे। परन्तु मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के ग्राम उधार कार्यक्रम के बारे में विलम्ब नहीं होगा। वह आगे बढ़ रहा है और भारत के राज्य बैंक ने भी ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में शाखायें खोलनी आरम्भ कर दी हैं। उस प्रश्न को इस बैंक के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। अब हम मुख्यतया राज्यों के पुर्नगठन के कारण राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। हैदराबाद राज्य को तीन राज्यों में बांट दिया गया है। अतः इसे ग्राम उधार सर्वेक्षण की सिफारिश के प्रश्न के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। इस बैंक के गुण-दोष को विचार कर ही इसके राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया गया है।

मेरे विचार में तीनों माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाईं थी मैंने उन सबका उत्तर दे दिया है।

†**श्री हेडा** : मैंने यह पूछा था कि क्या इस बैंक को लेने के सम्बन्ध में भारत के राज्य बैंक से कोई बातचीत चल रही थी, और यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

†**श्री अ० चं० गुह** : इस में एक उपबन्ध है, जिसके अन्तर्गत, अधिनियम में संशोधन किये बिना, इस बैंक को राज्य बैंक में मिलाया जा सकता है। यह मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में बता दिया था।

†**श्री हेडा** : क्या इस सम्बन्ध में बातचीत की गई थी ?

†**श्री अ० चं० गुह** : इसमें बातचीत का कोई प्रश्न नहीं है। अब यह बैंक रिजर्व बैंक का हो जायेगा और जब कभी रिजर्व बैंक आवश्यक समझेगा, तो इसे राज्य बैंक को हस्तान्तरित कर देगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के रिजर्व बैंक को हैदराबाद के राज्य बैंक की अंशपूंजी का हस्तान्तरण करने तथा उसके उचित प्रबन्ध और तत्सम्बन्धी अथवा उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड २ —(परिभाषायें)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २—

पंक्ति २ और ३ के स्थान पर यह रखा जाये :

'(a) "appointed day" means the 22nd day of October, 1956'

['(क) "नियत दिन" से अभिप्राय २२ अक्तूबर, १९५६']

—[**अ० चं० गुह**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ३ से ५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ६— (अंशधारियों आदि को प्रतिकर)

†**श्री अ० चं० गुह** : श्रीमान्, मेरा एक संशोधन है। एक छोटी-सी टाइप की गलती है। 'रिजर्व बैंक के हैदराबाद राज्य बैंक की पूंजी में अंशों' के बजाय 'रिजर्व बैंक को' होना चाहिये।

स्थिति यह है। हैदराबाद राज्य बैंक के विनियम ४९ के अधीन, अंशधारी कम से कम ३ प्रतिशत लाभांश की मांग कर सकता है। हम इस कठिनाई को दूर करना चाहते हैं। यहां हम यह उपबन्ध कर रहे हैं ऐसी कोई भी मांग मान्य न होगी परन्तु यदि हैदराबाद राज्य बैंक ने कोई लाभांश घोषित कर दिया है तथा अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो निश्चय ही रिजर्व बैंक वह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। परन्तु किसी भी एसी अवधि के लिये जिस के लिये हैदराबाद राज्य बैंक ने लाभांश घोषित नहीं किया है, हम विनियम ४९ के अधीन न्यूनतम ३ प्रतिशत लाभांश की मांग करने वाले किसी भी अंशधारी का दायित्व लेना नहीं चाहते। हां, यदि जांच करने के पश्चात रिजर्व बैंक देखता है कि इस के लिये पर्याप्त राशि है, पर्याप्त लाभ है, तो वह लाभांश घोषित कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

†**श्री मुहीउद्दीन** : क्या ३ प्रतिशत को गारंटी हैदराबाद सरकार ने दी थी या यह केवल विनियम में थी ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यह केवल विनियम में थी। मैं नहीं समझता कि यह अधिनियम में थी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य श्री मुहीउद्दीन के नाम में एक संशोधन है। क्या यह उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी नहीं।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ३—११ से २२ तक की पंक्तियोंके स्थान पर रखिये।

"(2) Notwithstanding the transfer of the shares in the capital of the Hyderabad State Bank to the Reserve Bank, any shareholder who, immediately before the appointed day, was entitled to payment of dividend

---

†मूल अंग्रेजी में।

on the shares of the Hyderabad State Bank held by him shall be entitled to receive from the Hyderabad Bank all dividends declared by the Hyderabad State Bank in respect of his shares for any year which ended before the appointed day and remaining unpaid.

(2A) Notwithstanding anything contained in the Hyderabad State Bank Act, 1350 F, no such shareholder shall be entitled as of right to any dividend on the shares of the Hyderabad State Bank held by him in respect of any period before the appointed day for which that Bank had not declared a dividend;

Provided that the Central Government may, in respect of any such period, authorise the payment of dividend at such rate as it may specify if it is satisfied that there is sufficient balance of profits available after such provisions and contributions for the purposes referred to in Section 28 as the Reserve Bank considers necessary have been made."

—[A. C. Guha]

(२) "हैदराबाद राज्य बैंक की पूंजी में अंशों का रिजर्व बैंक को हस्तान्तरण होते हुये भी, किसी भी ऐसे अंशधारी को, जिसे निश्चित की गई तिथि से तुरन्त पहिले, हैदराबाद राज्य बैंक में अपने अंशों पर लाभांश के भुगतान का अधिकार था, हैदराबाद बैंक से निश्चित की गई तिथि से पहिले समाप्त होने वाले वर्ष तथा भुगतान न किये गये शेष के लिये अपने अंशों के सम्बन्ध में हैदराबाद राज्य बैंक द्वारा घोषित सारे लाभांश पाने का अधिकार होगा।

(२क) हैदराबाद राज्य बैंक अधिनियम, १३५० फ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी कोई भी अंशधारी हैदराबाद राज्य बैंक में अपने अंशों पर निश्चित की गई तिथि से पूर्व के किसी ऐसे काल के लिये अधिकार रूप में किसी लाभांश सम्बन्धी स्वत्व दावा न कर सकेगा, जिस के लिये उस बैंक ने घोषणा न की हो;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि धारा २८ में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये ऐसी व्यवस्था करने तथा अंशदानों का भुगतान करने के बाद जिन्हें रिजर्व बैंक आवश्यक समझे, लाभ का पर्याप्त अवशेष उपलब्ध है, तो ऐसे किसी भी काल के लिये, किसी ऐसी दर पर जिसे वह निश्चित करें, लाभांश के भुगतान का प्राधिकार दे सकती है।"]

—[अ० चं० गुह]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७—**(हैदराबाद राज्य बैंक के कुछ पदाधिकारियों को पद छोड़ना होगा)**

†**श्री अ० चं० गुह** : एक सरकारी संशोधन है। वह भी अध्यादेश का आनुषंगिक है। रिजर्व बैंक ने इस बैंक को पहिले ही ले लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० चं० गुह]

संशोधन किया गया : पृष्ठ ३, पंक्ति ४१ में "if his employment had ceased" ["यदि उसकी नौकरी समाप्त हो गई है"] के बाद "on the appointed day" ["निश्चित दिन को"] शब्द रखे जाये ।

—[अ० चं० गुह]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९—(प्राधिकृत पूंजी)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ९ के सम्बन्ध में श्री मुहीउद्दीन का एक संशोधन है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : श्रीमान्, मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ ५ की पंक्ति ३ व ४ में "one crore" ["एक करोड़"] के स्थान पर "two crores" ["दो करोड़"] शब्द रखे जायें ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं क्योंकि विधेयक में पहिले से ही उपबन्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १० —(निर्गमित पूंजी)

†**श्री अ० चं० गुह** : खण्ड १० में एक संशोधन है जिस की संख्या ६ है । यह केवल स्पष्टीकरण के लिये है । यह भी अध्यादेश में किया गया है ।

संशोधन किया गया : पृष्ठ ५, पंक्ति ११ में "Hyderabad Bank and" ["हैदराबाद बैंक तथा"] शब्दों के बाद "such capital" ["ऐसी पूंजी"] शब्द रखे जायें ।

—[अ० चं० गुह]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १०, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ११ से १७ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १८ —(निदेशकों का पारिश्रमिक)

†**श्री अ० चं० गुह** : श्रीमान्, खण्ड १८ के सम्बन्ध में एक सरकारी संशोधन है जिसकी संख्या ७ है । यह भी केवल स्पष्टीकरण के लिये है । यह अध्यादेश में भी पुरःस्थापित किया गया था । 'सरकार'

---

†मूल अंग्रजी में ।

शब्द में राज्य सरकार के पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे। बोर्ड में राज्य सरकार के पदाधिकारियों को नाम-निर्देशन का विधेयक में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है। यदि रिजर्व बैंक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले निदेशकों में एक निदेशक राज्य सरकार का पदाधिकारी होता है, तो उसके यात्रा तथा अन्य व्ययों को नियमित करना राज्य सरकार का काम होगा। अतः, हम राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों में भेद करते हैं।

संशोधन किया गया : पृष्ठ ८, पंक्ति १३ में "Government" ["सरकार"]शब्द के स्थान पर Central Government" ["केन्द्रीय सरकार"] शब्द रखिये।

—[श्री अ० चं० गुह]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १९ से २३ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड २४— (हैदराबाद बैंक रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में काम करेगा)

†**श्री अ० चं० गुह** : खण्ड २४ का एक सरकारी संशोधन है जिसकी संख्या ८ है।

यह उपबन्धित किया गया है कि रिजर्व बैंक निबन्धन तय करेगा। निबन्धन और शर्तों के अन्तिम रूप से तय होने तक हम अभाव नहीं छोड़ सकते। अतः अन्तरिम काल के लिये इस खण्ड में उपबन्ध किया गया है। इसमें वर्तमान प्रबन्ध के जारी रहने का उपबन्ध किया गया है। यह व्यवस्था नया प्रबन्ध होने तक रहेगी।

संशोधन किया गया : पृष्ठ १०, पंक्ति १४ के बाद **जोड़िये** :

"(4) Until a new arrangement is made under this section, the Hyderabad Bank shall continue to act as agent of the Reserve Bank at the same places where and for the same purposes for which, and on the same terms, and condition on which, the Hyderabad State Bank was acting as the agent of the Reserve Bank immediately before the appointed day."

["इस धारा के अन्तर्गत जब तक नया प्रबन्ध न हो तब तक, हैदराबाद बैंक रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में उन्हीं स्थानों पर तथा उन्हीं प्रयोजनों के लिये तथा उन्हीं निबन्धन व शर्तों पर काम करता रहेगा, जहां, जिनके लिये और जिन पर हैदराबाद राज्य बैंक निश्चित दिन से तुरन्त पहले तक रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में काम कर रहा था"]

—[श्री अ० चं० गुह]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

खण्ड २४, संशोधित रूप में, विधयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २५ और २६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड २७——(रक्षित निधि)

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं अपना संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत करता हूं । मेरा सुझाव है कि बैंक का आधार—आज के प्रदत्त पूंजी ५० लाख रुपये है—रिजर्व बैंक राज्य बैंक की रक्षित निधि को ५० लाख रुपये हस्तान्तरण करके सुदृढ़ बना दिया जाये ताकि जनता और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों में अधिक विश्वास पैदा हो । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया : पृष्ठ ११, पंक्ति २७ में "Sub-section (2)" ["उपधारा"] (२) के स्थान पर "Sub-section (1)" ["उपधारा (१)"] रखिये ।

——[**अ० चं० गुह**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २८, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २९—— (वार्षिक खातों को बन्द करना)

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं अपना संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत करता हूं । मैं इसके द्वारा उप–खण्ड (क) को हटाना चाहता हूं । इसके कारण यह हैं । आज कल हैदराबाद राज्य बैंक के खाते ३० सितम्बर को बन्द किये जाते हैं । परन्तु बैंकिंग अधिनियम के अनुसार बैंकों के खाते प्रति वर्ष दिसम्बर के अन्त में बन्द किये जाने चाहियें । इसीलिये यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य बैंक के खाते भी ३१ दिसम्बर को ही बन्द किये जाने चाहियें । अधिनियम के अनुसार उप-खण्ड (ख) पर्याप्त है । दो नकारात्मक उप-खण्डों का होना अनावश्यक है अतः उप-खण्ड (४) हटा दिया जाये ।

†**श्री अ० चं० गुह** : नहीं, मेरा ख्याल है कि इसका होना आवश्यक है क्योंकि पिछला उपबन्ध बैंक के लिये अनिवार्य उपबन्ध है कि वह ३१ दिसम्बर के अपने खाते बन्द करे । मेरा ख्याल है कि पहला भाग भी आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या २३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २९, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३०——(लेखा-परीक्षा)

†**श्री अ० चं० गुह** : इस खण्ड के मेरे दो संशोधन केवल शाब्दिक परिवर्तन करना चाहते हैं और उनकी संख्या ९ तथा १० है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

संशोधन किये गये : (१) पृष्ठ १३, पंक्ति ११ में "An" ["एक"] शब्द के स्थान पर "The" ["वह"] शब्द रखिये ।

(२) पृष्ठ १३, पंक्ति २९ में-- "Profit and Loss" ["लाभ और हानि"] के स्थान पर "Profit or Loss" ["लाभ या हानि"] रखिये ।

--[अ० चं० गुह]

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं अपना संशोधन संख्या २४ प्रस्तुत करता हूं । मैंने सुझाव दिया है कि शब्द "केन्द्रीय सरकार की अनुमति से" हटा दिये जायें क्योंकि इसके लिये रिजर्व बैंक उत्तरदायी है । एक अनुवर्ती खण्ड के अन्तर्गत भारत सरकार को स्वयं अपना लेखा-परीक्षक नियुक्त करने का प्राधिकार है । इस बात में कोई तत्व नहीं है कि भारत सरकार साधारणतया लेखा-परीक्षा करने के लिये एक लेखा-परीक्षक का अनुमोदन करे और विशेष लेखा-परीक्षा के लिये दूसरे लेखा-परीक्षक को नियुक्त करे ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३२-- (कुछ सौदों के सम्बन्ध में सहायता लेने का रिजर्व बैंक का अधिकार)

†**श्री मुहीउद्दीन** : "निश्चित दिन से पहिले दो वर्षों में" शब्दों के बजाय निश्चित दिन रखा जाये, अर्थात्, २२ अक्तूबर, १९५६ से पहिले । मेरा विचार है कि न्यूनतम एक वर्ष का उपबन्ध किया जाये और मैं इसकी गणना २२ अक्तूबर, १९५६ से करना चाहता हूं जिस दिन अध्यादेश लागू हुआ था ।

†**श्री अ० चं० गुह** : रिजर्व बैंक इस बात की जांच कर रहा है तथा जो भी कार्यवाही आवश्यक है उन्होंने वह करनी आरम्भ कर दी होगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । क्या माननीय सदस्य इन परिस्थितियों में अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : श्रीमान्, मैं यह प्रस्तुत नहीं करता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३२, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३३ से ३८ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

खण्ड २९—(रिजर्व बैंक की ओर से अधिकारों का प्रयोग करना तथा काम करना)

†**श्री अ० चं० गुह** : खण्ड ३९ के सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन है । भारत का रक्षित बैंक अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नर की अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर उसके कुछ कार्य कर सकता है । अतः वह उन कार्यों को इस विधेयक के अन्तर्गत भी कर सकता है । इसमें यह भी स्पष्टीकरण किया गया है कि अन्य पदाधिकारी केवल कुछ ऐसे भलीभांति बताये गये तथा निर्बन्धित अधिकारों व कर्त्तव्यों का प्रयोग कर सकते हैं जो उन्हें दिये जायें ।

संशोधन किया गया : पृष्ठ १६, पंक्ति ३३ और ३४ में—

"or such other persons or persons as may be prescribed" ["या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें विहित किया जाये"] शब्दों के स्थान पर

"or, in his absence, a Deputy Governor nominated under sub section (3) of section 7 of the Reserve Bank of India Act, 1934, or subject to such condition and limitations and in respect of such matters as the Governor of the Reserve Bank may specify, such officer or officers of the Reserve Bank as may be prescribed".

[या, उसकी अनुपस्थिति में, भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ७ की उप-धारा (३) के अधीन नामनिर्दिष्ट डिप्टी गवर्नर या ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए तथा ऐसे विषयों के बारे में जिनका उल्लेख रिजर्व बैंक का गवर्नर करे, रिजर्व बैंक का ऐसा पदाधिकारी या ऐसे पदाधिकारी जो निर्धारित किये जायें ।"] शब्द रखिये ।

—[**अ० चं० गुह**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४१—(केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति)

†**श्री अ० चं० गुह** : खण्ड ४१ के मेरे दो संशोधन हैं जिनकी संख्या १२ और १३ है । पहिला केवल अर्थ को सर्वथा स्पष्ट करने वाला है तथा नियम बनाने की शक्ति का यथार्थ रूप से उल्लेख करता है । दूसरा संशोधन अनावश्यक उप-खण्ड को हटाने के लिये है, क्योंकि हैदराबाद बैंक के मामले के लिये दूसरा उप-खण्ड पर्याप्त समझा जाता है । ये परिवर्तन अध्यादेश के अनुसार हैं ।

संशोधन किया गया : (१) पृष्ठ १७, पंक्ति ६ में "The procedure for" ["लिये प्रक्रिया"] के स्थान पर "The manner of and the procedure for" ["का ढंग, और लिये प्रक्रिया"] शब्द रखिये ।

(२) पृष्ठ १७—

(१) पंक्ति २३ में "And" ["और"] शब्द हटा दिया जाये ।

(२) पंक्ति २४ तथा २५ हटा दी जायें ।

—[**अ० चं० गुह**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड ४१, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४३—(कुछ अधिनियमनों का संशोधन)

†**श्री अ० चं० गुह** : खंड ४३ के सम्बन्ध में मैंने संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत किया है । यह एक प्रकार से स्पष्टीकण भी है जो कि इस खंड का तात्पर्य स्पष्ट करता है । प्रस्तावित संशोधन अध्यादेश के लागू होने के दिन से ही लागू नहीं हो जायेंगे, अपितु वे २२–१०–१९५६ को लागू होंगे । ये उपबन्ध उसी तिथि से कार्यान्वित होंगे ।

संशोधन किया गया : पृष्ठ १९—

खण्ड ४३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"43. **Amendment of certain enactments**—The enactments specified in the Second Schedule shall be amended in the manner directed therein and such amendmentss hall be deemed to have taken effecte on the appointed day notwithstanding anything to the contrary contained in section 43 of the State Bank of Hyderabad Ordinance, 1956."

["४३. **कुछ अधिनियमों का संशोधन**—हैदराबाद राज्य बैंक अध्यादेश, १९५६ की धारा ४३ में किसो विपरीत बात के होते हुये भी द्वितीय सूची में उल्लिखित अधिनियमन उसमें बताये हुये ढंग से संशोधित किये जायेंगे और संशोधन निश्चित दिन से लागू हुये समझे जायेंगे ।"]

—[अ० चं० गुह]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड ४३, संशोधत रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४४ तथा ४५ विधेयक में जोड़ दिये दिये ।

†**श्री अ० चं० गुह** : एक नया खंड—खण्ड संख्या ४६ के जोड़ देने के बारे में भी एक संशोधन है । यह केवल कुछ अधिनियमों के निरसन के लिये है और ऐसे कई परित्राण खण्ड भी हैं जो कि उन कार्यवाहियों से परित्राण करते हैं जो कि उस बैंक के सम्बन्ध में सम्भवत: की जा सकती हैं ।

नया खंड संख्या ४६

संशोधन किया गया : पृष्ठ २०—

पंक्ति १२ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"46. **Repeal and Saving**.—(1) The State Bank of Hyderabad Ordinance, 1956, is hereby repealed.

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री अ० चं० गुह]

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken (including any appointment, order, rule or regulation made or direction or instruction given) in the exercise of any powers conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the date on which such thing was done or action was taken."

["४६. **निरसन तथा परित्राण**—(१) हैदराबाद राज्य बैंक अध्यादेश, १९५६ निरसित किया जाता है ।

(२) इस निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा उसके अधीन दी गयी किसी भी शक्ति के अन्तर्गत की गयी कोई भी बात अथवा की गयी कोई भी कार्यवाही (जिनमें की गयी कोई भी नियुक्ति अथवा दिया गया कोई भी आदेश, नियम अथवा विनियम या निदेश अथवा अनुदेश सम्मिलित हैं) इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके द्वारा सौंपी गयी शक्तियों के द्वारा की गयी समझी जायेंगी, मानो कि यह अधिनियम उस तिथि को लागू था जबकि वह कार्य अथवा कार्यवाही की गयी थी ।"]

—[अ० चं० गुह]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४६ विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४६, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अनुसूची १, विधेयक में जोड़ दी गयी ।

द्वितीय अनुसूची

†**श्री अ० चं० गुह** : द्वितीय अनुसूची के सम्बन्ध में मैंने संशोधन संख्या १६ प्रस्तुत किया है । यह एक सरल-सा संशोधन है जो कि भारत के रक्षित बैंक के साथ ही साथ हैदराबाद राज्य बैंक की स्थिति स्पष्ट करता है । इन संशोधनों में जहां भी केवल "बैंक" शब्द आता है, उसका तात्पर्य भारत के रक्षित बैंक से है ।

संशोधन किया गया : पृष्ठ २२ तथा २३—

२३ से २४ पंक्तियों तथा १ से ६ पंक्तियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रख दिये जायें :

'3. Section 45 shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and—

(i) in sub-section (1) as so renumbered, for the proviso, substitute the following, namely :

"Provided that nothing herein contained shall affect the provisions of any agreement subsisting on the 1st day of July, 1955, between the bank and any other banking institution for the conduct of Government business or other matters."; and

(ii) after sub-section (1) as so renumbered insert the following sub-section, namely :—

†मूल अंग्रेजी में ।

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Bank may employ or continue to employ as its agent—

(i) the Hyderabad Bank as defined in the State Bank of Hyderabad Act, 1956, at such place where, and for such purposes for which, the said Bank was agent of the Reserve Bank immediately before the 1st day of November, 1956; and

(ii) any other banking institution notified by the Central Government in this behalf for the conduct of Government business or other matters at such places in India as may be approved by the Central Government.

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in any agreement between the Bank and the State Bank, it shall be lawful for the Bank to exclude from the operation of such agreement any place where any of the banking institutions referred to in sub-section (2) may have an office or branch."

["३. धारा ४५ का पुनः क्रमांकन करके उसे उपधारा (१) कर दिया जायेगा, और

(एक) इस प्रकार से पुनः क्रमांकित की गयी उप-धारा (१) में परन्तुक के स्थान पर निम्न-लिखित को रखा जाये :

"परन्तु यह कि इसमें लिखी हुई किसी भी बात का बैंक तथा सरकारी व्यापार अथवा अन्य मामले चलाने के लिये किसी भी अन्य बैंकिंग संस्था के बीच १ जुलाई, १९५५ को विद्यमान किसी भी करार पर कुछ भी प्रभाव न होगा।" और

(दो) इस प्रकार से पुनः क्रमांकित की गयी उप-धारा (१) के बाद निम्नलिखित उप-धारायें जोड़ दी जायें :

"(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी बैंक निम्नलिखित बैंकों को अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकता है अथवा उनकी नियुक्ति को जारी रख सकता है—

(एक) हैदराबाद बैंक, जैसी कि उसकी हैदराबाद राज्य बैंक अधिनियम, १९५६ में परिभाषा की गयी है, उन-उन स्थानों पर और उन-उन प्रयोजनों के लिये जिनके लिये उक्त बैंक १ नवम्बर, १९५६ से तुरन्त पूर्व भारत के रक्षित बैंक का अभिकर्ता था; और

(दो) किसी और बैंकिंग संस्था को, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी ओर से भारत में उन-उन स्थानों पर सरकारी कारबार या अन्य काम चलाने के लिये जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

(३) बैंक तथा राज्य बैंक के बीच हुये किसी भी करार में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, बैंक को इस बात का वैध अधिकार होगा कि वह उस प्रकार के करार के लागू होने से ऐसे किसी भी स्थान को छोड़ सकता है जहां उर उप-धारा (२) में उल्लिखित किसी भी बैंकिंग संस्था का कोई कार्यालय या शाखा हो।"]

—[**अ० चं० गुह**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"द्वितीय अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

द्वितीय अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** : खण्ड १ के बारे में एक संशोधन है, और हम प्रस्तावना में से "Impending" ["आसन्न"] शब्द भी निकालना चाहते हैं, क्योंकि अब उस शब्द का कोई लाभ नहीं है कारण यह है कि राज्यों का पुनर्गठन हो चुका है ।

संशोधन किया गया : पृष्ठ १--

पंक्ति २० तथा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

"(2) It shall be deemed to have come into force on the 22nd day of October, 1956."

["(२) ऐसा समझा जायेगा कि यह २२ अक्तूबर, १९५६ को लागू हुआ है ।"]

--[**अ० चं० गुह**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब प्रस्तावना को लेंगे । माननीय मंत्री ने पहले ही समझा दिया है कि वह उसमें क्या संशोधन करना चाहते हैं ।

संशोधन किया गया : पृष्ठ १, पंक्ति १ में—

"Impending" ["आसन्न"] शब्द छोड़ दिया जाये ।

—[**अ० चं० गुह**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"प्रस्तावना, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई ।

अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

मैं समझता हूं कि आंध्र राज्य के सदस्यों को अब तो पूरा-पूरा आश्वासन मिल गया होगा कि यह बैंक अब भारत के रक्षित बैंक के नियंत्रण तथा देख-रेख में अच्छी प्रकार से चलेगा और उस नये राज्य की आवश्यकताओं की ओर पूरा ध्यान देगा जिस पर आर्थिक तथा औद्योगिक विकास सम्बन्धी अनेकों दायित्व हैं । मुझे आशा है कि सभा संशोधित रूप में इस विधेयक को पारित करने की कृपा करेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : यह बड़े खेद की बात है कि भारत के राज्य बैंक के अधिनियम को पारित करते समय सरकार ने यह वचन दिया था कि विभिन्न राज्यों में सरकारी काम-काज चलाने वाले सभी बैंक भारत के राज्य बैंक के अधीन आ जायेंगे, परन्तु हैदराबाद राज्य बैंक के सम्बन्ध में यह एक पृथक् विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

मैं चाहता हूं कि हैदराबाद राज्य बैंक को भारत के राज्य बैंक में मिला दिया जाये । उस समय यही कहा गया था कि इस प्रकार के सभी बैंक भारत के राज्य बैंक में मिला दिये जायेंगे। परन्तु अभी तक बहुत से बैंक जैसे राजस्थान बैंक, जयपुर बैंक तथा इंदौर बैंक---अपना अलग अस्तित्व रखे हुये हैं । इसी प्रकार से यह बैंक भी भारत के राज्य बैंक का एक अभिन्न भाग न बना कर एक पृथक् इकाई बनाया जा रहा है ।

यदि सरकार यह चाहती है कि सम्पूर्ण देश में सरकारी कारबार एक ही बैंक द्वारा संभाला जाये तो उसके लिये हैदराबाद राज्य बैंक को पृथक् इकाई के रूप में मानने की कोई आवश्यकता नहीं । उसे भारत के राज्य बैंक में ही मिला दिया जाये ।

†**डा० रामा राव** : अशोध्य ऋणों के सम्बन्ध में मैंने जो २ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है, यदि वह गलत सिद्ध हो तो मैं बड़ा खुश हूंगा, और मुझे आशा है कि वह गलत ही सिद्ध हो । हैदराबाद राज्य बैंक की व्यवस्था में कई त्रुटियां हैं और उन पर अच्छी प्रकार से विचार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है । विशेषतः खण्ड ३२ का उप-खंड (४) भारत के रक्षित बैंक के कार्य में बाधा डालता है । मंत्री महोदय ने अवधि को एक साल से अधिक बढ़ाने में इनकार कर दिया है, इसलिये इस पर जो कुछ भी सोच-विचार करना है वह एक वर्ष के अन्दर-अन्दर कर लिया जाये । बाकी मैं मंत्री जी से सहमत हूं । मुझे आशा है कि यह बैंक आंध्र राज्य के लिये वरदान स्वरूप सिद्ध होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति प्रथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम, १९४९ को और आगे के लिये जारी रखने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : इस सम्बन्ध में मेरा औचित्य प्रश्न है । यह विधेयक एक बिल्कुल नया विधेयक है । अपहृत व्यक्तियों की खोज करने पर खर्च आयेगा और वह भारत की संचित राशि से लेना पड़ेगा और इसलिये संविधान के खण्ड (३) के अनुच्छेद ११७ के अधीन इसके लिये राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है । इसलिये यह विधेयक इस समय पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता ।

यह एक बिल्कुल नया विधेयक है । यदि यह उसी पुराने नाम अर्थात् "अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधन विधेयक" से प्रस्तुत किया जाता तो मुझे कोई भी आपत्ति न होती । परन्तु अब

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

क्योंकि यह बिल्कुल नये नाम से है इसलिये विधि के अनुसार इस पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक राष्ट्रपति की सिफारिश का सम्बन्ध है, यह कोई वित्त विधेयक तो है नहीं जिस पर कि संविधान का वह उपबन्ध लागू हो । इस काम के लिये संस्थायें स्थापित करने पर आने वाला खर्च वैसा नहीं है जो कि संविधान के इन उपबन्धों के अधीन आता है जिनकी ओर माननीय सदस्य ने निर्देश किया है । यह विधेयक लागू होगा, और यदि आय-व्ययक में इसके लिये कोई उपबन्ध नहीं है तो कोई अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जा सकती है । यह कहना कि इस पर खर्च आयेगा, इस बात को बहुत अधिक खींचना है । चाहे कोई भी वैधानिक उपबन्ध किया जाय, कुछ न कुछ खर्च तो आयेगा ही, उदाहरणार्थ यदि किसी अधिनियम के द्वारा कई अपराधों को रोकना है तो उससे यह नहीं समझना चाहिये कि उसके लिये बहुत से न्यायालय स्थापित किये जायेंगे, और इसलिये वह एक वित्त विधेयक है ।

संविधान में कल्पित ऐसी कोई आक्समितता उपस्थित नहीं हुई है । यह तर्क किया गया कि यह नया विधेयक है, वस्तुतः यह नया विधेयक भी नहीं है, क्योंकि इसका लागू होने वाला अंश बिल्कुल स्पष्ट है । इसमें केवल अधिनियम के लागू रहने की तारीख बदल दी गई है । इसके लागू होने वाले अंश का तात्पर्य "जारी रखना है" यह अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक है । यह नया विधेयक नहीं है क्योंकि लागू होने वाला अंश बिल्कुल स्पष्ट है ।

यदि इसकी शब्दावली इस प्रकार की हो कि यह संशोधक विधेयक ज्ञात न होता हो तो शब्दावली को बदला जा सकता है, क्योंकि विचार करते समय विधेयक का समस्त भाग सभा के समक्ष रहता है । इसलिये इसे नया विधेयक कहना ठीक नहीं है । यह केवल संशोधक विधेयक है । इसलिये मेरे विचार से माननीय सदस्य की आपत्ति ठीक नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शब्दावली के प्रश्न पर बाद में विचार किया जा सकता है । संविधान के अनुच्छेद ११७ (३) के अनुसार यदि किसी विधेयक के पारित होने पर उसमें भारत के संचित निधि से व्यय किया जाये, तो उसे बिना राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद की किसी भी सभा में पारित नहीं किया जा सकता है । किन्तु मुझे ज्ञात हुआ कि मूल विधेयक में भी राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं समझी गई । पहिले इस बात का पता लगाना है । हम इस विधेयक पर विचार कर सकते हैं क्योंकि यह आज ही पारित नहीं होगा इसी बीच यदि सभा चाहे तो इस सम्बन्ध में विधि मंत्री की सम्मति सुन सकती है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : खंड २ के अनुसार अभी अधिनियम की अवधि समाप्त नहीं हुई है अतः इस विधेयक पर संशोधक विधेयक के रूप में विचार किया जा सकता है । इसीलिये मेरे विचार से अनुच्छेद ११७ (३) यहां प्रयुक्त नहीं होगा ।

माननीय सदस्य ने, जिन्होंने यह प्रश्न उठाया, यह कहा है कि यदि यह संशोधक विधेयक होता तो वे आपत्ति न करते । खंड २ से यह स्पष्ट है कि यह केवल संशोधक विधेयक है इसलिये मेरे विचार से इसके लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवदी** : मेरे आदरणीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि यह एक संशोधक विधेयक है मैं उनका ध्यान उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण की ओर दिलाऊंगा । अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम १९४९ के तीन संशोधन हो चुके हैं । अब आपने इसका नाम

†मूल अंग्रेजी में

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति और प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक १९५६ रखा है। इससे स्पष्ट है कि यह बिल्कुल नया विधेयक है। हमें इसके प्रभाव को नहीं, अपितु इसके शब्दों को देखना है। इसलिये संविधान का अनुच्छेद ११७ (३) इस पर लागू होता है।

अतः इससे संविधान के अनुच्छेद ११७ (३) पर आघात होता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा भी यही मत है कि जब तक इसकी शब्दावली में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक इसे नया विधेयक समझा जायेगा। हमें यह देखना है कि हमें क्या करना है। तब तक माननीय मंत्री चर्चा जारी रख सकते हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इस विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। इस मामले में सभा में कई बार चर्चा की गई हैं तथा तीन-चार बार पहिले भी इस अधिनियम की अवधि बढ़ाई जा चुकी है। इस अधिनियम की अवधि ३० नवम्बर को समाप्त हो रही है। इस संशोधक विधेयक का अभिप्राय यह है कि इस अधिनियम की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाय।

इसकी विषयवस्तु से इस सभा के माननीय सदस्य अच्छी तरह परिचित हैं। मैंने उनकी जानकारी के लिये एक पुस्तिका परिचालित की है जिसमें भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों में हुई पुनःप्राप्ति और प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में आंकड़े दिये गये हैं। मुझे केवल यही कहना है, कि काम में पर्याप्त कमी होने पर भी यह काम बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। अभी यह कहने का समय नहीं आया है कि अब भारत या पाकिस्तान में अपहृत व्यक्तियों की आगे और कोई पुनःप्राप्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये यह विचार किया गया है कि इस अधिनियम की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाये। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी बता दूं कि पाकिस्तान में इसकी स्थायी व्यवस्था है जब कि यहां इसकी अवधि १९५६ को समाप्त हो जायेगी। दो बातें, पहिली अवशेष कार्य के परिमाण का पता लगाने और दूसरी, कार्य को शीघ्रता से करने के लिये उपयुक्त तरकीबों का पता लगाने के लिये एक तथ्यान्वेषी आयोग बनाया गया था। तथ्यान्वेषी आयोग के सदस्यों को सहायता करने के लिये नियुक्त अधिकारियों ने कुछ जांच की है। लेकिन आयोग अभी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है। पिछली जुलाई को कराची में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत तथा पाकिस्तान सरकार दोनों के ही प्रतिनिधि थे वहां कुछ समझौते किये गये जिसके अन्तर्गत यह तय किया गया कि अभी काम को जारी रखा जाय तथा गांव के लम्बरदारों और जिला प्रशासन के अन्य विभागों से भी सहायता ली जाय। यह कार्य जारी है।

अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में, मैं विशेषतः संगठन के कार्य तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा, वृहस्पतिवार २२ नवम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६] पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २३३, २३५

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) प्रारूप अधिसूचना की एक प्रति जिसे समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६२० की उप-धारा (१) के अन्तर्गत जारी करने की प्रस्थापना की गई थी ।

(२) उन परिस्थितियों की व्याख्या करने वाले विवरण जिनके कारण तुरन्त यह विधान बनाना आवश्यक हो गया :

(१) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ९),

(२) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ७),

(३) निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश १९५६ (१९५६ का संख्या ६) ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन २३३

प्रस्तुत किया गया ।

तिरेसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

याचिका प्रस्तुत की गई २३३

श्री ब० स० मूर्ति ने एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें रेलवे समय सारिणी तथा गाइडें प्रकाशित करने के बारे में सुझाव दिये गये थे । याचिका पर उसे भेजनेवाले के हस्ताक्षर थे ।

पुरःस्थापित किये गये विधेयक ... २३४–३५

निम्नलिखित विधेयक पुरःस्थापित किये गये :

(१) केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक,

(२) लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक

(३) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक,

(४) निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक ।

पृष्ठ

पारित किये गये विधेयक २३६–८३

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया गया और यह पारित किये गये :

(१) रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक,

(२) राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक,

(३) हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक

विचाराधीन विधेयक २८३–८५

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने यह प्रस्ताव रखा कि अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६—

अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक (तरुण व्यक्ति हानिकर प्रकाशन) विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करना और प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक पर विचार करना ।

M35LSD—190—28-2-58—GIPF.